दिसंबर, 2021

I.S.S.N. 2457-0478

उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका

विधि साहित्य प्रकाशन
विधायी विभाग
विधि और न्याय मंत्रालय
भारत सरकार

प्रधान संपादक (प्रभारी)

श्री कमला कान्त

संपादक

श्री कमला कान्त
श्री अविनाश शुक्ला
श्री असलम खान

सहायक संपादक

श्री पुण्डरीक शर्मा

उप-संपादक

श्री महीपाल सिंह
श्री जसवन्त सिंह

ISSN-2457-0478

कीमत : डाक-व्यय सहित

एक प्रति : ₹ 125/-

वार्षिक : ₹ 1,300/-

© 2021 भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय

प्रधान संपादक, विधि साहित्य प्रकाशन, विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, भगवानदास मार्ग, नई दिल्ली-110001 द्वारा प्रकाशित तथा..... द्वारा मुद्रित ।

आई.एस.एस.एन. 2457-0478

उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका

दिसंबर, 2021 अंक - 12

प्रधान संपादक (प्रभारी)
श्री कमला कान्त

संपादक
असलम खान

(2021) 2 सि. नि. प.

विधि साहित्य प्रकाशन
विधायी विभाग
विधि और न्याय मंत्रालय
भारत सरकार

Online selling of law Patrikas/Books is available on
Website ➡ https://bharatkosh.gov.in/product/product

विक्रय कार्यालय : सहायक प्रबंधक, कारबार अनुभाग, विधि साहित्य प्रकाशन, विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, आई. एल. आई. बिल्डिंग, भगवानदास मार्ग, नई दिल्ली-110001.
दूरभाष : 011-23385259, 23387589, फैक्स : 011-23387589, ई-मेल : am.vsp-molj@gov.in

संपादकीय

यदि पति-पत्नी के बीच यह समझौता हो जाता है कि वे एक-दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते हैं और समझौते के बाद एक-दूसरे से अलग रह रहे हैं तो प्रश्न यह उठता है कि क्या ऐसी परिस्थितियों में पति या पत्नी, क्रूरता या अभित्यजन के आधार पर विवाह-विच्छेद की डिक्री पाने के हकदार होंगे । इसी प्रकार के प्रश्न पर विचार करते हुए, माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने **बलवंत गुप्ता** बनाम **सुमन देवी** (2021) 2 सि. नि. प. 769 वाले मामले में, यह अभिनिर्धारित किया है कि यदि अभिलेख पर यह साबित कर दिया जाता है कि पति-पत्नी के बीच समझौता हो गया था और पति-पत्नी अलग-अलग रह रहे हैं तो ऐसी परिस्थितियों में पति के प्रति पत्नी की क्रूरता कारित करने की उपधारणा नहीं की जा सकती है । अतः, क्रूरता और अभित्यजन के आधार पर पति द्वारा फाइल अर्जी खारिज किए जाने योग्य है और कुटुम्ब न्यायालय ने सही ही अर्जी खारिज की है ।

यदि दुर्घटनाग्रस्त यान के चालक की मृत्यु दुर्घटना में कारित क्षतियों के कारण नहीं हुई अपितु कारावास में रखने के दौरान होती है तो प्रश्न यह उठता है कि क्या ऐसी परिस्थितियों में, यान के बीमाकर्ता बीमा-कम्पनी को उन क्षतियों के लिए प्रतिकर संदाय करने हेतु उत्तरदायी ठहराया जा सकता है । इसी प्रकार के प्रश्न पर विचार करते हुए, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने **ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड क्षेत्रीय कार्यालय** बनाम **श्रीमती यशोदा देवी और अन्य** (2021) 2 सि. नि. प. 821 वाले मामले में, यह अभिनिर्धारित किया है कि यदि अभिलेख पर यह साबित कर दिया जाता है कि यान चालक की मृत्यु, यान चलाते समय नहीं हुई है अपितु उसे पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने के पश्चात् कारावास में रखने के दौरान हुई है तो बीमा कम्पनी उसकी मृत्यु के एवज में किसी भी प्रकार का प्रतिकर संदाय करने के लिए दायी नहीं होगी और ऐसा कोई आदेश खारिज किए जाने योग्य होगा ।

यदि किसी चयन प्रक्रिया में, चयनित अभ्यर्थी किसी ऐसे आवश्यक तथ्य को छिपाता है जिसमें उसे किसी भी प्रकार से सिद्धदोष नहीं किया गया है तो क्या इस प्रकार के तथ्य छिपाने से उसके चयन पर कोई प्रभाव पड़ सकता है । इसी प्रकार के प्रश्न पर विचार करते हुए, माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने **सोनू यादव** बनाम **उत्तर प्रदेश शासन और अन्य** (2021) 2 सि. नि. प. 753 वाले मामले में, यह अभिनिर्धारित किया है कि यदि किसी चयन प्रकिया के दौरान पता चलता है कि आवेदक (याची) ने किसी आवश्यक तथ्य (जैसे आपराधिक मामला इत्यादि) को छुपाया है किन्तु संबंधित मामले का निपटारा हो गया है और उसने यह घोषित किया है कि उसे कभी भी दोषसिद्ध नहीं किया गया है तो यह कृत्य तथ्य छिपाने की कोटि में नहीं आएगा, अतएव, उसके परीक्षण रोके जाने का आदेश निरस्त होने योग्य है और निरस्त कर दिया जाएगा ।

इस अंक में, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 का हिन्दी पाठ भी प्रकाशित किया जा रहा है जो पाठकों के लिए ज्ञानवर्धक और अतिमहत्वपूर्ण है जिसका परिशीलन किया जा सकता है । उपर्युक्त निर्णयों के अतिरिक्त अन्य कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर निर्णय प्रकाशित किए जा रहे हैं जो विधि-विद्यार्थियों, अधिवक्ताओं, न्यायाधीशों, विधि-अध्यापकों तथा विधि के ज्ञान में रुचि रखने वाले पाठकों के लिए अत्यंत लाभकारी साबित होंगे ।

कमला कान्त, परामर्शदाता
प्रभारी – उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका

उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका

दिसंबर, 2021

निर्णय-सूची

	पृष्ठ संख्या
आशा देवी **उर्फ** आशा रानी (श्रीमती) और एक अन्य **बनाम** नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड	830
इन्दु देवी **बनाम** इन्दिरा देवी	790
ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड क्षेत्रीय कार्यालय **बनाम** श्रीमती यशोदा देवी और अन्य	821
कांस्टेबल रिंकू कुमार **बनाम** उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य	739
चिम्मेद अंगमो **बनाम** हिमाचल प्रदेश राज्य और अन्य	837
दानेश मधुकरराव पहाड़े **बनाम** स्मिता दानेश पहाड़े	800
बलवंत गुप्ता **बनाम** सुमन देवी	769
श्री श्याम सुन्दर **बनाम** श्री विक्रम कनवर और एक अन्य	842
सतीश मेहता और अन्य **बनाम** कमलेश्वर साही	777
सोनू यादव **बनाम** उत्तर प्रदेश शासन और अन्य	753
स्वीटी **उर्फ** सविता **बनाम** तरूण साहनी और अन्य	868

संसद् के अधिनियम

दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 का हिन्दी में प्राधिकृत पाठ	1 – 17

विषय-सूची

पृष्ठ संख्या

कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 (1984 का 66)

– धारा 19 [सपठित हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 और भारतीय दंड संहिता, 1872 की धारा 498क, 323, 504 और 506 तथा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 123] – अपील – पति द्वारा पत्नी की क्रूरता के कारण विवाह-विच्छेद की डिक्री के लिए वाद फाइल किया जाना – पत्नी द्वारा पति के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 498क, 323, 504, 506 के अधीन आपराधिक मामला फाइल किया जाना – दोनों पक्षकारों के मध्य समझौता होना – पत्नी द्वारा समझौते से पलट जाना – इसी आधार पर अपीलार्थी द्वारा विवाह-विच्छेद की डिक्री के लिए अर्जी फाइल किया जाना – अर्जी खारिज किया जाना – यदि अभिलेख पर यह साबित कर दिया जाता है कि पति-पत्नी के बीच समझौता हो गया था और पति-पत्नी अलग-अलग रह रहे हैं तो ऐसी परिस्थितियों में पति के प्रति पत्नी की क्रूरता कारित करने की उपधारणा नहीं की जा सकती है – अतः, क्रूरता और अभित्यजन के आधार पर पति द्वारा फाइल अर्जी खारिज किए जाने योग्य है और कुटुम्ब न्यायालय ने सही ही अर्जी खारिज की है ।

बलवंत गुप्ता बनाम **सुमन देवी** 769

– धारा 19 [सपठित हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13(1)(ik), (ikk) तथा (iii)] – अपील – पति के प्रति क्रूरता – विवाह-विच्छेद की अर्जी – अर्जी नामंजूर होना – यदि अभिलेख पर यह साबित हो

पृष्ठ संख्या

जाता है कि पति-पत्नी के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध कायम हो गए हैं और उनके बीच सहवास भी आरम्भ हो गया है और कुटुम्ब में शांतिपूर्ण माहौल स्थापित हो गया है और पति-पत्नी के बीच शांतिमय जीवन बीताने के लिए सहमति हो गई है तो इन परिस्थितियों में, विवाह-विच्छेद के लिए क्रूरता साबित नहीं होती है और यदि विवाह-विच्छेद की डिक्री नामंजूर की जाती है तो वह कायम रखे जाने योग्य है ।

दानेश मधुकरराव पहाड़े बनाम **स्मिता दानेश पहाड़े** 800

– धारा 19 [सपठित हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13(1)(ik), (ikk) तथा (iii)] – अपील – अभित्यजन – विवाह-विच्छेद की अर्जी – यदि अभिलेख पर यह साबित कर दिया जाता है कि पति-पत्नी अलग-अलग नहीं रह रहे हैं और पति की पत्नी तक पहुंच है और दोनों पक्षकारों के बीच सहवास जारी है तो इन परिस्थितियों में अभित्यजन के आधार पर विवाह-विच्छेद की डिक्री मंजूर नहीं की जा सकती है ।

दानेश मधुकरराव पहाड़े बनाम **स्मिता दानेश पहाड़े** 800

मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59)

– धारा 173 [सपठित कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8(15) और शस्त्र अधिनियम की धारा 25 और 27] – चालक द्वारा नियोजन के दौरान यान चलाया जाना – पुलिस द्वारा रोके जाने पर यान को न रोकना – मृतक द्वारा पुलिस पर गोली चलाना – मृतक को गिरफ्तार करके कारावास में डाला जाना – कारावास के दौरान चालक की मृत्यु

पृष्ठ संख्या

होना – मृतक के आश्रितों द्वारा इस आधार पर प्रतिकर का दावा किया जाना कि मृतक की मृत्यु यान चालान के दौरान लगी चोंट के कारण हुई – आयुक्त द्वारा बीमा कम्पनी के विरुद्ध प्रतिकर संदाय करने का आदेश पारित किया जाना – आयुक्त के आदेश को चुनौती देना – यदि अभिलेख पर यह साबित कर दिया जाता है कि यान चालक की मृत्यु, यान चलाते समय नहीं हुई है अपितु उसे पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने के पश्चात् कारावास में रखने के दौरान हुई है तो बीमा कम्पनी उसकी मृत्यु के एवज में किसी भी प्रकार का प्रतिकर संदाय करने के लिए दायी नहीं होगी और ऐसा कोई आदेश खारिज किए जाने योग्य होगा ।

ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड क्षेत्रीय कार्यालय
बनाम **श्रीमती यशोदा देवी और अन्य** 821

संविधान, 1950

– अनुच्छेद 226 [सपठित दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 446 और उ. प्र. पुलिस अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दंड एवं अपील) नियमावली, 1991 के नियम 14(2)] – रिट याचिका – उ. प्र. पुलिस कर्मचारी की अनुशासनहीनता के कारण विभागीय जांच – जांच के उपरान्त संबंधित कर्मचारी को 10 दिवस की वेतन कटौती का दण्ड – चुनौती – अनुशासनहीनता के मामले में विभागीय जांच के विरुद्ध संवैधानिक न्यायालय को सीमित अधिकार प्राप्त हैं – यदि मामले में याची की लापरवाही और अनुशासनहीनता साबित हो जाती है तो ऐसे मामले में न्यायालय के हस्तक्षेप करने की गुंजाइश

पृष्ठ संख्या

समाप्त हो जाती है जब तक कि मामले में घोर अन्याय और नैसर्गिक नियमों का उल्लंघन दर्शित नहीं होता है ।

कांस्टेबल रिंकू कुमार बनाम **उ. प्र. राज्य और अन्य** 739

– अनुच्छेद 226 [सपठित भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 323/504] – सीधी भर्ती द्वारा चयन प्रक्रिया – याची द्वारा आरक्षी के पद पर ऑनलाइन आवेदन किया जाना – रजिट्रेशन संख्या आबंटित किया जाना – आवश्यक तथ्य छुपाए जाने के आधार पर याची का परीक्षण रोका जाना – यदि किसी चयन प्रकिया के दौरान पता चलता है कि आवेदक (याची) ने किसी आवश्यक तथ्य (जैसे आपराधिक मामला इत्यादि) को छुपाया है किन्तु संबंधित मामले का निपटारा हो गया है और उसने यह घोषित किया है कि उसने कभी भी दोषसिद्ध नहीं किया है तो यह कृत्य तथ्य छिपाने की कोटि में नहीं आएगा, अतएव उसके परीक्षण रोके जाने का आदेश निरस्त होने योग्य है और निरस्त कर दिया जाएगा ।

सोनू यादव बनाम **उत्तर प्रदेश शासन और अन्य** 753

– अनुच्छेद 226 – रिट याचिका – सरकारी कर्मचारी – जन्म-तिथि में सुधार करने का आवेदन – सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित सुधार करते हुए प्रमाणपत्र जारी करना – विभाग द्वारा ऐसे प्रमाणपत्र को मानने से इनकार करना – चुनौती – यदि सरकारी कर्मचारी द्वारा सक्षम प्राधिकारी से अपनी जन्म-तिथि में सुधार करने वाला प्रमाणपत्र प्रस्तुत करता है और अभिलेख पर इसके खण्डन में कोई ठोस आधार प्रस्तुत नहीं किया जाता है न ही यह सिद्ध किया जाता है कि याची और सक्षम प्राधिकारी के बीच कोई संबंध या

पृष्ठ संख्या

दुरभिसंधि है तो सम्बन्धित विभाग, उस प्रमाणपत्र को मान्यता प्रदान करते हुए, उसके सेवा सम्बन्धी सभी अग्रिम फायदों को प्रदान करने के लिए बाध्य है ।

चिम्मेद अंगमो बनाम **हिमाचल प्रदेश राज्य और अन्य** 837

– अनुच्छेद 226 [सपठित हि. प्र. अपार्टमेंट स्वामित्व अधिनियम, 1978] – रिट याचिका – विवादित मकान के सह-स्वामी द्वारा अपने भाग के मकान का पुनर्निर्माण कराना – अन्य सह-स्वामियों द्वारा इस आधार पर आक्षेप करना कि इससे उनके भाग के मकान/दुकान को क्षति पहुंच सकती है और सम्पूर्ण संरचनात्मक ढांचा कमजोर हो सकता है – हिमाचल प्रदेश में ऐसे मामलों के निपटारे के लिए समुचित अधिनियम/नियम/मापदण्ड का अभाव – उपयुक्त परिस्थितियों में सभी सह-स्वामियों के बीच आपसी सहमति आवश्यक है जिसके अभाव में समुचित विधायन/नियम/मापदण्ड होना आवश्यक है – उनके अभाव में सम्पूर्ण भूमि पर स्थित संरचनात्मक ढांचे की विशेषज्ञ रिपोर्ट के आधार पर विवादित प्रश्न का विनिश्चय किया जाना चाहिए और यह ध्यान में रखना चाहिए कि सभी सह-स्वामियों के हितों और अधिकारों का युक्तियुक्त समाधान करने के लिए यथाशीघ्र विधायन/नियम/मापदण्ड बनाए जाएं और जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक सभी सह-स्वामियों को यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया जाना चाहिए ।

श्री श्याम सुन्दर बनाम **श्री विक्रम कनवर और एक अन्य** 842

पृष्ठ संख्या

– अनुच्छेद 227 [सपठित मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 166] – रिट – दुर्घटना दावा प्रतिकर – पक्षकारों के बीच समझौते के आधार पर प्रतिकर का निर्धारण – टुकड़ों में प्रतिकर संदाय करने का आदेश – चुनौती – यदि पक्षकारों के बीच समझौते के आधार पर प्रतिकर का निर्धारण किया जाता है तो उसका संदाय एकमुश्त होना चाहिए – टुकड़ों में संदाय करने का आदेश अयुक्तियुक्त और मनमाना है क्योंकि इससे प्रतिकर अधिनिर्णीत करने का प्रयोजन ही विफल हो जाएगा ।

आशा देवी उर्फ **आशा रानी (श्रीमती) और एक अन्य** बनाम **श्रीमती यशोदा देवी और अन्य** 830

– अनुच्छेद 227 – रिट याचिका [सपठित उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराए और बेदखली का विनियमन) अधिनियम, 1972 की धारा 21(1)(क)] – भू-स्वामी द्वारा संपंत्ति किराए पर दिया जाना – सद्भाविक आवश्यकता के लिए किराएदार से खाली कराया जाना – किराएदार द्वारा किराए की संपत्ति समय पर खाली न किया जाना – विहित प्राधिकारी द्वारा खाली करने का आदेश दिया जाना – किराएदार द्वारा नोटिस तामील न होना बताया जाना – मूल किराएदार द्वारा अपील फाइल नहीं करने का निर्णय करना – प्रतिस्थापित किराएदार द्वारा नोटिस प्राप्त न होने का दावा करना – यदि न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि प्रतिस्थापित किराएदार जानबूझकर डाक द्वारा भेजे गए नोटिस को प्राप्त नहीं करता है या किसी व्यक्ति को नोटिस प्राप्त करने के लिए अधिकृत नहीं करता है तो यह समझा जाएगा

पृष्ठ संख्या

कि किराएदार जानबूझकर ऐसा कर रहा है, किन्तु जब एक बार मूल किराएदार अपील नहीं करने का निर्णय कर लेता है तो प्रतिस्थापित किराएदार द्वारा नोटिस प्राप्त करना या नहीं करना, मामले के गुणागुणों पर कोई प्रभाव नहीं डालता है क्योंकि मूल किराएदार द्वारा अपील नहीं करने का निर्णय लेने से प्रतिस्थापित किराएदार के अपील करने के अधिकार स्वतः समाप्त हो जाते हैं ।

सतीश मेहता और अन्य बनाम **कमलेश्वर साही** 777

– अनुच्छेद 227 [सपठित सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 का आदेश 1 का नियम 10] – रिट याचिका – विवादित संपत्ति में याची द्वारा सह-स्वामी के रूप में सिद्ध नहीं किया जाना – याची और किराएदारों के बीच दुरभिसंधि – ताकि संपत्ति के असली स्वामियों के दावे को विफल किया जा सके – याचिका में, याची द्वारा पक्षकार के रूप में अभिवाचित किए जाने की प्रार्थना खारिज होना – प्रार्थना नामंजूर होना – यदि अभिलेख पर यह सिद्ध कर दिया जाता है कि याची ने विवादित संपत्ति में, असली स्वामियों के दावे को विफल करने के लिए किराएदारों के साथ दुरभिसंधि करके याचिका फाइल की है कि उसे भी विवादित संपत्ति में सह-स्वामी के रूप में अभिवाचित किया जाए तो उसकी याचिका खारिज किए जाने योग्य है क्योंकि यह याचिका न्याय को विफल करने के लिए फाइल की गई है ।

स्वीटी उर्फ **सविता** बनाम **तरूण साहनी और अन्य** 868

पृष्ठ संख्या

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5)

– धारा 100 [सपठित विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 की धारा 37(2)] – द्वितीय अपील – वादी द्वारा स्थायी व्यादेश की डिक्री के लिए वाद फाइल करना – प्रतिवादी द्वारा न्यायालय के समक्ष यह कथन अभिलिखित करना कि वह विधि की सम्यक् प्रक्रिया का अनुसरण किए बिना वादी को बे-कब्जा नहीं करेगी – इन कथनों को ध्यान में रखते हुए, स्थायी व्यादेश की डिक्री की आवश्यकता नहीं है परन्तु वादी विधि में विहित उपचारों के अधीन विवादित वाद सम्पत्ति का कब्जा ले सकती है यदि वह उस सम्पत्ति का असली हकदार स्वयं को साबित कर देती है ।

इन्दु देवी बनाम **इन्दिरा देवी** 790

कांस्टेबल रिंकू कुमार*

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

(2017 की 'ए' सं. 38612)

तारीख 19 फरवरी, 2020

न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी

संविधान, 1950 – अनुच्छेद 226 [सपठित दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 446 और उ. प्र. पुलिस अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दंड एवं अपील) नियमावली, 1991 के नियम 14(2)] – रिट याचिका – उ. प्र. पुलिस कर्मचारी की अनुशासनहीनता के कारण विभागीय जांच – जांच के उपरान्त संबंधित कर्मचारी को 10 दिवस की वेतन कटौती का दण्ड – चुनौती – अनुशासनहीनता के मामले में विभागीय जांच के विरुद्ध संवैधानिक न्यायालय को सीमित अधिकार प्राप्त हैं – यदि मामले में याची की लापरवाही और अनुशासनहीनता साबित हो जाती है तो ऐसे मामले में न्यायालय के हस्तक्षेप करने की गुंजाइश समाप्त हो जाती है जब तक कि मामले में घोर अन्याय और नैसर्गिक नियमों का उल्लंघन दर्शित नहीं होता है ।

वर्तमान याचिका में, याची आरक्षी ना.पु. रिंकू कुमार ने वर्तमान याचिका के माध्यम से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जिला मुरादाबाद द्वारा तारीख 13 मई, 2016 को पारित आदेश जिसके द्वारा याची को 10 दिवस के वेतन के समतुल्य अर्थदण्ड से दण्डित किया गया था तथा पुलिस उप महानिरीक्षक, मुरादाबाद परिक्षेत्र, मुरादाबाद द्वारा पारित आदेश तारीख 3 नवंबर, 2016 जिसके द्वारा याची द्वारा फाइल की गई अपील खारिज कर दी गई थी तथा पुलिस महानिरिक्षक, बरेली जोन

---

* मूल निर्णय हिन्दी में है ।

द्वारा तारीख 31 जनवरी, 2019 को पारित आदेश, जिसके द्वारा याची द्वारा फाइल की गई पुनरीक्षण याचिका अस्वीकार कर दी गई थी, आक्षेपित किए गए है । क्षेत्राधिकारी, कोतवाली, जिला मुरादाबाद ने इस मामले में याची व अन्य के विरुद्ध प्रारम्भिक जांच आख्या तारीख 30 सितंबर, 2014 की वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को प्रेषित की । उक्त जांच आख्या के आधार पर, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जिला मुरादाबाद ने याची को 'कारण बताओ नोटिस', तारीख 5 अक्तूबर, 2014 को निर्गत किया, जिसमें याची पर निम्न कृत्य में लापरवाही, उदासीनता एवं अकर्मण्यता का आरोप लगाया गया । उक्त वर्णित 'कारण बताओ नोटिस' का स्पष्टीकरण याची ने दिया तथा नोटिस वापस लेने की प्रार्थना की। याची ने कहा कि मामले के संबंधित बीट क्षेत्र जो तम्बाकू स्ट्रीट व लाल मस्जिद क्षेत्र में था वह याची को आबंटित नहीं था । वह अन्य आरक्षी को आबंटित था । वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जिला मुरादाबाद, ने याची द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण व पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों के परिशीलन के उपरान्त स्पष्टीकरण को असंतोषजनक पाया तथा याची को 10 दिवस के वेतन के समतुल्य अर्थदण्ड से दण्डित किए जाने का आदेश तारीख 13 मई, 2016 को पारित किया । उपरोक्त आदेश के विरुद्ध, याची ने उ. प्र. पुलिस अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की दण्ड एवं अपील नियमावली 1991, के नियम 20 के अधीन अपील, पुलिस उप महानिरिक्षक, मुरादाबाद परिक्षेत्र, के समक्ष पेश की । उपरोक्त अपील को पुलिस उप महानिरिक्षक, मुरादाबाद परिक्षेत्र मुरादाबाद, ने अपने आदेश तारीख 3 नवंबर, 2016 द्वारा अस्वीकार कर दी । याची ने उक्त आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण याचिका, पुलिस महानिरिक्षक, बरेली क्षेत्र, बरेली के समक्ष पेश की, जो तारीख 31 जनवरी, 2017 को निरस्त कर दी गई । उपरोक्त आदेश तारीख 13 मई, 2016, 3 नवंबर, 2016 व 31 जनवरी, 2016 से व्यथित होकर याची ने वर्तमान याचिका इस न्यायालय में फाइल की है । याचिका खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – सर्वप्रथम यह विचार करना है कि उच्च न्यायालय, अनुच्छेद 226 के अधिकार क्षेत्र के अधीन विभागीय जांच के मामलों में कब और किस सीमा तक हस्तक्षेप कर सकता है । न्यायालय ने वर्तमान मामले में विभागीय जांच आख्या, अपीली अधिकारी व पुनरीक्षण

अधिकारी ने समस्त पत्रावली व याची द्वारा प्रस्तुत किए गए सभी तर्कों पर विचार करके ही याची के विरुद्ध आरोप को सत्य पाया व उसको सजा दी गई । याची के विद्वान् अधिवक्ता ने पुरजोर कथन किया है कि याची के अधिकार क्षेत्र में वह बीट क्षेत्र नहीं था जिसमें अभियुक्त का निवास था । अतः वह उस क्षेत्र में नहीं जा सकता था । इसलिए उसने कोई गलत कृत्य नहीं किया । याची के इस बचाव को अपीली अधिकारी ने विचार किया है और स्पष्ट रूप से कहा है कि – "परन्तु प्रारंभिक जांच अधिकारी द्वारा निर्देशित किए जाने के बाद भी याची आरक्षी द्वारा जांच के मध्य अपने कथन अभिलिखित नहीं कराए गए । याची आरक्षी द्वारा अपनी अपील के साथ भी ऐसा कोई साक्ष्य/अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे की बीट क्षेत्र तम्बाकू स्ट्रीट अन्य आरक्षियों को आबंटित होने संबंधी उसके तर्क की पुष्टि हो सके । "अतः यह तर्क बलहीन होने के कारण अस्वीकार किया जाता है । याची को बार-बार अपना उत्तर देने के लिए बुलाया गया था, परन्तु याची ने सूचना होने के बाद भी जबाव फाइल नहीं किया अतः नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का परिपालन न होने का तर्क, दस्तावेज पर उपस्थित साक्ष्य के विपरित है। अतः यह तर्क भी अमान्य किया जाता है । याची ने न्यायालय द्वारा निर्गत अधिपत्र को अभियुक्त को प्रेषित करने की कोशिश नहीं की । याचिका पर उपस्थित दस्तावेजों के अनुसार याची ने अधिपत्र को प्रेषित करने के लिए उचित कदम नहीं उठाए तथा न्यायालय के समक्ष भ्रामक आख्या पेश की । यह समस्त कृत्य याची द्वारा संस्थित कार्यवाही व लापरवाही के परिचायक है । वर्तमान मामले में याची को दिया गया दण्ड भी असंगत नहीं कहा जा सकता है । संवैधानिक न्यायालय अपने न्यायिक पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र के अधीन, अनुशासनात्मक कार्यवाही में हस्तक्षेप तब ही कर सकता है, जब उक्त कार्यवाही का निष्कर्ष विकृत या आधारहीन हो । परन्तु वर्तमान मामले में याची यह साबित करने में असमर्थ रहा कि उसके विरुद्ध की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही का निष्कर्ष विकृत या आधारहीन था । अतः वर्तमान मामले में यह न्यायालय अनुच्छेद 226 के अंतर्गत याची को कोई राहत नहीं दे सकता है । (पैरा 13, 14, 15, 16 और 17)

निर्दिष्ट निर्णय

पैरा

[2011] (2011) 14 एस. सी. सी. 692 :
संजय कुमार सिंह बनाम **भारत सरकार व अन्य** ; 13

[2003] (2003) 3 एस. सी. सी. 583 :
ललित पोपली बनाम **केनरा बैंक** । 13

सिविल (रिट) अधिकारिता : 2017 की 'ए' संख्या 38612.

संविधान, 1950 के अनुच्छेद 226 के अधीन रिट याचिका ।

याची की ओर से मौहम्मद उमर खान, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी की ओर से मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी – याची आरक्षी ना.पु. रिंकू कुमार ने वर्तमान याचिका के माध्यम से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जिला मुरादाबाद द्वारा तारीख 13 मई, 2016 को पारित आदेश जिसके द्वारा याची को 10 दिवस के वेतन के समतुल्य अर्थदण्ड से दण्डित किया गया था तथा पुलिस उप महानिरीक्षक, मुरादाबाद परिक्षेत्र, मुरादाबाद द्वारा पारित आदेश तारीख 3 नवंबर, 2016 जिसके द्वारा याची द्वारा फाइल की गई अपील खारिज कर दी गई थी तथा पुलिस महानिरिक्षक, बरेली जोन द्वारा तारीख 31 जनवरी, 2019 को पारित आदेश, जिसके द्वारा याची द्वारा फाइल की गई पुनरीक्षण याचिका अस्वीकार कर दी गई थी, आक्षेपित किए गए है ।

2. संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि क्षेत्राधिकारी, कोतवाली, जिला मुरादाबाद ने इस मामले में याची व अन्य के विरुद्ध प्रारम्भिक जांच आख्या तारीख 30 सितंबर, 2014 की वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को प्रेषित की, जिसमें निम्न आरोप व जांच के उपरान्त निम्न निष्कर्ष को उल्लेखित किया गया था ।

आरोप

"माननीय न्यायालय में विचाराधीन आपराधिक प्रकीर्ण सं.

11/07 के अधीन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 446 थाना सिविल लाइन से संबंधित मामले में जामिनान 1 अब्दुल शरीफ पुत्र अब्दुल रशीद निवासी लाल मस्जिद थाना कोतवाली मुरादाबाद 2. नवाब अली पुत्र अब्दुल रशीद निवासी तम्बाकू स्ट्रीट थाना कोतवाली से जमानत धनराशि वसूल कराकर माननीय न्यायालय में फाइल करने, बार-बार वसूली अधिपत्र भेजे जाने के पश्चात् थाना प्रभारी द्वारा भ्रामक रिपोर्ट प्रेषित करने संबंधी आरोप अभिलिखित किए गए ।"

निष्कर्ष

"सम्पूर्ण जांच से यह पाया कि माननीय न्यायालय में विचाराधीन आपराधिक प्रकीर्ण सं. 11/07 के अधीन दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 446 थाना सिविल लाइन से संबंधित मामले में जामिनान 1 अब्दुल शरीफ पुत्र अब्दुल रशीद निवासी लाल मस्जिद थाना कोतवाली मुरादाबाद 2. नवाब अली पुत्र अब्दुल रशीद निवासी तम्बाकू स्ट्रीट थाना कोतवाली से जमानत धनराशि वसूल कर माननीय न्यायालय में फाइल करने हेतु तारीख 25 अक्तूबर, 2007, 11 जनवरी, 2012, 18 जनवरी, 2013, 5 फरवरी, 2013, 25 फरवरी, 2013, 25 फरवरी, 2013, 29 मार्च, 2013, 7 जून, 2013, 8 नवंबर, 2013, 16 जनवरी, 2014 को निर्गत किए गए वसूली अधिपत्र के संबंध में जमानतदारों के पते को थाना कोतवाली द्वारा सत्यापित किया गया था परन्तु बाद में यह आख्या प्रेषित की जाने लगी कि जमानतदारों का पता नहीं लग पा रहा है । यह भी उल्लेखनीय है कि प्रभारी निरीक्षक की आख्या तारीख 30.6.2014 के अनुसार माननीय न्यायालय के निर्देश तारीख 11 जून, 2014 के अनुपालन में उक्त दोनों जमानतदारों की खोजबीन की गई तो जामिनान नवाब अली पुत्र अशरफ अली नि. तम्बाकू स्ट्रीट थाना कोतवाली का, वर्तमान में श्रीमती फूलजहां पत्नी इब्राहिम निवासी घोसियान मस्जिद के पास गली सं. 7 चक्कर की मिलक थाना सिविल लाइन में रहना पाया गया । यदि थाना कोतवाली के कर्मचारियों द्वारा माननीय न्यायालय के पूर्व आदेशों

को गम्भीरता से लेकर जामिनान की खोजबीन की जाती तो पूर्व में ही जामिनान के संबंध में रिपोर्ट माननीय न्यायालय को प्रेषित की जा सकती थी तथा माननीय न्यायालय को इतने अधिपत्र निर्गत करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती, परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि थाना कोतवाली के उक्त कर्मचारियों द्वारा माननीय न्यायालय के आदेशों को गम्भीरता से नहीं लिया गया जो उनकी स्थिल कार्यप्रणाली एवं लापरवाही का परिचायक है जिसके लिए मौ. आरिफ खान उ. नि. हाल तैनाती थाना कटघर, श्री बी. एल. यादव उ. नि. थाना कोतवाली, श्री अख्तर अली है कां. पी. थाना कोतवाली, आरक्षी रिंकू कुमार एवं आरक्षी गिरिराज सिंह थाना कोतवाली दोषी है ।"

जांच आख्या में यह भी बताया गया कि याची को उसके अभिकथन अभिलिखित कराने के लिए कई बार मौखिक व लिखित रूप से बुलाया गया था, परन्तु याची ने अपना अभिकथन अभिलिखित नहीं कराया ।

3. उक्त जांच आख्या के आधार पर, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जिला मुरादाबाद ने याची को 'कारण बताओ नोटिस', तारीख 5 अक्तूबर, 2014 को निर्गत किया, जिसमें याची पर निम्न कृत्य में लापरवाही, उदासीनता एवं अकर्मण्यता का आरोप लगाया गया :–

"वर्ष 2014 में जब आप जिला मुरादाबाद में थाना कोतवाली पर नियुक्त थे तब माननीय न्यायालय में विचाराधीन आपराधिक प्रकीर्ण सं. 11/07 के अधीन दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 446 थाना सिविल लाइन से संबंधित मामले में जामिनान 1. अब्दुल शरीफ पुत्र अब्दुल रशीद, निवासी लाल मस्जिद थाना कोतवाली, मुरादाबाद, 2. नवाब अली पुत्र अशरफ अली, निवासी तम्बाकू स्ट्रीट थाना कोतवाली से जमीन धनराशि वसूल कर माननीय न्यायालय में फाइल करने हेतु लगातार वसूली अधिपत्र निर्गत किए जा रहे थे और इन वसूली अधिपत्रों पर जमानतदारों के पते थाना कोतवाली द्वारा सत्यापित किए गए थे, परन्तु बाद में आपके समय में

निर्गत वसूली अधिपत्रों पर यह भ्रामक आख्या प्रेषित की जाने लगी कि जमानतदारों का पता नहीं लग पा रहा है । जबकि प्रभारी निरीक्षक कोतवाली की आख्या तारीख 30 जून, 2014 के अनुसार जामिनान नवाब अली पुत्र अशरफ अली, निवासी उपरोक्त वर्तमान में श्रीमती फूलजहां पत्नी इब्राहीम, निवासी घोसियान मस्जिद के पास, गली सं. 7 चक्कर की मिलक थाना सिविल लाइन में रहना पाया गया । यदि आपके द्वारा माननीय न्यायालय के पूर्व के आदेशों को गम्भीरता से लेकर जामिनान की खोजबीन की जाती तो पूर्व में ही जामिनान के संबंध में रिपोर्ट माननीय न्यायालय प्रेषित की जा सकती थी । भ्रामक आख्या प्रेषित किए जाने पर माननीय न्यायालय द्वारा कड़ी आपत्ति प्रकट करने पर मामले में सम्पादित कराई गई, प्रारम्भिक जांच आख्या में आपकी शिथिल कार्यप्रणाली एवं लापरवाही परिलक्षित हुई है । अतः माननीय न्यायालय से निर्गत अधिपत्रों पर बिना छानबीन किए लापरवाही से रिपोर्ट लगाकर माननीय न्यायालय को वापस कर देना, आपके अपने कर्तव्य पालन के प्रति घोर लापरवाही, उदासीनता एवं अकर्मण्यता का परिचायक है ।

अतः आपको यह कारण बताओ नोटिस इस निर्देश के साथ निर्गत किया जा रहा है कि आप इस नोटिस की प्राप्ति के 15 दिवस के अन्दर अपना लिखित स्पष्टीकरण इस कार्यालय में अधिकारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली-1991 के नियम – 14(2) के अधीन 10 दिवस के वेतन के समतुल्य अर्थदण्ड से दण्डित कर दिया जाए । यदि आपका लिखित स्पष्टीकरण निर्धारित अवधि में इस कार्यालय में प्राप्त हो जाता है तो उस पर पूर्ण सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए अन्तिम आदेश पारित किए जाएंगे । यदि आपका लिखित स्पष्टीकरण निर्धारित अवधि में इस कार्यालय में प्राप्त नहीं होता है तो पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं गुण-दोष के आधार पर निर्णय लेते हुए एकपक्षीय अन्तिम आदेश पारित कर दिए जाएंगे । यदि आप पत्रावली का अवलोकन करना चाहते हैं

तो निर्धारित अवधि में किसी भी कार्य दिवस में पत्रावली का अवलोकन कर सकते हैं ।"

4. उक्त वर्णित 'कारण बताओ नोटिस' का स्पष्टीकरण याची ने दिया तथा नोटिस वापस लेने की प्रार्थना की। याची ने कहा कि मामले के संबंधित बीट क्षेत्र जो तम्बाकू स्ट्रीट व लाल मस्जिद क्षेत्र में था वह याची को आबंटित नहीं था । वह अन्य आरक्षी को आबंटित था । स्पष्टीकरण का मुख्य अंश निम्न है :–

"2. श्रीमान जी सम्मान स्पष्टीकरणदाता स्पष्टीकरण के माध्यम से उपरोक्त आरोप के संबंध में अवगत कराना चाहता है । स्पष्टीकरण दाता की नियुक्ति थाना कोतवाली पर बीट नई बस्ती फीलखाना क्षेत्र आबंटित था, जो कि बीट क्षेत्र आबंटित का थाना कोतवाली नई बस्ती चौकी क्षेत्र का आबंटित नक्शा संलग्न स्पष्टीकरण है जो कि निर्देश साबित होने का अभिलिखित साक्ष्य है, कारण बताओ नोटिस में उक्त मामले से संबंधित बीट क्षेत्र तम्बाकू स्ट्रीट व लाल मस्जिद क्षेत्र अभिलिखित है, वह अन्य आरक्षियों को आबंटित है इस संबंध में प्रारम्भिक जांच अधिकारी महोदय ने कोई जांच नहीं की है, प्रारम्भिक जांच अधिकारी महोदय को चाहिए था कि स्पष्टीकरणदाता के कथन अभिलिखित करते, आबंटित बीट क्षेत्र के संबंध में जानकारी अभिलिखित करते तथा संबंधित बीट क्षेत्र वाले आरक्षियों के भी कथन अभिलिखित करके प्रश्नोत्तर करते तथा बीट क्षेत्र नक्शे का अवलोकन करते, तब आरोप अभिलिखित करने चाहिए थे, प्रारम्भिक जांच अधिकारी महोदय ने ऐसा नहीं किया अपने मनमाने तरीके से बिना बचाव का अवसर प्रदान किए आरोप अभिलिखित कर दिया जिसका पुष्टि का कारक साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। इस परिप्रेक्ष्य में भी स्पष्टीकरण दाता को प्राप्त कारण बताओ नोटिस का स्पष्टीकरण स्वीकार करने का पर्याप्त आधार है ।"

5. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जिला मुरादाबाद, ने याची द्वारा दिए

गए स्पष्टीकरण व पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों के परिशीलन के उपरान्त स्पष्टीकरण को असंतोषजनक पाया तथा याची को 10 दिवस के वेतन के समतुल्य अर्थदण्ड से दण्डित किए जाने का आदेश तारीख 13 मई, 2016 को पारित किया । इस आदेश में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट रूप से कहा कि :–

> "क्योंकि आरोपित आरक्षी द्वारा यदि जामिनान अब्दुल शरीफ पुत्र अब्दुल रशीद निवासी लाल मस्जिद थाना कोतवाली एवं नवाब अली पुत्र अब्दुल रशीद निवासी तम्बाकू स्ट्रीट से जमानत धनराशि वसूल कर माननीय न्यायायल में फाइल किए जाने हेतु निर्गत किए गए वसूली अधिपत्र के संबंध में माननीय न्यायालय के पूर्व आदेशों को गम्भीरता से लेकर जामिनान की खोजबीन की जाती तो पूर्व में जामिनान के संबंध में रिपोर्ट माननीय न्यायालय के आदेशनुसार हो जाती तो माननीय न्यायालय को विभिन्न तारीखों में इतने अधिपत्र निर्गत करने की आवश्यकता नहीं होती तथा आरोपी आरक्षी को अन्य बीट आरक्षी के भी मामले की गम्भीरता को देखते हुए जानकारी करनी चाहिए थी, किन्तु आरोपी द्वारा ऐसा नहीं किया गया ।"

6. उपरोक्त आदेश के विरुद्ध, याची ने उ. प्र. पुलिस अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की दण्ड एवं अपील नियमावली, 1991 के नियम 20 के अधीन अपील, पुलिस उप महानिरिक्षक, मुरादाबाद परिक्षेत्र, के समक्ष पेश की जिसमें मुख्य रूप से कथन किया :–

> "श्रीमान जी सम्मान सहित प्रार्थी/अपीलार्थी अपील के माध्यम से उपरोक्त आरोप के संबंध में अवगत कराना चाहता है कि प्रार्थी/अपीलार्थी स्पष्ट करना चाहता है कि श्रीमान प्रारम्भिक जांच अधिकारी महोदय ने प्रा. जांच के दौरान न ही तो थाना प्रभारी निरीक्षक के कथन अभिलिखित किए है और न ही संबंधित बीट आरक्षियों के कथन अभिलिखित किए है, न ही किसी स्वतन्त्र साक्षी से यह जानने का प्रयास किया कि जामिनान अब्दुल शरीफ निवासी लाल मस्जिद व नबाव अली तम्बाकू स्ट्रीट कोतवाली क्षेत्र में रहते

है या नहीं रहते है, यह भी जानने का प्रयास नहीं किया, जांच का मतलब होता है कि मौके पर जाकर के जानकारी हासिल करना, लगाए गए आरोपों की पुष्टि करना, प्रा. जांच अधिकारी महोदय ने न तो मौके पर जाकर जांच की है और लगाए गए आरोपों के संबंध में पुष्टि कारक साक्ष्य पत्रावली में शामिल नहीं किया है, निर्दोष साबित होने का चौकी क्षेत्र से संबंधित बीट आबंटित नक्शा की छाया प्रति संलग्न है, जो कि निर्दोष साबित होने का अभिलिखित साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध है, इस परिपेक्ष्य में भी प्रार्थी/अपीलार्थी की अपील स्वीकार किए जाने का पर्याप्त आधार है ।"

7. उपरोक्त अपील को पुलिस उप महानिरिक्षक, मुरादाबाद परिक्षेत्र मुरादाबाद, ने अपने आदेश तारीख 3 नवंबर, 2016 द्वारा अस्वीकार कर दिया है । इस आदेश में याची के तर्क हैं कि वर्तमान मामला बीट क्षेत्र तम्बाकू स्ट्रीट का था, जो अन्य आरक्षियों को आबंटित था, पर विचार किया गया तथा उक्त तर्क को अमान्य, निम्न शब्दों में किया :–

"याची आरक्षी का यह तर्क कि तम्बाकू स्ट्रीट क्षेत्र अन्य भी आरक्षियों को आबंटित था, बलहीन होने के कारण मान्य नहीं है । याची आरक्षी को मामले की प्रारंभिक जांच के मध्य जांचकर्ता अधिकारी के समक्ष यह तर्क प्रस्तुत करने चाहिए थे ताकि जांच से इस संबंध में स्थिति स्पष्ट हो पाती परन्तु प्रारंभिक जांच अधिकारी द्वारा निर्देशित किए जाने के बाद भी याची आरक्षी द्वारा जांच के मध्य अपने कथन अभिलिखित नहीं कराए गए । याची आरक्षी द्वारा अपनी अपील के साथ भी ऐसा कोई साक्ष्य/अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे की बीट क्षेत्र तम्बाकू स्ट्रीट अन्य आरक्षियों को आबंटित होने संबंधी उसके तर्क की पुष्टि हो सके ।"

8. याची ने उक्त आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण याचिका, पुलिस महानिरिक्षक, बरेली क्षेत्र, बरेली के समक्ष पेश की, जो तारीख 31 जनवरी, 2017 को निरस्त कर दी गई आदेश में प्रमुख रूप से अभिनिर्धारित किया कि :–

"पुनरीक्षणकर्ता का तर्क मान्य नहीं है । प्रस्तुत पत्रावली पर

उपलब्ध अभिलेखों के परिशीलन से यह पाया गया कि माननीय न्यायालय में विचाराधीन आपराधिक प्रकीर्ण सं. 11/07 के दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 146 अधीन थाना सिविल लाइन से संबंधित मामले में जामिनान 1. अब्दुल शरीफ पुत्र अब्दुल रशीद, निवासी लाल मस्जिद थाना कोतवाली, मुरादाबाद 2. नवाब अली पुत्र अशरफ अली, निवासी तम्बाकू स्ट्रीट थाना कोतवाली से जमानत धनराशी वसूल कर माननीय न्यायालय में फाइल करने हेतु लगातार वसूली अधिपत्र निर्गत किए जा रहे थे और इन वसूली अधिपत्रों पर जमानतदारों के पता थाना कोतवाली द्वारा सत्यापित किए गए थे, परन्तु बाद में इनके समय में निर्गत वसूली अधिपत्रों पर यह भ्रामक आख्या प्रेषित की जाने लगी कि जमानतदारों का पता नहीं लग पा रहा है, जबकि प्रभारी निरीक्षक, कोतवाली की आख्या तारीख 30 जून, 2014 के अनुसार जामिनान नवाब अली पुत्र अशरफ अली निवासी उपरोक्त वर्तमान में श्रीमती फूलजहां पत्नी इब्राहीम, निवासी घोसियान मस्जिद के पास गली सं. 7 चक्कर की मिलक थाना सिविल लाईन्स में रहना पाया गया । यदि पुनरीक्षणकर्ता द्वारा माननीय न्यायालय के पूर्व के आदेशों को गम्भीरता से लिया जाता, तो पूर्व में ही जामिनान के संबंध में सही रिपोर्ट माननीय न्यायालय प्रेषित की जा सकती थी । भ्रामक आख्या प्रेषित किए जाने पर माननीय न्यायालय द्वारा कड़ी आपत्ति प्रकट की गई । इस प्रकार पुनरीक्षणकर्ता द्वारा बरती गई लापरवाही की पुष्टि होती है, अतः पुनरीक्षणकर्ता का तर्क मात्र बचाव ध्येय से प्रेरित है ।"

9. उपरोक्त आदेश तारीख 13 मई, 2016, 3 नवंबर, 2016 व 31 जनवरी, 2016 से व्यथित होकर याची ने वर्तमान याचिका इस न्यायालय में फाइल की है । प्रति-शपथपत्र व प्रत्युत्तर शपथपत्र फाइल किए जा चुके हैं ।

10. याची के विद्वान् काउंसेल मोहम्मद उमर खां ने कथन किया कि याची के विरुद्ध समस्त कार्यवाही नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के

विरुद्ध की गई है । याची को बीट नई बस्ती फीलखाना क्षेत्र आबंटित था जब कि मामले से संबंधित बीट क्षेत्र तम्बाकू स्ट्रीट से था । जो अन्य आरक्षियों को आबंटित था । याची के विद्वान् अधिवक्ता अपने कथन के समर्थन में ड्यूटी तालिका का अवलोकन भी कराया जो प्रस्तुत याचिका के साथ संलग्न की गई है । जिसमें फीलखाना में आबंटित अपराधियों के नाम उल्लेखित है । परन्तु तम्बाकू स्ट्रीट के आबंटित अपराधियों की सूची उपरोक्त तालिका में नहीं दर्शाई गई है । अन्त में काउंसेल ने दलील दी कि याची की नौकरी साफ छवि वाली रही है व उसकी टिप्पणी उत्कृष्ठ एवं उत्तम रही है ।

11. याची के तर्कों का विरोध करते हुए सरकार के स्थायी अधिवक्ता ने कथन किया कि याची के विरुद्ध 3 आदेश हैं जो तथ्यों व विधि पर समवर्त्ती है । आक्षेपित आदेशों में याची के समस्त तर्कों पर विचार किया गया है । याची का कृत्य, कर्तव्य पालन के प्रति घोर लापरवाही वाला, उदासीनता व अकर्मण्यता वाला रहा है । प्रस्तुत मामले में उच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 226 के अंतर्गत हस्तक्षेप करने का अधिकार क्षेत्र बहुत सीमित है । याची को अपना कथन अभिलिखत कराने के लिए कई बार बुलाया गया था परन्तु याची नहीं आया । अतः प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन न होने का तर्क अमान्य है ।

12. याची व प्रत्यर्थी के विद्वान् काउंसेल को सुना व याचिका प्रति-शपथपत्र, प्रत्युत्तर शपथपत्र व अन्य दस्तावेजों का परिशीलन गहनतापूर्वक किया ।

13. सर्वप्रथम यह विचार करना है कि उच्च न्यायालय, अनुच्छेद 226 के अधिकार क्षेत्र के अधीन विभागीय जांच के मामलों में कब और किस सीमा तक हस्तक्षेप कर सकता है । इस विषय पर उच्चतम न्यायालय के कुछ निर्णय उल्लेखनीय है ।

(i) **संजय कुमार सिंह** बनाम **भारत सरकार व अन्य**[1] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने प्रतिपादित किया कि विभागीय जांच के मामलों

---

[1] (2011) 14 एस. सी. सी. 692.

में न्यायालय की भूमिका सीमित है एवं विभागीय प्राधिकारियों द्वारा सभी पक्षकारों को सुनकर व पत्रावली पर विचार के उपरान्त दिए गए मत के स्थान पर न्यायालय अपना मत प्रतिस्थापित नहीं कर सकता है । (कण्डिका 22)

(ii) **ललित पोपली** बनाम **केनरा बैंक**[1] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया कि उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 की अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए अपीली प्राधिकरण की तरह कार्य नहीं कर सकता है । न्यायिक पुन: निरीक्षण क्षेत्राधिकार का, अपीली प्राधिकरण की तरह उपयोग नहीं किया जा सकता है । (कण्डिका 17)

14. वर्तमान मामले में विभागीय जांच आख्या, अपीली अधिकारी व पुनरीक्षण अधिकारी ने समस्त पत्रावली व याची द्वारा प्रस्तुत किए गए सभी तर्कों पर विचार करके ही याची के विरुद्ध आरोप को सत्य पाया व उसको सजा दी गई । याची के विद्वान् अधिवक्ता ने पुरजोर कथन किया है कि याची के अधिकार क्षेत्र में वह बीट क्षेत्र नहीं था जिसमें अभियुक्त का निवास था । अतः वह उस क्षेत्र में नहीं जा सकता था । इसलिए उसने कोई गलत कृत्य नहीं किया । याची के इस बचाव को अपीली अधिकारी ने विचार किया है और स्पष्ट रूप से कहा है कि :–

> "परन्तु प्रारंभिक जांच अधिकारी द्वारा निर्देशित किए जाने के बाद भी याची आरक्षी द्वारा जांच के मध्य अपने कथन अभिलिखित नहीं कराए गए । याची आरक्षी द्वारा अपनी अपील के साथ भी ऐसा कोई साक्ष्य/अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे की बीट क्षेत्र तम्बाकू स्ट्रीट अन्य आरक्षियों को आबंटित होने संबंधी उसके तर्क की पुष्टि हो सके ।"

अतः यह तर्क बलहीन होने के कारण अस्वीकार किया जाता है ।

15. याची को बार-बार अपना उत्तर देने के लिए बुलाया गया था, परन्तु याची ने सूचना होने के बाद भी जबाव फाइल नहीं किया अतः नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का परिपालन न होने का तर्क, दस्तावेज पर

---

[1] (2003) 3 एस. सी. सी. 583.

उपस्थित साक्ष्य के विपरित है । अतः यह तर्क भी अमान्य किया जाता है ।

16. याची ने न्यायालय द्वारा निर्गत अधिपत्र को अभियुक्त को प्रेषित करने की कोशिश नहीं की । याचिका पर उपस्थित दस्तावेजों के अनुसार याची ने अधिपत्र को प्रेषित करने के लिए उचित कदम नहीं उठाए तथा न्यायालय के समक्ष भ्रामक आख्या पेश की । यह समस्त कृत्य याची द्वारा स्थिल कार्यवाही व लापरवाही के परिचायक है । वर्तमान मामले में याची को दिया गया दण्ड भी असंगत नहीं कहा जा सकता है ।

17. संवैधानिक न्यायालय अपने न्यायिक पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र के अधीन, अनुशासनात्मक कार्यवाही में हस्तक्षेप तब ही कर सकता है, जब उक्त कार्यवाही का निष्कर्ष विकृत या आधारहीन हो । परन्तु वर्तमान मामले में याची यह साबित करने में असमर्थ रहा कि उसके विरुद्ध की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही का निष्कर्ष विकृत या आधारहीन था । अतः वर्तमान मामले में यह न्यायालय अनुच्छेद 226 के अंतर्गत याची को कोई राहत नहीं दे सकता है ।

18. याची ऐसा कोई तथ्य इस न्यायालय के सामने लाने में असमर्थ रहा है, जिससे अनुच्छेद 226 की शक्तियों का उपयोग किया जा सके । अतः वर्तमान याचिका बलहीन होने के कारण अस्वीकार की जाती है । व्यय पर कोई आदेश पारित नहीं किया जा रहा है ।

याचिका नामंजूर करके निपटान किया गया ।

मही./क.

सोनू यादव*

बनाम

उत्तर प्रदेश शासन और अन्य

(2019 की रिट 'ए' संख्या 4577)

तारीख 8 जनवरी, 2021

न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी

संविधान, 1950 – अनुच्छेद 226 [सपठित भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 323/504] – सीधी भर्ती द्वारा चयन प्रक्रिया – याची द्वारा आरक्षी के पद पर ऑनलाइन आवेदन किया जाना – रजिस्ट्रेशन संख्या आबंटित किया जाना – आवश्यक तथ्य छुपाए जाने के आधार पर याची का परीक्षण रोका जाना – यदि किसी चयन प्रकिया के दौरान पता चलता है कि आवेदक (याची) ने किसी आवश्यक तथ्य (जैसे आपराधिक मामला इत्यादि) को छुपाया है किन्तु संबंधित मामले का निपटारा हो गया है और उसने यह घोषित किया है कि उसने कभी भी दोषसिद्ध नहीं किया है तो यह कृत्य तथ्य छिपाने की कोटि में नहीं आएगा, अतएव उसके परीक्षण रोके जाने का आदेश निरस्त होने योग्य है और निरस्त कर दिया जाएगा ।

वर्तमान याचिका में, याचिकाकर्ता/अभ्यर्थी ने पुलिस आरक्षी व आरक्षी पी.ए.सी. के पदों पर सीधी भर्ती वर्ष 2015 के अन्तर्गत पुलिस आरक्षी पद पर भर्ती किए जाने के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र तारीख 19 फरवरी, 2016 को प्रस्तुत किया था, जिसका रजिस्ट्रेशन नम्बर 10217540181 आबंटित किया गया । उ. प्र. पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ द्वारा चयन प्रक्रिया की अर्हता पूर्ण करने के फलस्वरूप याचिकाकर्ता/अभ्यर्थी के गृह जनपद में पुलिस अधीक्षक, गाजीपुर द्वारा शारीरिक परीक्षण (नाप-तौल), स्वास्थ्य परीक्षण एवं चरित्र सत्यापन की

---

* मूल निर्णय हिन्दी में है ।

कार्यवाही पूर्ण कराने के उपरान्त जे.टी.सी. प्रशिक्षण हेतु, आबंटित किए गए जनपद गाजीपुर के पुलिस अधीक्षक को नियुक्ति आदेश निर्गत किए जाने के लिए पत्रावली प्रेषित की गई । पुलिस अधीक्षक, गाजीपुर द्वारा याचिकाकर्ता/अभ्यर्थी की शारीरिक एवं स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त, चरित्र सत्यापन की कार्यवाही कराई गई । थानाध्यक्ष बिनरो जनपद गाजीपुर के चरित्र सत्यापन की आख्या तारीख 26 जून, 2018 के अनुसार याचिकाकर्ता/अभ्यर्थी के विरुद्ध एक एन.सी.आर. संख्या 76/2018 अंतर्गत धारा 323/504 भा. दं. सं. थाना बिनरो, जनपद गाजीपुर में पंजीकृत होने के कारण, उसके चरित्र सत्यापन की संस्तुति नहीं की गई । इसके उपरान्त प्रकरण में जिलाधिकारी गाजीपुर के पत्र संख्या 55/15-जे.ए./2018 तारीख 20 अगस्त, 2018 के द्वारा अवगत कराया गया कि संयुक्त निदेशक, अभियोजन गाजीपुर से प्राप्त आख्यानुसार, अभ्यर्थी के विरुद्ध एन.सी.आर. संख्या 76/2018 अन्तर्गत धारा 323/504 भा. दं. सं., में दोनों पक्षों के बीच आपस में तारीख 28 जून, 2018 को सुलह हो गया है तथा अभ्यर्थी के विरुद्ध अन्य कोई विपरीत तथ्य नहीं है, जिसके दृष्टिगत अभ्यर्थी के चयन हेतु कोई आपत्ति नहीं है । न्यायालय द्वारा याचिका मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – वर्तमान मामले में, सर्वप्रथम यह निर्धारित करना है कि, क्या वर्तमान प्रकरण में अभ्यर्थी द्वारा आपराधिक मामले की तथ्यात्मक सूचना, जानबूझकर छुपाई गई है तथा क्या अभ्यर्थी द्वारा शपथपत्र दाखिल करने के बाद, बहुत कम समयान्तराल में आपराधिक मामले की सूचना को सक्षम अधिकारी के समक्ष उल्लेखित करने का कृत्य, उसकी सद्भावना को दृष्टिगत करता है ? पत्रावली में परिशीलन से यह विदित है कि, सर्वप्रथम अभ्यर्थी ने पुलिस आरक्षी का आवेदन तारीख 19 फरवरी, 2016 को ऑनलाइन प्रस्तुत किया जिसमें उसने यह घोषित किया कि उसको कभी भी दोषसिद्ध नहीं किया गया । जो आविवादित रूप से सत्य था । इसी क्रम में अभ्यर्थी के एक शपथपत्र तारीख 4 जून, 2018 को सत्यापित किया जिसमें यह घोषित किया कि "यह कि मेरे विरुद्ध कोई आपराधिक मुकदमा/मामला मेरी जानकारी में कभी पंजीकृत नहीं हुआ न

ही कोई पुलिस विवेचना (INVESTIGATION) लम्बित है ।" यह भी विदित है कि इससे पूर्व 5 मई, 2018 एक एन.सी.आर. अभ्यर्थी के विरुद्ध पंजीकृत हो गई थी । जिसकी सूचना शपथपत्र तारीख 22 जून, 2018 व सुलहनामे की सूचना शपथपत्र तारीख 16 जुलाई, 2018 के द्वारा सक्षम अधिकारी को दे दी गई थी । थानाध्यक्ष बिरनो जनपद गाजीपुर के चरित्र सत्यापन की आख्या तारीख 26 जून, 2018 के अनुसार एन.सी.आर. पंजीकृत की सूचना पुलिस प्राधिकारी को दी गई । अतः यह कहना की एन.सी.आर. की सूचना जानकारी होते भी जानबूझ के छुपाई, प्रकरण के तथ्यों से परिलक्षित नहीं होता है, क्योंकि 1½ मास के भीतर ही अभ्यर्थी ने सही सूचना पुलिस अधीक्षक व जिलाधिकारी को प्रेषित कर दी थी । यहां यह भी उल्लेखनीय है कि जिलाधिकारी, गाजीपुर ने सुलहनामें के तथ्यों का संज्ञान लेते हुए अभ्यर्थी के चयन की अनापत्ति भी तारीख 20 अगस्त, 2018 को पुलिस अधीक्षक गाजीपुर को प्रेषित कर दी थी । अतः वर्तमान प्रकरण में अभ्यर्थी का कृत्य सद्भावनापूर्ण रहा है । उपरोक्त विश्लेषण के फलस्वरूप पुलिस अधीक्षक, अम्बेडकर नगर द्वारा पारित आक्षेपित आदेश तारीख 27 फरवरी, 2019 निरस्त करने योग्य है, अतः निरस्त किया जाता है तथा विपक्षीगण को आदेशित किया जाता है कि वो अभ्यर्थी/याचिकाकर्ता (सोनू यादव) को अविलम्ब प्रशिक्षण की अनुमति प्रदान करें । (पैरा 4.4, 4.5, 4.6 और 5)

निर्दिष्ट निर्णय

पैरा

[2016] (2016) 8 एस. सी. सी. 471 :

अवतार सिंह बनाम **भारत सरकार व अन्य** । 1

रिट (सिविल) अधिकारिता : 2019 की रिट 'ए' सं. 4577.

संविधान, 1950 के अनुच्छेद 226 के अधीन रिट याचिका ।

याची की ओर से सर्वश्री विजय गौतम, मोहम्मद फहद, संजीव सिंह और सुरेश बहादुर सिंह

प्रत्यर्थी की ओर से मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी –

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य

1.1 याचिकाकर्ता/अभ्यर्थी ने पुलिस आरक्षी व आरक्षी पी. ए. सी. के पदों पर सीधी भर्ती वर्ष 2015 के अन्तर्गत पुलिस आरक्षी पद पर भर्ती किए जाने के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र तारीख 19 फरवरी, 2016 को प्रस्तुत किया था, जिसका रजिस्ट्रेशन नम्बर 10217540181 आबंटित किया गया ।

1.2 उ. प्र. पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ द्वारा चयन प्रक्रिया की अर्हता पूर्ण करने के फलस्वरूप याचिकाकर्ता/अभ्यर्थी के गृह जनपद में पुलिस अधीक्षक, गाजीपुर द्वारा शारीरिक परीक्षण (नाप-तौल), स्वास्थ्य परीक्षण एवं चरित्र सत्यापन की कार्यवाही पूर्ण कराने के उपरान्त जे.टी.सी. प्रशिक्षण हेतु, आबंटित किए गए जनपद गाजीपुर के पुलिस अधीक्षक को नियुक्ति आदेश निर्गत किए जाने के लिए पत्रावली प्रेषित की गई ।

1.3 पुलिस अधीक्षक, गाजीपुर द्वारा याचिकाकर्ता/अभ्यर्थी की शारीरिक एवं स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त, चरित्र सत्यापन की कार्यवाही कराई गई । थानाध्यक्ष बिनरो जनपद गाजीपुर के चरित्र सत्यापन की आख्या तारीख 26 जून, 2018 के अनुसार याचिकाकर्ता/अभ्यर्थी के विरुद्ध एक एन.सी.आर. संख्या 76/2018 अंतर्गत धारा 323/504 भा. दं. सं. थाना बिनरो, जनपद गाजीपुर में पंजीकृत होने के कारण, उसके चरित्र सत्यापन की संस्तुति नहीं की गई ।

1.4 इसके उपरान्त प्रकरण में जिलाधिकारी, गाजीपुर के पत्र संख्या 55/15-जे.ए./2018 तारीख 20 अगस्त, 2018 के द्वारा अवगत कराया गया कि संयुक्त निदेशक, अभियोजन गाजीपुर से प्राप्त आख्यानुसार, अभ्यर्थी के विरुद्ध एन.सी.आर. संख्या 76/2018 अन्तर्गत धारा 323/504 भा. दं. सं., में दोनों पक्षों के बीच आपस में तारीख 28 जून, 2018 को सुलहनामा हो गया है तथा अभ्यर्थी के विरुद्ध अन्य कोई विपरीत तथ्य नहीं है । जिसके दृष्टिगत अभ्यर्थी के चयन हेतु कोई आपत्ति नहीं है ।

1.5 इसी क्रम में अभ्यर्थी, आबंटित जिला के प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित हुआ पर उसको प्रशिक्षण के लिए अनुमति प्रदान नहीं की गई । अतः अभ्यर्थी ने इस न्यायालय के समक्ष रिट 'ए' सं. 21425/2018 दाखिल की, जो इस न्यायालय के आदेश तारीख 20 नवंबर, 2018 द्वारा निस्तारित की गई व आदेशित किया गया कि पुलिस अधीक्षक, अम्बेडकर नगर, अभ्यर्थी के आवेदन को, उच्चतम न्यायालय द्वारा **अवतार सिंह** बनाम **भारत सरकार व अन्य**[1] वाले मामले में पारित निर्णय में उल्लेखित सिद्धान्तों के परिप्रेक्ष्य में विधिनुसार निस्तारित करें ।

1.6 इस क्रम में अभ्यर्थी ने पुलिस अधीक्षक, अम्बेडकर नगर को आवेदन कर निवेदन किया कि :–

(i) अभ्यर्थी ने सत्यापन प्रपत्र तारीख 4 जून, 2018 को नियुक्ति प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया था, परन्तु उसमें जानकारी के अभाव में किसी भी आपराधिक मामले की जानकारी प्रदान नहीं कराई थी, जबकि उसके विरुद्ध एक एन.सी.आर तारीख 5 मई, 2018 को धारा 323/504 भा. दं. सं. के अन्तर्गत पंजीकृत थी ।

(ii) उपरोक्त सत्यापन प्रपत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त, उपरोक्त एन.सी.आर. की जानकारी अभ्यर्थी को मिली तथा इसके उपरान्त अभ्यर्थी का वादी से आपसी सुलहनामा 28 जून, 2018 को हो गया व इस आशय का एक शपथपत्र तारीख 16 जुलाई, 2018 को जिलाधिकारी, गाजीपुर के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया ।

(iii) इसके पूर्व ही अभ्यर्थी ने, शपथपत्र तारीख 22 जून, 2018 के माध्यम से उसके विरुद्ध एन.सी.आर. पंजीकृत होने की सूचना जिलाधिकारी, गाजीपुर को प्रेषित की कर दी थी तथा उसकी एक प्रति पुलिस अधीक्षक गाजीपुर को भी प्रेषित कर दी थी ।

(iv) इसके उपरान्त जिलाधिकारी, गाजीपुर ने उपरोक्त सुलहनामा का संज्ञान लेते हुए, अभ्यर्थी के पक्ष में चयन हेतु अनापत्ति पत्र तारीख 20 जुलाई, 2018 को, पुलिस अधीक्षक गाजीपुर को प्रेषित भी कर दिया ।

---

[1] (2016) 8 एस. सी. सी. 471.

1.7 इस न्यायालय के आदेश तारीख 20 नवंबर, 2018 के अनुसार अभ्यर्थी के निवेदन का निस्तारण पुलिस अधीक्षक, अम्बेडकर नगर द्वारा 27 फरवरी, 2019 को किया गया, जिसके द्वारा अभ्यर्थी का अभ्यर्थन/चयन निरस्त करने का आदेश दिया गया । आदेश के मुख्य अंश निम्न है :–

> "15. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विभाग की नियमावली, भर्ती की विज्ञप्ति, कार्मिक विभाग के उक्त शासनादेश एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उक्त निर्णयों से यह स्पष्ट होता है कि पुलिस विभाग की सेवा संवेदनशील एवं सुरक्षा से संबंधित होने के कारण सभी मापदण्डों पर उत्कृष्ट अभ्यर्थी को ही सेवा दी जानी चाहिए, जिससे सेवा में आने के पश्चात् अभ्यर्थी को अनुचित प्रोत्साहन प्राप्त न हो सकें ।
>
> 16. शासन को उपलब्ध कराए गए अभिलेखों में निहित तथ्यों के अनुसार पक्षकारों द्वारा तारीख 27 जून, 2018 (छायाप्रति संलग्न) को समझौता किया गया है । सुलहनामा थाने के भारसाधक अधिकारी को नोटरी शपथपत्र पर दिया गया है । थाने के भारसाधक अधिकारी के समक्ष दिए गए सुलहनामे को मेरिट पर दोषमुक्ति नहीं की जा सकती है ।
>
> 17. श्री सोनू यादव द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र तारीख 4 जून, 2018 (छायाप्रति संलग्न) में उक्त अभियोगों का उल्लेख उनके द्वारा नहीं किया गया है, इससे स्पष्ट है कि उक्त अभियोग से संबंधित तथ्यों को छिपाया गया है । पुलिस विभाग की सेवा संवेदनशील होने के साथ सुरक्षा से संबंधित है । अपराधों को रोकने एवं अपराधियों को दण्ड दिलवाने का विधिक का विधिक उत्तरदायित्व पुलिस विभाग का है । अतएव इनको पुलिस की सेवा दिए जाने पर उन्हें यह अनुचित प्रोत्साहन प्राप्त हो सकेगा कि वे स्वेच्छा उपहति एवं लोक शान्ति भंग कराने को प्रकोपित कराने के आशय से साशय अपमान हेतु अभियोगों के संबंध में थाना के भारसाधक अधिकारी के समक्ष सुलहनामा दाखिल करा दिए तथा शपथपत्र में उक्त तथ्यों का भी उल्लेख नहीं किया । अतएव याची/अभ्यर्थी का उक्त अभ्यर्थन/चयन निरस्त होने योग्य है ।"

1.8 उपरोक्त वर्णित आदेश तारीख 27 फरवरी, 2019 वर्तमान आज्ञापत्र याचिका में आक्षेपित है ।

1.9 अभ्यर्थी ने आज्ञापत्र याचिका में मुख्यतया निम्न आधार लिए है :–

(i) तारीख 6 जून, 2018 को सत्यापन शपथपत्र दाखिल करते समय अभ्यर्थी को उसके विरुद्ध एन.सी.आर. तारीख 5 मई, 2018 पंजीकृत होने की जानकारी का अभाव था । इसलिए उक्त का उल्लेख शपथपत्र में नहीं किया था ।

(ii) उपरोक्त एन.सी.आर. की जानकारी प्राप्त होते ही, इस आपराधिक प्रकरण के पंजीकरण की सूचना शपथपत्र तारीख 22 जून, 2018 के माध्यम से जिलाधिकारी, गाजीपुर व पुलिस अधीक्षक, गाजीपुर को प्रेषित किया गया । तदुउपरान्त तारीख 28 जून, 2018 को सुलाहनामा होने पर उसकी भी सूचना तारीख 16 जुलाई, 2018 को शपथपत्र के माध्यम से पुलिस अधीक्षक व जिलाधिकारी, गाजीपुर को भी प्रेषित की गई । यह तथ्य जिलाधिकारी, गाजीपुर की अभ्यर्थी के चयन हेतु अनापत्ति पत्र तारीख 20 अगस्त, 2018 में भी उल्लेखित है । अतः आपराधिक मामले की जानकारी जानबूझकर नहीं छुपाई गई थी ।

(iii) इस न्यायालय के आदेश तारीख 20 नवम्बर, 2018 में विशिष्ठ निर्देश था कि अभ्यर्थी के आवेदन को उच्चतम न्यायालय के **'अवतार सिंह'** के मामले में पारित निर्णय के सिद्धान्तों के अनुकूल निर्धारित किया जाए, इसके बावजूद, अभ्यर्थी आवेदन मात्र इस कारण से निरस्त कर दिया गया कि सुलहनामे को गुणदोष के आधार पर दोषमुक्ति नहीं माना जा सकता है, जबकि वर्तमान प्रकरण, एन.सी.आर. पंजीकरण से संबंधित था जहां सुलहनामा के बाद विचारण का प्रश्न ही नहीं रह जाता है । अतः आक्षेपित आदेश रद्द किया जाए ।

1.10 प्रतिवादी की ओर से प्रतिशपथपत्र दाखिल किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से कथन किया गया कि :–

(i) उ. प्र. पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी परिपत्र तारीख 22 मई, 2018 के अनुच्छेद 7 में विशिष्ठ रूप से उल्लेखित किया गया है कि "किसी अभ्यर्थी के चरित्र सत्यापन के दौरान कोई प्रतिकूल तथ्य सामने आने पर, उसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अनुपयुक्त घोषित किया जाएगा" तथा अनुच्छेद 8(ज) में उल्लेखित है कि "यदि अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किए गए शपथपत्र में अंकित तथ्य गलत पाए जाए तो भर्ती के लिए अभ्यर्थी का कोई दावा नहीं होगा" ऐसा ही विज्ञापन में भी उल्लेखित है ।

(ii) अभ्यर्थी ने अपने ऊपर लगे आपराधिक मामले की जानकारी छुपाकर सेवा नियुक्त प्राप्त की अर्थात् सेवा नियुक्ति छल से प्राप्त की गई अतः अभ्यर्थी के चयन को निरस्त करने का आदेश उचित है ।

(iii) अभ्यर्थी के शपथपत्र तारीख 4 जून, 2018 को सत्यापित करते समय अपने विरुद्ध एन.सी.आर. पंजीकृत है, इस तथ्य की जानकारी थी, फिर भी मिथ्या शपथपत्र दाखिल किया ।

(iv) **'अवतार सिंह' (पूर्व में उल्लेखित)** निर्णय के अनुसार भी अभ्यर्थी के विरुद्ध पारित चयन को निरस्त करने का आदेश न्यायोचित है ।

1.11 अभ्यर्थी द्वारा प्रतिउत्तर शपथपत्र भी दाखिल किया जिसमें आज्ञापत्र याचिका के कथनों का समर्थन किया ।

अभ्यर्थी के पक्ष में निवेदन

2. संजीव सिंह व उनके सहायक सुरेश बहादुर सिंह, अभ्यर्थी के विद्वान् अधिवक्ताओं ने मुख्य रूप से निवेदन किया कि :–

(i) अभ्यर्थी को शपथपत्र सत्यापित करते समय, उसके विरुद्ध कोई एन.सी.आर. पंजीकृत थी, इसकी जानकारी नहीं थी, अतः इसकी सूचना शपथपत्र में नहीं दी थी । प्रकरण में जानकारी का अभाव था न कि जानकारी होते हुए भी छिपाने का । शपथपत्र में समस्त जानकारी सद्भावना में उल्लेखित की गई थी ।

(ii) अभ्यर्थी ने अपने विरुद्ध एन.सी.आर. तारीख 5 मई, 2018 पंजीकृत होने की सूचना प्राप्त होने पर तुरंत ही इसकी जानकारी शपथपत्र तारीख 22 जून, 2018 के माध्यम से जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक गाजीपुर को प्रेषित कर दी अर्थात् एन.सी.आर. पंजीकृत होने के महज 1½ महीने के भीतर ही समस्त जानकारी सक्षम अधिकारी को दे दी गई थी ।

(iii) इसके अतिरिक्त सुलानामा की सूचना भी तारीख 16 जुलाई, 2018 को जिलाधिकारी, गाजीपुर को प्रेषित कर दी गई तथा इस जानकारी के बाद अभ्यर्थी के पक्ष में जिलाधिकारी गाजीपुर ने चयन हेतु अनापत्ति भी तारीख 22 अगस्त, 2018 को दे दी, परन्तु पुलिस प्राधिकारी ने उसका उचित संज्ञान लिए बिना ही अभ्यर्थी के विरुद्ध आदेश पारित कर दिया ।

(iv) उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित **'अवतार सिंह' (पूर्व में उल्लेखित)** के निर्णय के अनुसार अगर आपराधिक मामले की जानकारी जानबूझ कर नहीं छुपाई गई है व अपराध की प्रकृति मामूली हो तो सेवा नियुक्ति के पक्ष में आदेश दिया जा सकता है, जबकि वर्तमान प्रकरण में जानकारी प्राप्त होते ही अभ्यर्थी ने उसके विरुद्ध एन.सी.आर. के पंजीकृत होने की व सुलहनामा होने की जानकारी सक्षम प्राधिकारी को दे दी थी व प्रकरण में अपराध की प्रकृति मामूली है । अभ्यर्थी ने समस्त कार्यवाही सद्भावना से की है । अतः वर्तमान याचिका स्वीकार की जाए ।

प्रतिवादी के पक्ष में कथन

3. अभ्यर्थी के पक्ष के कथन का विरोध करते हुए वेद प्रकाश मिश्रा सरकारी अधिवक्ता ने कथन किया कि :–

(i) अभ्यर्थी ने जानबूझकर अपने ऊपरलंबित आपराधिक मामले की जानकारी छुपाई व छल कपट से सेवा नियुक्ति प्राप्त करने का प्रयास किया ।

(ii) विज्ञापन व परिपत्र में यह विशिष्ठ रूप से उल्लेखित है

कि, चरित्र सत्यापन के दौरान कोई प्रतिकूल तथ्य सामने आने पर उक्त अभ्यर्थी को अनुपयुक्त घोषित किया जाएगा ।

(iii) आक्षेपित आदेश उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित 'अवतार सिंह' के निर्णय के अनुसार ही पारित किया गया है । सुलहनामा के आधार पर दोषमुक्ति स्पष्ट रूप से दोषमुक्त का आदेश नहीं माना जा सकता है ।

विश्लेषण

4. उभयपक्ष के अधिवक्ताओं को सुना व पत्रावली का परिशीलन किया ।

4.1 यह अविवादित है, कि अभ्यर्थी के विरुद्ध तारीख 5 मई, 2018 को एक एन.सी.आर., धारा 323/504 भा. दं. सं. के अंतर्गत पंजीकृत हुई, जिसकी जानकारी अभ्यर्थी द्वारा शपथपत्र तारीख 4 जून, 2018 में नहीं दी गई । प्रथम बार इस एन सी आर के पंजीकृत होने की जानकारी अभ्यर्थी द्वारा शपथपत्र तारीख 22 जून, 2018 के माध्यम से जिलाधिकारी, गाजीपुर को दी गई उपरोक्त एन.सी.आर. में सुलहनामा शपथपत्र तारीख 27 जून, 2018 को सत्यापित हुआ तथा जिसकी जानकारी भी सक्षम अधिकारी को शपथपत्र तारीख 16 जुलाई, 2018 के माध्यम से दी गई, जिसका उल्लेख जिलाधिकारी की चयन अनापत्ति पत्र तारीख 20 अगस्त, 2018 में किया गया है । आक्षेपित आदेश में इस सुलहनामें को कोई महत्व नहीं दिया गया तथा यह निर्धारित किया गया कि अभ्यर्थी द्वारा एन.सी.आर. के पंजीकरण के तथ्य को छिपाया गया ।

4.2 यह भी अविवादित है कि पुलिस विभाग की सेवा एक अनुशासित सेवा है जिसका कर्तव्य अपराधों को रोकना एवं अपराधियों को दण्ड दिलवाने की प्रक्रिया का विधिक उत्तरदायित्व का निर्वहन करना है ।

4.3 उच्चतम न्यायालय द्वारा 'अवतार सिंह' (पूर्व में उल्लेखित) के निर्णय के अनुच्छेद 38 में यह प्रतिपादित किया गया कि :–

"38.1 किसी अभ्यर्थी द्वारा नियोक्ता को दोषसिद्धि, दोषमुक्ति या गिरफ्तारी या किसी लंबित आपराधिक मामले की जानकारी, चाहे वो सेवा में प्रवेश करने से पहले या बाद में दी गई हो, सत्य ही होनी चाहिए और आवश्यक जानकारी को छुपाना या उसका गलत उल्लेख नहीं होना चाहिए ।

38.2 झूठी सूचना देने के लिए सेवाओं की समाप्ति या उम्मीदवारी को रद्द करने का आदेश पारित करते समय नियोक्ता को ऐसी जानकारी देते समय मामले की विशेष परिस्थितियों का, यदि कोई हो, संज्ञान ले सकता है ।

38.3 नियोक्ता निर्णय लेने के समय कर्मचारी के लिए लागू सरकारी आदेशों/निर्देशों/नियमों को ध्यान में रखेगा ।

38.4 किसी ऐसे आपराधिक मामले में शामिल होने की जानकारी का छुपाना या गलत सूचना देना, जिसमें आवेदन/ सत्यापन प्रपत्र भरने से पहले ही दोषसिद्ध या दोषमुक्त कर दिया गया था और ऐसा तथ्य बाद में नियोक्ता के ज्ञान में आता है, तो निम्नलिखित में से कोई भी प्रक्रिया जो उपयुक्त हो अपनाई जा सकती है ।

38.4.1 ऐसे मामलों में जहां दोषसिद्ध का आदेश में अपराध की प्रकृति मामूली हो, जैसे कि कम उम्र में नारे लगाना या एक छोटे से अपराध के लिए, जिसका अगर खुलासा किया जाता तो भी, अभ्यर्थी प्रश्नगत पद के लिए आयोग्य नहीं हो जाता, तो नियोक्ता अपने विवेक से इस तथ्य को छुपाने व गलत जानकारी देने के कृत्य की उपेक्षा या कमी को क्षमा कर सकता है ।

38.4.2 जहां दोषसिद्ध ऐसे मामले में हुआ हो, जो मामूली प्रकृति का नहीं है, तब नियोक्ता कर्मचारी की उम्मीदवारी या सेवाओं को निरस्त कर सकता है ।

38.4.3 अगर पहले से ही तकनीकी आधार पर नैतिक क्रूरता या जघन्य/गंभीर प्रकृति के अपराध से जुड़े मामले में दोषमुक्त का

आदेश पारित किया जा चुका है और यह स्पष्ट रूप से दोषमुक्त का मामला नहीं है, या उचित संदेह का लाभ दिया गया है, तो नियोक्ता, कर्मचारी के पूर्ववर्ती रहन-सहन व सभी प्रासंगिक तथ्य पर विचार कर के कर्मचारी की निरंतरता के प्रति, उचित निर्णय ले सकता है ।

38.5 ऐसे मामले में जहां कर्मचारी ने सत्यतापूर्वक पूर्ण हुए आपराधिक मामले की घोषणा की है, नियोक्ता को तब भी पूर्ववर्ती रहन-सहन पर विचार करने का अधिकार है और उसको उम्मीदवार को नियुक्त करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है ।

38.6 यदि मामले में तुच्छ प्रकृति के आपराधिक मामले के लंबित होने का तथ्य को सत्य रूप से चरित्र सत्यापन प्रपत्र में घोषित किया गया है, तो मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में नियोक्ता, अपने विवेक से, ऐसे आपराधिक मामले के निर्णय के अधीन, उम्मीदवार को नियुक्त कर सकता है ।

38.7 कई लंबित आपराधिक मामलों की सूचना को जानबूझकर छुपाने के मामले में इस तरह की असत्य सूचना अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाएगी और नियोक्ता ऐसे व्यक्ति की उम्मीदवारी रद्द करने या सेवाओं को रद्द करने का या नियुक्ति को रद्द करने का उचित आदेश पारित कर सकता है क्योंकि ऐसे व्यक्ति जिसके विरुद्ध कई आपराधिक मामले लंबित हों, उसकी नियुक्ति उचित नहीं हो सकती हैं ।

38.8 आवेदन पत्र भरने के समय यदि उम्मीदवार को यह ज्ञात नहीं हो कि कोई आपराधिक मामला लंबित है, फिर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और नियुक्ति प्राधिकारी अपराध की गंभीरता को देखते हुए निर्णय ले सकेगा ।

38.9 यदि सेवा में कर्मचारी स्थाई हो जाता है, तो सत्यापन आवेदन पत्र में असत्य जानकारी प्रस्तुत करने के आधार पर पदच्युति या सेवामुक्ति के आदेश पारित करने से पूर्व विभागीय जांच करना आवश्यक होगा ।

38.10 छुपाने या गलत जानकारी के निर्धारण के लिए सत्यापन प्रपत्र विशिष्ट होना चाहिए न की अस्पष्ट, केवल ऐसी जानकारी जिसे विशेष रूप से उल्लिखित किया जाना आवश्यक था, की सूचना दी जानी चाहिए । यदि जानकारी नहीं मांगी जाती है, परन्तु प्रासंगिक हो और नियोक्ता की जानकारी में आए तो वह जानकारी अनुकूलता के प्रश्न को संबोधित करते समय एक उद्देश्यपूर्ण रूप में विचारार्थ की जा सकती है । हालांकि, ऐसे मामलों में जहां कोई तथ्य पूछा ही न गया हो तो उसके छुपाने या असत्य सूचना देने पर कार्रवाई नहीं की जा सकती है ।

38.11 इससे पूर्व कि किसी व्यक्ति को 'सप्रेसियो वेरि या सुझावियो फाल्सी' (सत्य का शमन या असत्य का सुझाव) का दोषी ठहराया जाए, तथ्य की जानकारी आवश्यक रूप से उसको कारित होनी चाहिए ।"

(उपरोक्त हिन्दी रूपान्तरण न्यायालय द्वारा किया गया है ।)

4.4 उपरोक्त वर्णित तथ्य व विधिक परिप्रेक्ष्य, में सर्वप्रथम यह निर्धारित करना है कि क्या वर्तमान प्रकरण में अभ्यर्थी द्वारा आपराधिक मामले की तथ्यात्मक सूचना, जानबूझकर छुपाई गई है तथा क्या अभ्यर्थी द्वारा शपथपत्र दाखिल करने के बाद, बहुत कम समयान्तराल में आपराधिक मामले की सूचना को सक्षम अधिकारी के समक्ष उल्लेखित करने का कृत्य, उसकी सद्भावना को दृष्टिगत करता है ?

4.5 पत्रावली में परिशीलन से यह विदित है कि, सर्वप्रथम अभ्यर्थी ने पुलिस आरक्षी का आवेदन तारीख 19 फरवरी, 2016 को ऑनलाइन प्रस्तुत किया जिसमें उसने यह घोषित किया कि उसको कभी भी दोष सिद्ध नहीं किया गया । जो आविवादित रूप से सत्य था ।

4.6 इसी क्रम में अभ्यर्थी के एक शपथपत्र तारीख 4 जून, 2018 को सत्यापित किया जिसमें यह घोषित किया कि "यह कि मेरे विरुद्ध कोई आपराधिक मुकदमा/मामला मेरी जानकारी में कभी पंजीकृत नहीं हुआ न ही कोई पुलिस विवेचना (INVESTIGATION) लम्बित है ।" यह भी विदित है कि इससे पूर्व 5 मई, 2018 एक एन.सी.आर अभ्यर्थी के

विरुद्ध पंजीकृत हो गई थी । जिसकी सूचना शपथपत्र तारीख 22 जून, 2018 व सुलहनामे की सूचना शपथपत्र तारीख 16 जुलाई, 2018 के द्वारा सक्षम अधिकारी को दे दी गई थी । थानाध्यक्ष बिरनो जनपद गाजीपुर के चरित्र सत्यापन की आख्या तारीख 26 जून, 2018 के अनुसार एन.सी.आर. पंजीकृत की सूचना पुलिस प्राधिकारी को दी गई । अतः यह कहना की एन.सी.आर. की सूचना जानकारी होते भी जानबूझ के छुपाई, प्रकरण के तथ्यों से परिलक्षित नहीं होता है, क्योंकि 1½ मास के भीतर ही अभ्यर्थी ने सही सूचना पुलिस अधीक्षक व जिलाधिकारी को प्रेषित कर दी थी । यहां यह भी उल्लेखनीय है कि जिलाधिकारी, गाजीपुर ने सुलहनामे के तथ्यों का संज्ञान लेते हुए अभ्यर्थी के चयन की अनापत्ति भी तारीख 20 अगस्त, 2018 को पुलिस अधीक्षक गाजीपुर को प्रेषित कर दी थी । अतः वर्तमान प्रकरण में अभ्यर्थी का कृत्य सद्भावना पूर्ण रहा है ।

4.6 इसके उपरान्त यह निर्धारित करना है कि क्या एन.सी.आर. जो धारा 323/504 भा. दं. सं. के अन्तर्गत पंजीकृत थी तथा उसमें सुलहनामा भी हो गया है तो ऐसी परिस्थितियों में उच्चतम न्यायालय द्वारा **'अवतार सिंह' (पूर्व में उल्लेखित)** के निर्णय में दिए गए सिद्धान्त की दृष्टि में क्या आक्षेपित आदेश न्याय संगत है ?

4.7 उच्चतम न्यायालय द्वारा **'अवतार सिंह' (पूर्व में उल्लेखित)** के प्रकरण में पारित निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्तों के परिप्रेक्ष्य में यह विदित है कि किसी भी अभ्यर्थी द्वारा नियोक्ता को उसके विरुद्ध सभी पंजीकृत आपराधिक मामले चाहे उसमें उसको दोषसिद्ध या दोषमुक्त किया जा चुका है या लंबित हो की जानकारी सत्यतापूर्वक, सेवा में प्रवेश करने के पूर्व आवश्यक रूप से देनी चाहिए तथा ऐसी जानकारी को छुपाने या असत्य जानकारी देने की दशा में नियोक्ता को ऐसे अभ्यर्थी की उम्मीदवारी या सेवा को निरस्त करने का अधिकार रहेगा । **'अवतार सिंह'** में ऐसे मामलों में नियोक्ता द्वारा निर्णय लेते समय कुछ तथ्य या कारकों को ध्यान में रखने की उपेक्षा की है, जिसके फलस्वरूप अभ्यर्थी द्वारा तथ्यों को छुपाने या असत्य जानकारी देने के कृत्य की उपेक्षा या त्रुटि को क्षमा किया जा सकता है । ऐसे आपराधिक मामले जिसके

अंतर्गत छोटे अपराध या ऐसे अपराध जिसकी प्रकृति मामूली हो और यदि आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय किसी लंबित मामले की जानकारी नहीं हो व बाद में उसकी जानकारी प्राप्त होती है तो अपराध की गंभीरता पर विचार करके नियोक्ता द्वारा उचित निर्णय लिया जा सकता है, इसके अतिरिक्त नियोक्ता, अभ्यर्थी के पूर्व रहन-सहन का भी संज्ञान ले सकता है और मामले की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में भी रख सकता है । उपरोक्त मापदण्डों को अगर वर्तमान प्रकरण के तथ्य व परिस्थितियों में लागू किया जाए तो यह विदित होता है कि वर्तमान प्रकरण में, –

(i) यह नहीं कहा जा सकता है कि अभ्यर्थी को प्रथम स्तर पर आवेदन पत्र भरते समय उसके विरुद्ध एन.सी.आर. के पंजीकरण की सूचना थी । अतः उसने उक्त तथ्य को जानबूझकर नहीं छुपाया था ।

(ii) आवेदन प्रपत्र भरने के 1½ माह के भीतर अभ्यर्थी ने उसके विरुद्ध एक एन.सी.आर. पंजीकृत है, इस तथ्य की जानकारी सक्षम अधिकारी को दे दी थी । बाद में सुलहनामा होने की सूचना भी प्रेषित कर दी थी ।

(iii) एन.सी.आर. धारा 323/504 भा. दं. सं. के अंतर्गत पंजीकृत हुई थी । धारा 323 में वर्णित अपराध जिसमें दोष सिद्ध होने पर एक साल तक की सजा एवं 1,000/- रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है तथा धारा 504 में वर्णित अपराध में दोषसिद्ध होने पर 2 वर्ष तक की सजा व जुर्माने का प्रावधान है । अतः यह अपराध मामूली अपराध की श्रेणी में आएंगे न की किसी संगीन अपराध की श्रेणी में । पत्रावली के परिशीलन से यह तथ्य परिलक्षित नहीं होता है कि प्रकरण में कोई उपहति कारित की गई थी या लोक शांति भंग की संभावना उत्पन्न हुई थी ।

(iv) इसके अतिरिक्त प्रकरण की विशेष परिस्थितियों में कि, अभ्यर्थी ने 1½ मास के भीतर ही एन.सी.आर. की जानकारी नियोक्ता को प्रेषित कर दी थी व अभ्यर्थी व शिकायकर्ता के मध्य

सुलहनामे का तथ्य भी सक्षम प्राधिकारी को दे दिया गया था जिसका जिलाधिकारी ने संज्ञान लेते हुए, अभ्यर्थी के पक्ष में चयन हेतु संस्तुति भी कर दी थीं । अभ्यर्थी के पूर्व रहन-सहन को देखा जाए तो उसके विरुद्ध उक्त एन.सी.आर. के अतिरिक्त कोई और आपराधिक मामला दर्ज नहीं हुआ है । अतः अभ्यर्थी का कृत्य सद्भावना पूर्ण रहा ।

(v) आक्षेपित आदेश के परिशीलन से यह भी विदित है कि आदेश में उपरोक्त वर्णित सिद्धान्तों व प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों का सही संज्ञान नहीं लिया गया है व वर्तमान प्रकरण की तुलना किसी अपराध के विचारण से करके, गलती की है, क्योंकि जबकि वर्तमान प्रकरण में एन.सी.आर. पंजीकृत होने के उपरान्त सुलहनामा हो गया था, अतः अग्रसर कोई कार्यवाही नहीं हुई है । अतः आक्षेपित आदेश तथ्यों व विधिक दृष्टिकोण से न्यायसंगत नहीं है ।

निष्कर्ष

5. उपरोक्त विश्लेषण के फलस्वरूप पुलिस अधीक्षक, अम्बेडकर नगर द्वारा पारित आक्षेपित आदेश तारीख 27 फरवरी, 2019 निरस्त करने योग्य है, अतः निरस्त किया जाता है तथा विपक्षीगण को आदेशित किया जाता है कि वो अभ्यर्थी/याचिकाकर्ता (सोनू यादव) को अविलम्ब प्रशिक्षण की अनुमति प्रदान करें । इस निर्देश के साथ वर्तमान आज्ञापत्र याचिका स्वीकार व अंतिम रूप से निस्तारित की जाती है ।

याचिका मंजूर करते हुए निपटारा किया गया ।

मही./क.

बलवंत गुप्ता

बनाम

सुमन देवी

(2019 की प्रथम अपील संख्या 692)

तारीख 17 नवंबर, 2021

न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल और न्यायमूर्ति कृष्ण पहल

कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 (1984 का 66) – धारा 19 [सपठित हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 और भारतीय दंड संहिता, 1872 की धारा 498क, 323, 504 और 506 तथा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 123] – अपील – पति द्वारा पत्नी की क्रूरता के कारण विवाह-विच्छेद की डिक्री के लिए वाद फाइल किया जाना – पत्नी द्वारा पति के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 498क, 323, 504, 506 के अधीन आपराधिक मामला फाइल किया जाना – दोनों पक्षकारों के मध्य समझौता होना – पत्नी द्वारा समझौते से पलट जाना – इसी आधार पर अपीलार्थी द्वारा विवाह-विच्छेद की डिक्री के लिए अर्जी फाइल किया जाना – अर्जी खारिज किया जाना – यदि अभिलेख पर यह साबित कर दिया जाता है कि पति-पत्नी के बीच समझौता हो गया था और पति-पत्नी अलग-अलग रह रहे हैं तो ऐसी परिस्थितियों में पति के प्रति पत्नी की क्रूरता कारित करने की उपधारणा नहीं की जा सकती है – अतः, क्रूरता और अभित्यजन के आधार पर पति द्वारा फाइल अर्जी खारिज किए जाने योग्य है और कुटुम्ब न्यायालय ने सही ही अर्जी खारिज की है ।

संक्षेप में मामले के तथ्य यह है कि वर्तमान अपील प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, महराजगंज द्वारा तारीख 2 जुलाई, 2019 और 11 जुलाई, 2019 को पारित निर्णय और डिक्री के विरुद्ध फाइल की है । जिसके द्वारा अपीलार्थी पति द्वारा हिन्दू विवाह अधिनियम की

धारा 13 के अधीन फाइल की गई 2017 की वैवाहिक याचिका संख्या 45 को इस निष्कर्ष के साथ खारिज कर दिया है कि अपीलार्थी पति विवाह-विच्छेद के आधार अर्थात् अपनी पत्नी की ओर से क्रूरता और परित्यक्त सिद्ध करने में सक्षम नहीं हुआ । कुटुंब न्यायालय के निष्कर्षों को चुनौती देते हुए, अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल द्वारा यह दलील दी गई है कि प्रत्यर्थी पत्नी ने अपीलार्थी के विरुद्ध विभिन्न आपराधिक मामले फाइल करके क्रूरता कारित की थी । प्रथम मामला, अर्थात् मामला दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के अधीन भारतीय दंड संहिता की धारा 498क, 323, 504, 506 के अधीन 2005 का मामला अपराध संख्या 21 प्रत्यर्थी और उसके कुटुंब के सद्स्यों द्वारा दर्ज कराया गया था । अन्वेषण अधिकारी ने एक अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की थी जिसके बाद विरोध याचिका फाइल की गई । तथापि, उक्त याचिका प्रत्यर्थी पत्नी की अनुपस्थिति में खारिज कर दी गई थी । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अधीन एक आवेदन वर्ष 2006 में फाइल किया था जिसमें दोनों पक्षकारों के मध्य एक समझौता हुआ था । प्रत्यर्थी पत्नी उक्त समझौते के निबंधनों में अपने वैवाहिक घर वापस आ गई थी । वर्ष 2006 में स्थापित दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अधीन कार्यवाही में हुए समझौते की प्रति अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है । न्यायालय द्वारा अपील ना मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – न्यायालय की राय में, प्रत्यर्थी पत्नी द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अधीन फाइल किया गया पूर्व आवेदन समझौते के निबंधनों में विनिश्चित किया गया था जिसके बाद वह अपने वैवाहिक घर चली गई थी । विवाद के कारण पुनः, वह अपने माता-पिता के घर वापस आ गई थी । जिसमें पक्षकारों ने एक-दूसरे के विरुद्ध आरोप-प्रत्यारोप लगाए हैं । इसमें न तो अभिलेख पर कोई साक्ष्य और न ही विवाह-विच्छेद याचिका में कोई प्रकथन किया है जिससे यह दर्शित होता हो कि पत्नी ने पति के ऊपर क्रूरता कारित की थी जबकि वह अपने वैवाहिक घर में रह रही थी । इसमें इसके अतिरिक्त पत्नी द्वारा कोई शारीरिक या मानसिक क्रूरता कारित नहीं की है कि उसने अपने विधिक अधिकारों का प्रकथन करते हुए, बीमारी का उपचार और दहेज की मांग

के लिए अपने पति के विरुद्ध शिकायत करते हुए विधि न्यायालय को समावेदन किया था । पत्नी द्वारा की गई विधिक कार्यवाही एक तरह से या अन्य तरह से समाप्त हो सकती है लेकिन इसके आधार पर कोई प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता । यह नहीं कहा जा सकता कि पत्नी ने अपने विधिक अधिकारों का पालन करते हुए क्रूरता कारित की थी । इसमें विवाह-विच्छेद की ईप्सा करने का कोई अन्य अधिकार नहीं है । अपीलार्थी का प्रकथन यह है कि समझौता दोनों पक्षकारों के मध्य हुआ था और 7 लाख रुपए का संदाय तथ्य का साक्ष्य है कि पत्नी पृथक् रूप से रहने के लिए सहमत हो गई थी परंतु अभिलेख पर प्रस्तुत सामग्री से यह पुष्टि नहीं हुई है, इसके अतिरिक्त, जब विवाह-विच्छेद की मांग करने की याचिका हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 13 के अधीन पक्षकारों के द्वारा फाइल नहीं की गई है । भले ही ऐसी याचिका फाइल की गई होगी, पत्नी कार्यवाही के निष्कर्ष से पूर्व किसी भी समय पर उसे वापस लेने के लिए स्वतंत्र थी । अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल की अंतिम दलील यह है कि पक्षकारों के मध्य विवाह के वर्ष 2006 के पश्चात् सहवास नहीं हो पाया है और इसलिए अपीलार्थी विवाह के असुधार्य आधार पर विवाह-विच्छेद के लिए हकदार है । उक्त आधार हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 के अधीन विवाह-विच्छेद की ईप्सा करने के लिए उपलब्ध नहीं है । कोई विवाह-विच्छेद की डिक्री विवाह के असुधार्य के आधार पर कुटुंब न्यायालय द्वारा मंजूर नहीं की जा सकती, क्योंकि यह हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 के अधीन अधिकार क्षेत्र की परिधि के बाहर होगा । यह न्यायालय कुटुंब न्यायालय अधिनियम की धारा 19 के अधीन अपील की शक्ति का प्रयोग करते हुए हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 की परिधि के बाहर विवाह-विच्छेद की डिक्री मंजूर नहीं कर सकता है । (पैरा 11 और 12)

निर्दिष्ट निर्णय

पैरा

[2018] 2018 (3) एडीजे 446 (डीबी)

श्रीमती सरिता देवी बनाम **अशोक कुमार सिंह** । 12

अपीली (सिविल) अधिकारिता : 2019 की प्रथम अपील संख्या 692.

हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 के अधीन अपील ।

अपीलार्थी की ओर से श्री प्रदीप कुमार

प्रत्यर्थी की ओर से श्री अतुल कुमार पाण्डे

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल ने दिया ।

न्या. अग्रवाल – इस न्यायालय द्वारा बार-बार समय दिए जाने के बावजूद, अपीलार्थी पति यह अभिवाक् देकर अनुपस्थित रहा है कि उसे संबंधित प्रतिष्ठान से छुट्टी नहीं मिल रही है । अपीलार्थी का कोई शपथ पत्र यह प्रदर्शित करने के लिए हमारे समक्ष फाइल नहीं किया है कि उसने इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के लिए छुट्टी आवेदन किया और उसकी छुट्टी का आवेदन सक्षम प्राधिकारी द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है । इस न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी के उपस्थित न होने का बहाना, इसलिए, विश्वास करने योग्य नहीं है । प्रत्यर्थी पत्नी न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रही । निचले न्यायालय का अभिलेख प्राप्त हो गया है । इसलिए, हम अपील की सुनवाई के लिए कार्यवाही करते हैं ।

2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता श्री प्रदीप कुमार, प्रत्यर्थी के विद्वान् अधिवक्ता श्री अतुल कुमार पांडे, को सुना और अभिलेख का परिशीलन किया ।

3. वर्तमान अपील प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, महराजगंज द्वारा तारीख 2 जुलाई, 2019 और 11 जुलाई, 2019 को पारित निर्णय और डिक्री के विरुद्ध फाइल की है । जिसके द्वारा अपीलार्थी पति द्वारा हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 13 के अधीन फाइल की गई 2017 की वैवाहिक याचिका संख्या 45 को इस निष्कर्ष के साथ खारिज कर दिया है कि अपीलार्थी पति विवाह-विच्छेद के आधार अर्थात् अपनी पत्नी की ओर से क्रूरता और परित्यक्त सिद्ध करने में सक्षम नहीं हुआ ।

4. कुटुंब न्यायालय के निष्कर्षों को चुनौती देते हुए, अपीलार्थी के

विद्वान् काउंसेल द्वारा यह दलील दी गई है कि प्रत्यर्थी पत्नी ने अपीलार्थी के विरुद्ध विभिन्न आपराधिक मामले फाइल करके क्रूरता कारित की थी । प्रथम मामला, अर्थात् मामला दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के अधीन भारतीय दंड संहिता की धारा 498क, 323, 504, 506 के अधीन 2005 का मामला अपराध संख्या 21 प्रत्यर्थी और उसके कुटुंब के सदस्यों द्वारा दर्ज कराया गया था । अन्वेषण अधिकारी ने एक अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की थी जिसके बाद विरोध याचिका फाइल की गई । तथापि, उक्त याचिका प्रत्यर्थी पत्नी की अनुपस्थिति में खारिज कर दी गई थी । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अधीन एक आवेदन वर्ष 2006 में फाइल किया था जिसमें दोनों पक्षकारों के मध्य एक समझौता हुआ था । प्रत्यर्थी पत्नी उक्त समझौते के निबंधनों अपने वैवाहिक घर में वापस आ गई थी । वर्ष 2006 में स्थापित दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अधीन कार्यवाही में हुए समझौते की प्रति अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है ।

5. तत्पश्चात् यह दलील दी है कि धारा 498क अर्थात् 2013 का मामला संख्या 175 के अधीन अन्य कार्यवाही पत्नी द्वारा फाइल की गई थी जिसमें समझौता तारीख 6 मार्च, 2013 को मध्यस्थता केंद्र में दोनों पक्षकारों के मध्य हुआ था लेकिन प्रत्यर्थी पत्नी ने उसका सम्मान नहीं किया ।

6. अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अधीन अर्थात् 2014 का मामला संख्या 721 फाइल किया, इसमें पक्षकारों के मध्य इस बात पर सहमति हुई थी कि वे पृथक् रूप से रहेंगे और एक याचिका हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13ख के अधीन उनके द्वारा फाइल की जानी थी । तथापि, प्रत्यर्थी पलट गई थी और आपसी सहमति से विवाह-विच्छेद मांगने वाली याचिका फाइल करने से इनकार कर दिया था । इसके परिणामस्वरूप, अपीलार्थी को वर्ष 2017 में हिन्दू विवाह अधिनिमय की धारा 13ख के अधीन वर्तमान याचिका फाइल करने के लिए बाध्य किया गया ।

7. अनुपूरक शपथपत्र के साथ फाइल किए गए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अधीन 2014 के मामला संख्या 221 में महाराजगंज के कुटुंब न्यायालय द्वारा तारीख 24 मई, 2016 को पारित आदेश के प्रति हमारे समक्ष रखी गई । इसके परिशीलन करने से यह दर्शीत होता है कि समझौते के निबंधनों में, मासिक भरणपोषण देने के बदले, सात लाख रुपए की एकमुश्त राशि अपीलार्थी की पत्नी और पुत्री के लिए संदत्त किए जाने की सहमति हुई थी । तद्नुसार दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अधीन फाइल किए गए आवेदन का निपटारा किया गया ।

8. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी पत्नी ने अपीलार्थी के विरुद्ध आरोप लगाए और यह प्रकथन किया की अपीलार्थी ने उसको अपने घर लाने से इनकार कर दिया था और यद्यपि समझौते के निबंधनों में उसने निर्वाह-भत्ता के रूप में सात लाख रुपए प्राप्त किए थे लेकिन वह कभी भी पृथक् रूप से रहने के लिए या विवाह-विच्छेद का वाद फाइल करने के लिए सहमत नहीं हुई । दहेज की मांग करते हुए अपीलार्थी द्वारा उसके साथ बुरा व्यवहार और प्रताड़ित किया गया और आगे वर्ष 2009 से जब उसे उसकी पुत्री के साथ वैवाहिक घर से बाहर निकाल दिया गया था, अपीलार्थी ने न तो अपनी पत्नी और न ही अपनी पुत्री की देखभाल की थी । प्रत्यर्थी ने पृथक् रूप से रहने के लिए किसी समझौते में आने वाले प्रकथन को कोटिबद्ध तरीके से इनकार किया था ।

9. अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल की दलीलों पर विचार करते हुए और अभिलेख का परिशीलन करते हुए, यह तथ्य ध्यान देने योग्य है कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 के अधीन विवाह-विच्छेद का मामला पत्नी द्वारा क्रूरता के अभिवाक् पर फाइल किया गया है और उक्त अभिवाक् के समर्थन में, केवल अभिलेख पर साक्ष्य पत्नी द्वारा दर्ज कराए गए आपराधिक मामलों के ब्यौरे थे । वर्ष 2017 फाइल की गई धारा 498 के अधीन शिकायत पर सक्षम मजिस्ट्रेट द्वारा विचार किया गया था और तारीख 29 जनवरी, समन करते हुए 2019 के आदेश को पारित किया गया था जिसे 2019 के सं. 38291 धारा 482 के अधीन एक आवेदन में चुनौती का मामला अध्यधीन है जिसमें अंतरिम संरक्षण अपीलार्थी को प्रदान किया गया है ।

10. हम यह उल्लेख कर सकते हैं कि प्रत्यर्थी पत्नी द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अधीन फाइल किया गया पूर्व आवेदन समझौते के निबंधनों में विनिश्चित किया गया था जिसके बाद वह अपने वैवाहिक घर चली गई थी । विवाद के कारण पुनः, वह अपने माता-पिता के घर वापस आ गई थी । जिसमें पक्षकारों ने एक-दूसरे के विरुद्ध आरोप-प्रत्यारोप लगाए हैं । इसमें न तो अभिलेख पर कोई साक्ष्य और न ही विवाह-विच्छेद याचिका में कोई प्रकथन किया है जिससे यह दर्शित होता हो कि पत्नी ने पति के ऊपर क्रूरता कारित की थी जबकि वह अपने वैवाहिक घर में रह रही थी । इसमें इसके अतिरिक्त पत्नी द्वारा कोई शारीरिक या मानसिक क्रूरता कारित नहीं की है कि उसने अपने विधिक अधिकारों का प्रकथन करते हुए, बीमारी का उपचार और दहेज की मांग के लिए अपने पति के विरुद्ध शिकायत करते हुए विधि न्यायालय को समावेदन किया था । पत्नी द्वारा की गई विधिक कार्यवाही एक तरह से या अन्य तरह से समाप्त हो सकती है लेकिन इसके आधार पर कोई प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता । यह नहीं कहा जा सकता कि पत्नी ने अपने विधिक अधिकारों का पालन करते हुए क्रूरता कारित की थी । इसमें विवाह-विच्छेद की ईप्सा करने का कोई अन्य अधिकार नहीं है । अपीलार्थी का प्रकथन यह है कि समझौता दोनों पक्षकारों के मध्य हुआ था और 7 लाख रुपए का संदाय तथ्य का साक्ष्य है कि पत्नी पृथक् रूप से रहने के लिए सहमत हो गई थी परंतु अभिलेख पर प्रस्तुत सामग्री से यह पुष्टि नहीं हुई है, इसके अतिरिक्त, जब विवाह-विच्छेद की मांग करने की याचिका हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 13ख के अधीन पक्षकारों के द्वारा फाइल नहीं की गई है । भले ही ऐसी याचिका फाइल की गई होगी, पत्नी कार्यवाही के निष्कर्ष से पूर्व किसी भी समय पर उसे वापस लेने के लिए स्वतंत्र थी ।

11. अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल की अंतिम दलील यह है कि पक्षकारों के मध्य विवाह के वर्ष 2006 के पश्चात् सहवास नहीं हो पाया है और इसलिए अपीलार्थी विवाह के असुधार्य आधार पर विवाह-विच्छेद के लिए हकदार है । उक्त आधार हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13

के अधीन विवाह-विच्छेद की ईप्सा करने के लिए उपलब्ध नहीं है । कोई विवाह-विच्छेद की डिक्री विवाह के असुधार्य के आधार पर कुटुंब न्यायालय द्वारा मंजूर नहीं की जा सकती, क्योंकि यह हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 के अधीन अधिकार क्षेत्र की परिधि के बाहर होगा । यह न्यायालय कुटुंब न्यायालय अधिनियम की धारा 19 के अधीन अपील की शक्ति का प्रयोग करते हुए हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 की परिधि के बाहर विवाह-विच्छेद की डिक्री मंजूर नहीं कर सकता है ।

12. अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल द्वारा **श्रीमती सरिता देवी** बनाम **अशोक कुमार सिंह**[1] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर लिया गया अवलंब कोई लाभकारी नहीं है, क्योंकि, उक्त मामले में, न्यायालय ने यह पाया है कि पत्नी, मानसिक क्रूरता कारित करने की दोषी थी । इसके अलावा यह विवाह पत्नी के कृत्य कारण असुधार्य होने के कारण टूट गया था ।

13. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हमने कुटुंब न्यायालय के निर्णय में कोई त्रुटि नहीं पाई है, अपील गुणागुण रहित है और तद्नुसार इसे खारिज किया जाता है ।

अपील खारिज की गई ।

मही./क.

---

[1] 2018 (3) एडीजे 446 (डीबी).

सतीश मेहता और अन्य

बनाम

कमलेश्वर साही

(2021 की याचिका सं. 1136)

तारीख 26 नवंबर, 2021

न्यायमूर्ति सिद्धार्थ

संविधान, 1950 – अनुच्छेद 227 – रिट याचिका [सपठित उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराए और बेदखली का विनियमन) अधिनियम, 1972 की धारा 21(1)(क)] – भू-स्वामी द्वारा संपत्ति किराए पर दिया जाना – सद्भाविक आवश्यकता के लिए किराएदार से खाली कराया जाना – किराएदार द्वारा किराए की संपत्ति समय पर खाली न किया जाना – विहित प्राधिकारी द्वारा खाली करने का आदेश दिया जाना – किराएदार द्वारा नोटिस तामील न होना बताया जाना – मूल किराएदार द्वारा अपील फाइल नहीं करने का निर्णय करना – प्रतिस्थापित किराएदार द्वारा नोटिस प्राप्त न होने का दावा करना – यदि न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि प्रतिस्थापित किराएदार जानबूझकर डाक द्वारा भेजे गए नोटिस को प्राप्त नहीं करता है या किसी व्यक्ति को नोटिस प्राप्त करने के लिए अधिकृत नहीं करता है तो यह समझा जाएगा कि किराएदार जानबूझकर ऐसा कर रहा है, किन्तु जब एक बार मूल किराएदार अपील नहीं करने का निर्णय कर लेता है तो प्रतिस्थापित किराएदार द्वारा नोटिस प्राप्त करना या नहीं करना, मामले के गुणागुणों पर कोई प्रभाव नहीं डालता है क्योंकि मूल किराएदार द्वारा अपील नहीं करने का निर्णय लेने से प्रतिस्थापित किराएदार के अपील करने के अधिकार स्वतः समाप्त हो जाते हैं ।

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार है कि भू-स्वामी/प्रत्यर्थी, कमलेश्वर शाही ने सद्भाविक आवश्यकता के आधार पर विवादित संपत्ति

को रिक्त कराने के लिए तारीख 1 जुलाई, 2014 को उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराए और बेदखली का विनियमन) अधिनियम, 1972 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "1972 का यू. पी. अधिनियम कहा गया है") की धारा 21(1)(क) के अधीन खाली करने का आवेदन फाइल किया था । भू-स्वामी प्रत्यर्थी द्वारा यह अभिवाक् किया था कि वह वर्ष 2009 में सेवा से सेवानिवृत्त हो गया है उनके पुत्र आलोक कुमार शाही और पुत्री, दोनों विवाहित हैं । उसके पुत्र ने अपने परिवार और संपत्ति की देखभाल करने के लिए भारतीय सेना से अपनी नौकरी छोड़ दी है और उसने श्रीमती नंदिता शाही से विवाह किया है और उनके दो पुत्र बेंगलुरु में पढ़ते हैं । भू-स्वामी प्रत्यर्थी की पैतृक संपत्ति पटना, बिहार में है और ग्राम दोमाथ, जिला कुशीनगर और गांव, अंगौता, जिला सिवान, बिहार में कृषि भूमि है । वह और उनके पुत्र ने अपनी संपत्तियों और किराएदारों से किराया संग्रह हेतु उनकी सहायता के लिए एक प्रबंधक और सात सहायकों को नियोजित किया है । प्रबंधक को आवास दिया गया है और अपने 7 सहायकों के लिए प्रथम तल पर एक फ्लैट जिसमें तीन कमरे, रसाई, स्नानागार और शौचालय उनकी जरूरत के लिए पर्याप्त नहीं है । भू-स्वामी प्रत्यर्थी को विवादग्रस्त संपत्ति की आवश्यकता है जिसे गेस्ट हाऊस स्थापित करने या अपने कर्मचारियों के आवास के प्रयोजन के लिए प्रतिमास 10 रुपए की दर से किराए पर मूल किराएदार श्याम लाल मेहता को किराए पर दे रखा है । किराएदार के पास मोहद्दीपुर में उनके आवासीय मकान के भूतल पर दो दुकानें हैं उनके पुत्र सतीश मेहता ने नंदा नगर में 20-25 दुकानों का निर्माण कराया है और उनमें से 8 दुकानें उसके कब्जे में हैं । मूल किराएदार, श्याम लाल मेहता (अब मृतक) ने यह दलील देते हुए खाली करने के आवेदन पर अपनी आपत्ति फाइल की है कि भू-स्वामी प्रत्यर्थी 'शाही बिल्डिंग' में दुकानों और फ्लैटों के कब्ज़े में है । प्रबंधक और सहायक को स्थापित करने की आवश्यकता की बात गलत है । भू-स्वामी का पुत्र और उनका परिवार स्थायी रूप से पटना, बिहार में निवास करता है । वह अपने पुत्र सतीश मेहता के साथ जनरल मर्चेंट की दुकान चलाते हैं और मोहद्दीपुर में कोई दुकान नहीं है या उनके पुत्र के लिए नंदानगर किसी अन्य स्थान पर वैकल्पिक आवास

कोई उपलब्ध है । विहित प्राधिकारी ने यह निष्कर्ष निकालते हुए तारिख 11 जुलाई, 2017 को आदेश पारित करके खाली करने के आवेदन को खारिज कर दिया की भू-स्वामी द्वारा कर्मचारियों को स्थापित करने की सद्भाविक आवश्यकता गलत थी । पेश हुए साक्षी स्थानीय निवासी थे जिनको भू-स्वामी का किसी आवास की आवश्यकता नहीं थी । आगे यह अभिनिर्धारित किया की भू-स्वामी प्रत्यर्थी और उसके कुटुंब के सदस्यों की सद्भाविक आवश्यकता को खाली करने के आवेदन पर विचार भी किया है और उनके कर्मचारियों को आवश्यकता नहीं थी । इस आदेश के विरुद्ध अपील फाइल की गई । अपीली प्राधिकारी ने अपील खारिज कर दी थी जिससे व्यथित होकर यह रिट याचिका फाइल की गई, उच्च न्यायालय द्वारा याचिका खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – अपीली प्राधिकारी ने निष्कर्ष अभिलिखित किया है कि प्रतिस्थापित किराएदार-याची अपने पुनः बुलाने के आवेदन में 2017 की किराया अपील संख्या 15 के फाइल करने की बाबत जानकारी का स्रोत साबित करने में विफल रहा है । यह प्रकथन किया है कि उन्होंने बाजार में अपील करने के बारे में सुना और निचले न्यायालय ने उस पर विश्वास नहीं किया । इस संबंध में अपीली प्राधिकारी के निष्कर्ष में कोई दोष नहीं है, क्योंकि प्रत्येक को पुनः बुलाने के आवेदन में स्पष्ट रूप से अपेक्षित है और आदेश की अपनी जानकारी के स्रोत के बारे में विशेष रूप से प्रकथन पुनः बुलाने का किया जाना चाहिए । आदेश की जानकारी के स्रोत से संबंधित स्पष्ट प्रकथन के अभाव में पुनः बुलाना चाहिए, न्यायालय सामान्य और अनिर्दिष्ट प्रकथनों पर विश्वास करने के लिए बाध्य नहीं है । इस मामले का एक और पहलू है । एक बार जब यह पाया जाता है कि नोटिस किराया अपील में मूल किराएदार श्याम लाल मेहता को पर्याप्त रूप से तामील किया गया था और उन्होंने उपस्थित नहीं होने का विकल्प चुना है तो उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को किराया अपील में पारित आदेश को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं है वे मूल किराएदार के स्थान पर आ गए हैं और अपने आचरण से विमुख हैं । किराया अपील को चुनौती देने का अधिकार जो मूल किराएदार के पास था वह अपील न करने के कारण उनके द्वारा खो दिया गया,

इसलिए अपील में प्रतिस्थापित किराएदारों के लिए अपना विरोध करने का कोई अधिकार नहीं बचा है । इसलिए, प्रतिस्थापन आवेदन पर उन्हें पर्याप्त रूप से नोटिस दिया गया था या नहीं, यह अप्रासंगिक है, एक बार जब यह पाया जाता है कि मूल किराएदार, श्याम लाल मेहता ने इसकी जानकारी के बावजूद किराया अपील को चुनौती देने के अपने अधिकार को त्याग दिया । (पैरा 14 और 15)

निर्दिष्ट निर्णय

पैरा

[2014] 2014 की सी. एम. (एम.) संख्या 471 :
श्री शोकी चौधरी बनाम **मुकेश** । 13

सिविल (रिट) अधिकारिता : 2021 की याचिका सं. 1136.

संविधान, 1950 के अनुच्छेद 227 के अधीन रिट याचिका ।

याची की ओर से श्री विनायक मित्तल

प्रत्यर्थी की ओर से चन्द्र शेखर अग्निहोत्री

न्यायमूर्ति सिद्धार्थ – याचियों के विद्वान् काउंसेल श्री विनायक मित्तल और प्रत्यर्थी के विद्वान् काउंसेल श्री सी. एस. अग्निहोत्री को सुना ।

2. यह याचिका 2017 के किराया अपील सं. 15 में उद्भूत हुई । 2019 के प्रकीर्ण सिविल मामला सं. 1100 (सतीश मेहता एवं अन्य **बनाम** कमलेश्वर शाही) वाले मामले में गोरखपुर के अपीली प्राधिकारी/अपर जिला और सेशन न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) न्यायालय सं. 3 द्वारा तारीख 11 फरवरी, 2021 को पारित निर्णय और आदेश को अपास्त करके प्रार्थना करते हुए भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के अधीन फाइल की गई है ।

3. मामले के संक्षिप्त तथ्य ये हैं कि भू-स्वामी/प्रत्यर्थी, कमलेश्वर शाही ने सद्भाविक आवश्यकता के आधार पर विवादित संपत्ति को रिक्त कराने के लिए तारीख 1 जुलाई, 2014 को उत्तर प्रदेश शहरी भवन

(किराए और बेदखली का विनियमन) अधिनियम, 1972 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "1972 का यू. पी. अधिनियम कहा गया है") की धारा 21(1)(क) के अधीन खाली करने का आवेदन फाइल किया था । भू-स्वामी प्रत्यर्थी द्वारा यह अभिवाक् किया था कि वह वर्ष 2009 में सेवा से सेवानिवृत्त हो गया है उनके पुत्र आलोक कुमार शाही और पुत्री, दोनों विवाहित हैं । उसके पुत्र ने अपने परिवार और संपत्ति की देखभाल करने के लिए भारतीय सेना से अपनी नौकरी छोड़ दी है और उसने श्रीमती नंदिता शाही से विवाह किया है और उनके दो पुत्र बेंगलुरु में पढ़ते हैं । भू-स्वामी प्रत्यर्थी की पैतृक संपत्ति पटना, बिहार में है और ग्राम दोमाथ, जिला कुशीनगर और गांव, अंगौता, जिला सिवान, बिहार में कृषि भूमि है । वह और उनके पुत्र ने अपनी संपत्तियों और किराएदारों से किराया संग्रह हेतु उनकी सहायता के लिए एक प्रबंधक और सात सहायकों को नियोजित किया है । प्रबंधक को आवास दिया गया है और अपने 7 सहायकों के लिए प्रथम तल पर एक फ्लैट जिसमें तीन कमरे, रसोई, स्नानागार और शौचालय उनकी जरूरत के लिए पर्याप्त नहीं है । भू-स्वामी प्रत्यर्थी को विवादग्रस्त संपत्ति की आवश्यकता है जिसे गेस्ट हाऊस स्थापित करने या अपने कर्मचारियों के आवास के प्रयोजन के लिए प्रतिमास 10 रुपए की दर से किराए पर मूल किराएदार श्याम लाल मेहता को किराए पर दे रखा है । किराएदार के पास मोहद्दीपुर में उनके आवासीय मकान के भूतल पर दो दुकानें हैं उनके पुत्र सतीश मेहता ने नंदा नगर में 20-25 दुकानों का निर्माण कराया है और उनमें से 8 दुकानें उसके कब्जे में हैं ।

4. मूल किराएदार, श्याम लाल मेहता (अब मृतक) ने यह दलील देते हुए खाली करने के आवेदन पर अपनी आपत्ति फाइल की है कि भू-स्वामी प्रत्यर्थी 'शाही बिल्डिंग' में दुकानें और फ्लैटों का कब्ज़ा है । प्रबंधक और सहायक को स्थापित करने की आवश्यकता की बात गलत है । भू-स्वामी का पुत्र और उनका परिवार स्थायी रूप से पटना, बिहार में निवास करता है । वह अपने पुत्र सतीश मेहता के साथ जनरल मर्चेंट की दुकान चलाते हैं और मोहद्दीपुर में कोई दुकान नहीं है अथवा न ही उनके पुत्र के लिए नंदानगर के किसी अन्य स्थान पर कोई वैकल्पिक आवास उपलब्ध है ।

5. विहित प्राधिकारी ने यह निष्कर्ष निकालते हुए तारिख 11 जुलाई, 2017 को आदेश पारित करके खाली करने के आवेदन को खारिज कर दिया की भू-स्वामी द्वारा कर्मचारियों को स्थापित करने की सद्भाविक आवश्यकता गलत थी । पेश हुए साक्षी स्थानीय निवासी थे उन्हें भू-स्वामी से किसी आवास की आवश्यकता नहीं थी । यह भी अभिनिर्धारित किया कि भू-स्वामी प्रत्यर्थी और उसके कुटुंब के सदस्यों की सद्भाविक आवश्यकता के आधार पर मकान खाली करने के आवेदन पर भी विचार किया है और उनके कर्मचारियों को आवश्यकता नहीं थी ।

6. भू-स्वामी प्रत्यर्थी ने गोरखपुर के अपीली प्राधिकारी/जिला न्यायाधीश के समक्ष 2017 की किराया अपील सं. 15 फाइल की थी और मूल किराएदार, श्यामलाल मेहता को प्रक्रिया द्वारा जारी किए गए नोटिस तामील नहीं हुए थे । तत्पश्चात् तारीख 20 मार्च, 2018 को रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा नोटिस तामील करने के लिए नए सिरे से निर्देश दिया था जिनका पुनः तामील नहीं हो पाया । अतः नोटिस का प्रकाशन तारीख 25 मई, 2018 को अखबार के माध्यम से कराया गया । इसी बीच मूल किराएदार, श्यामलाल मेहता की तारीख 4 अगस्त, 2018 को मृत्यु हो गई और एक प्रतिस्थापित आवेदन भू-स्वामी प्रत्यर्थी द्वारा फाइल किया गया जिस पर उसके विधिक वारिसों और प्रतिनिधियों को तारीख 25 नवंबर, 2018 को प्रतिस्थापित किराएदार-याचियों को नोटिस जारी किए थे । अपीली प्राधिकरण ने तारीख 10 दिसंबर, 2018 को प्रतिस्थापन आवेदन को मंजूरी दी है और अंततः अपील को तारीख 28 मार्च, 2019 के निर्णय व आदेश द्वारा अनुमति दी थी ।

7. किराया अपील के बाद प्रतिस्थापित किराएदार-याची को मंजूरी दी थी, जो मूल किराएदार श्याम लाल मेहता के विधिक उत्तराधिकारी हैं जिन्होंने 2019 की प्रकीर्ण सिविल वाद सं. 1100 के रूप तारीख 31 जुलाई, 2019 रजिस्ट्रीकृत एक आवेदन फाइल किया था, अपीली प्राधिकरण के तारीख 28 मार्च, 2019 के निर्णय एवं आदेश को पुन: बुलाने हेतु उस आधार पर प्रार्थना की कि 2017 की किराया अपील सं. 15 के संबध में नोटिस कभी मूल किराएदार श्यामलाल मेहता को तामील नहीं हुआ उनके विधिक, उत्तराधिकारियों और प्रतिनिधियों को, जिन्हें अपील में प्रत्यर्थी सं. 1/1 और 1/2 के रूप में सूचीबद्ध किया गया

है । पुन: बुलाने के आवेदन में कथित किया है कि न तो मूल किराएदार और न ही प्रतिस्थापित किराएदारों को किराया अपील सं. 15/17 लंबित रहने की जानकारी थी । अचानक तारीख 26 अप्रैल, 2019 को उन्होंने बाजार में सुना कि भू-स्वामी प्रत्यर्थी ने विहित प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध कुछ अपील फाइल की हैं और तत्पश्चात् उन्होंने अपने काउंसेल से सम्पर्क किया और तारीख 27 अप्रैल, 2019 को निरीक्षण के लिए आवेदन फाइल किया । उन्होंने अभिलेख के निरीक्षण से यह पाया कि समन में रजिस्ट्रीकृत पत्र और प्रक्रिया सर्वर के माध्यम से भेजे गए नोटिस को नामंजूर कर दिया गया था । आवेदन में अधिकथित किया गया है कि भू-स्वामी ने जानबूझकर नोटिस वापिस कर दिया जब रजिस्ट्रीकृत डाक दवारा भेजा गया नोटिस डाकिए द्वारा सौंपा नहीं गया था । उन्होंने तारीख 26 अप्रैल, 2019 को किराया अपील की जानकारी से इनकार कर दिया और विलंब माफ के अनुरोध के साथ तारीख 30 अप्रैल, 2019 को उन्होंने पुनः बुलाने के आवेदन को फाइल किया, यदि कोई ऐसा मामला फाइल किया गया हो ।

8. प्रतिस्थापित किराएदार याचियों के विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी कि किसी प्रेषण रिपोर्ट के बिना नोटिस की डाक प्राप्तियां अपीली प्राधिकारी के समक्ष भू-स्वामी-प्रत्यर्थी द्वारा फाइल किए गए थे । प्रतिस्थापित किराएदार याचियों को स्पीड डाक द्वारा भेजे गए लिफाफों के सामने वाले भाग की प्रतिलिपियां इस याचिका के उपाबंध 6 के रूप में संलग्न किए गए हैं, जिससे यह दर्शित होता है कि लिफाफा आर.टी.एस./अदावाकृत हेतु वापस कर दिया था ।

9. अपीली प्राधिकारी उपरोक्त विसंगतियों पर ध्यान देने में विफल रहा । अपीली प्राधिकारी को किराया अपील अनुमति देते हुए प्रतिस्थापित किराएदार याचियों को प्रतिस्थापन आवेदन पर नोटिस के तामिल की प्रतिस्थापित रीति को बनाए रखना चाहिए था । प्रतिस्थापित किराएदार याची जिला गोरखपुर के मोहद्दीपुर मकान सं. सी/102/419 के निवासी हैं जिन्होंने खाली करने के आवेदन में भी उल्लेखित किया था । नोटिस गलत पते पर भेजे गए थे । अपीली प्राधिकारी ने प्रतिस्थापित किराएदार याचियों के पुनः बुलाने के आवेदन को अवैध रूप से खारिज किया है ।

10. भू-स्वामी/प्रत्यर्थी के विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी है कि रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजे गए नोटिस विहित प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध भू-स्वामी/प्रत्यर्थी द्वारा फाइल की गई किराया अपील के संबंध में रजिस्ट्रीकृत डाक और प्रोसेस सर्वर के माध्यम द्वारा मूल किराएदार को भेजे गए थे । डाक द्वारा भेजे गए नोटिस "इनकार" के रेखांकन के साथ वापस कर दिए और अपनी रिपोर्ट में यह कथन करते, हुए दलील दी कि मूल प्रतिवादियों ने नोटिस स्वीकार करने से इनकार कर दिया था । अपील को तारीख 17 अगस्त, 2017 के आदेश-शीट में इस प्रभाव के लिए रेखांकन किया जिसे याचिका के उपाबंध के रूप में संलग्न किया गया । नोटिस पुनः रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजे गए तारीख 24 नवंबर, 2017 के आदेश-शीट में यह रेखांकन किया है कि नोटिस को "इनकार" किया था । तत्पश्चात् अपीली प्राधिकारी ने तारीख 21 अप्रैल, 2018 के नोटिस को प्रकाशित करने का निदेश दिया और अखबार में प्रकाशन के पश्चात् तारीख 7 जुलाई, 2018 को अपीली के प्राधिकारी के समक्ष फाइल किया और किराया अपील को विनिश्चित किया । तत्पश्चात् मूल किराएदार की तारीख 4 अगस्त, 2018 को मृत्यु हो गई और प्रतिस्थापन आवेदन वादी-प्रत्यर्थी द्वारा फाइल किया गया । पुनः नोटिस मूल प्रतिवादियों के विधिक उत्तराधिकारियों को प्रस्तावित करने के लिए जारी किए थे किंतु, कोई भी नहीं आया और प्रस्थापन आवेदन को तारीख 10 दिसंबर, 2017 को मंजूरी दे दी । अपीली प्राधिकारी ने यह पाया कि मृतक के प्रतिवादियों के विधिक उत्तराधिकारियों को तामील किए गए नोटिस की तारीख 4 फरवरी, 2019 को पर्याप्त हैं, तत्पश्चात् वादी प्रत्यर्थी की किराया अपील को मंजूरी दी थी ।

11. प्रतिद्वंदी दलीलों पर विचार करते हुए, इस न्यायालय ने यह पाया है कि प्रत्यर्थी द्वारा भेजे गए नोटिस के उत्तर की अपनी प्रति में एंपायर स्टोर का पता, "शाही भवन" पुरदीलपुर, सिनेमा रोड, गोरखपुर मूल किराएदार श्याम लाल मेहता ने उल्लिखित किया था जिसको संक्षिप्त प्रति-शपथ के एस.सी.ए. 2 के रूप में अभिलेख पर लाया गया है । उसी पते पर किराया अपील के फाइल के समनों को मूल किराएदार को भेजा जो लिफाफे पर उल्लेखित है । प्रतिस्थापित/याचियों का नाम लिफाफे पर सही प्रकार से उल्लेखित हैं और रजिस्ट्रीकृत पत्र पर किराया

अपील में यथाउल्लेखित प्रतिस्थापित किराएदार/याचियों के व्यवसाय परिसर के पते पर भेजे थे । दोनों लिफाफे जिनका रजिस्ट्रीकृत सं. ईयू8715217661एन और ईयू8715217701एन के रूप में है । प्रेषण सं. ईयू8715217831एन की डिलीवरी रिपोर्ट उपाबंध की गई है और दूसरे प्रेषण सं. ईयू8715217797एन की डिलीवरी रिपोर्ट उपाबंध की गई जो रजिस्ट्रीकृत लिफाफे के सामने वाले भाग की फोटो कापी की रजिस्ट्री/प्रेषण संख्या के साथ मिलान नहीं होता है ।

12. प्रतिस्थापित किराएदारों/याचियों के पुन: बुलाने/बनाए रखने के आवेदन में भी उन्होंने व्यवसाय के अपने स्थान से संबंधित उसी पते को उल्लिखित किया है जो याचिका उपाबंध 12 के साथ संलग्न है । अपीलार्थी प्राधिकारी द्वारा अभिलिखित किए निष्कर्ष का परिशीलन करने से यह दर्शित होता है कि उसने मूल किराएदार को अपील की सूचना देने के लिए सभी संभव उपाय किए अर्थात् प्रक्रिया सर्वर के माध्यम से पंजीकृत डाक को प्रकाशन के माध्यम से भी समन भेजा गया था, लेकिन मूल किराएदार कभी भी अपीली प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ । अपीली प्राधिकारी ने प्रक्रिया सर्वर और पंजीकृत डाक द्वारा भेजे गए नोटिस को स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया । विश्वबंधु श्री कृष्णा और अन्य वाले मामले में उच्चतम न्यायालय के नवीनतम निर्णय में 2020 की विशेष इजाज़त याचिका (सिविल)(डी) के उद्भूत होने से 2021 के सिविल अपील शून्य में पारित करके उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि जहां पंजीकृत डाक द्वारा जारी किए समनों को "इनकार" के डाक रेखांकन के साथ वापिस प्राप्त हुए थे तत्पश्चात् सिविल प्रक्रिया संहिता के नियम 9, आदेश 5 के उपनियम 5 के अनुसार समनों को प्रतिवादियों को तामील किया जाना समझा जाएगा । उच्चतम न्यायालय ने समान्य खंड अधिनियम 1897 के खंड 27 पर भी विचार किया है, जो पंजीकृत डाक द्वारा सही पते पर भेजे गए नोटिस को उनके तामील की धारणा को जन्म देता है । उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय द्वारा नियम 13, आदेश 9 के अधीन फाइल किए गए पुनः बुलाने के आवेदन को खारिज करते हुए आदेशों को अपास्त करके अस्वीकार कर दिया ।

13. **श्री शोकी चौधरी** बनाम **मुकेश**[1] वाले मामले में दिल्ली के उच्च न्यायालय के निर्णय के पैरा-5 में :–

> "5. इस पहलू पर कि क्या नोटिस भेजने से मकान मालिक का कर्तव्य पूरा हो गया है, मैसर्स मदन एण्ड कंपनी **बनाम** वजीर जयवीर चंद (1989) 1 एस. सी. सी. 264 वाले मामले के निर्णय में समान्य खण्ड अधिनियम, 1897 की धारा 27 के अधीन उपधारणा के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय द्वारा विचार किया गया और उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि जब मांग नोटिस की सही पते पर उचित वितरित होती है तो सामान्य खंड अधिनियम की धारा 27 के अनुसार उपधारणा को ध्यान में रखते हुए मांग नोटिस की तामील होती है और जिसका पैरा 6 इस प्रकार है –
>
> > '6. हमारा मत यह है कि निचले न्यायालय द्वारा निकाला गया निष्कर्ष सही है और इसे कायम रखा जाना चाहिए । यह सच है कि धारा 11(1) के खंड (आई) के परंतुक और धारा 12(3) के परंतुक किराएदार के संरक्षण के लिए आशयित है फिर भी यह देखना आसान होगा कि उनकी भाषा का बहुत सख्त और शाब्दिक, अव्यवाहरिक और अकार्य होगी । प्राविधान इस बात पर जोर देता है कि किसी भी किराए की राशि को बकाया कहने से पहले डाक के माध्यम से नोटिस तामील किया जाना चाहिए । इस उपाबंध का अनुपालन करने के लिए भू-स्वामी जो कुछ भी कर सकता है, वह किराएदार का सही पता बताते हुए एक प्रीपेड पंजीकृत पत्र (पावती देय या अन्यथा) पोस्ट करता है । एक बार जब वह ऐसा कर लेता है और पत्र डाकघर में पहुंचा दिया जाता है, तो उसका उस पर कोई नियंत्रण नहीं रह जाता है, तब यह उपधारणा मानी जाती है कि इसे सामान्य खण्ड अधिनियम की धारा 27 के अधीन पाने वाले को वितरित किया गया है । डाकघर के नियमों के अधीन, पत्र को पाने वाले या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति को वितरित किया जाता है ऐसा व्यक्ति या तो

---

[1] 2014 की सी. एम. (एम.) संख्या 121.

स्वीकार कर सकता है या पत्र को अस्वीकार कर सकता है । किसी भी मामले में कोई कठिनाई नहीं है क्योंकि स्वीकृति या अस्वीकृति को प्राप्तकर्ता द्वारा सेवा और प्राप्ति के रूप में माना जा सकता है । कठिनाई तब होती है जब उल्लिखित पते पर जाता है और प्राप्तकर्ता या पत्र प्राप्त करने के लिए अधिकृत व्यक्ति से संपर्क करने में असमर्थ होता है । तब वह केवल इतना कर सकता है कि इसे प्रेषक को वापिस कर दे । भारतीय डाकघर नियम ऐसे पंजीकृत पत्रों के वितरण के बारे में कोई विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित नहीं करते हैं । जब डाकिया इसे पहली बार वितरित करने में असमर्थ होता है, तो सामान्य अभ्यास यह है कि डाकिया इसे प्रेषक को वापस करने से पूर्व अगले एक या दो दिन में भी इसे वितरित करने का प्रयास करता है तथापि, उसके पास प्राप्तकर्ता के स्थान के बारे में पूछताछ करने का न तो अधिकार है न ही समय, उससे यह अपेक्षा की जाती है कि वह पत्र को तब तक रोके रखे जब तक प्राप्तकर्ता वापस आकर इसे स्वीकार करने का विकल्प न चुन ले, और उसे निर्धारिती की अनुपस्थिति के कारण परिसर में पत्र चिपकाने का अधिकार नहीं है । इसलिए, उनके उत्तरदायित्व को सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 5 के अधीन न्यायालय के समन की तामील करने की जिम्मेदारी के साथ प्रक्रिया सर्वर की जिम्मेदारियों के बराबर नहीं माना जा सकता । कानूनी उपाबंध को निर्वचन की व्याख्या इस कठिनाई के संदर्भ में और डाकघर द्वारा इस प्रकार के कार्य में निभाई जा सकने वाली बहुत सीमित भूमिका के आलोक में की जानी चाहिए । यदि हम उपाबंध का निर्वचन इस तरह करते हैं कि पत्र वास्तविक रूप में प्राप्तकर्ता को दिया जाना चाहिए, तो हम वस्तुतः इसे एक मृत पत्र बना देंगे । पत्र को जहां तामील नहीं किया जा सकता, इस मामले में किराएदार काफी समय से परिसर से बाहर है । साथ ही एक प्राप्तकर्ता उसे संबोधित पत्र प्राप्त करने से असानी से बच सकता है, बिना उसे प्राप्त करने से विशेष रूप से इनकार किए । वह

मामलों को इस तरह से हेरफेर कर सकता है कि यह "नहीं मिला", "स्टेशन पर नहीं है", "प्राप्तकर्ता चला गया" इत्यादि जैसे अस्पष्ट समर्थनों के साथ प्रेषक को वापस कर दिया जाता है । यह सुझाव दिया जाता है कि एक भू-स्वामी यह जानते हुए कि किराएदार किसी कारण से स्टेशन से बाहर है, उसे एक पत्र भेजने की औपचारिकता पूरी कर सकता है, जिसके बारे में उसे पता है कि उसे तामील नहीं होगा । ऐसी संभावना से मना नहीं किया जा सकता है । परंतु, इसके विपरित यदि किसी व्यक्ति को उसके आवासीय पते पर संबोधित एक पंजीकृत पत्र सामान्य तरीके से तामील नहीं किया जाता है और वापस कर दिया जाता है, तो इसे केवल प्राप्तकर्ता के अपने आचरण के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है । यदि वह परिसर में रह रहें हैं, तो कोई कारण नहीं है कि उसे तामील नहीं होगा । यदि उसे कुछ समय के लिए बाहर जाने के लिए मजबूर किया जाता है तो उसे इतना करना है कि डाक प्राधिकारियों के पास आवश्यक निर्देश छोड़ दे जहां वह गया है या उसके द्वारा अधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को सौंप दे । इस परिस्थिति में, हमें अधिक युक्तिसंगत, प्रभावी, न्यायसंगत और व्यवहारिक निर्वचन चुनना होगा और वह "डाक द्वारा भेजना" के रूप में "तामील" शब्द, किराएदार को सही और उचित रूप से संबोधित करना और "रसीद" शब्द, पत्र में उल्लेखित पते पर डाक चपरासी द्वारा पत्र को टेंडर के रूप में पढ़ना । हमारे विचार से अन्य कोई निर्वचन परिस्थिति में फिट नहीं होगा चूंकि इसे सुनिश्चित करने के लिए भू-स्वामी के लिए सामान्यतः संभव नहीं है कि उनके दवारा भेजा गया रजिस्टीकृत पत्र तामील हुआ है, या किराएदर को प्राप्त हुआ है ।'"

14. अपीली प्राधिकारी ने निष्कर्ष अभिलिखित किया है कि प्रतिस्थापित किराएदार-याची अपने पुनः बुलाने के आवेदन में 2017 की किराया अपील संख्या 15 के फाइल करने की बाबत जानकारी का स्रोत साबित करने में विफल रहा है । यह प्रकथन किया है कि उन्होंने बाजार

में अपील करने के बारे में सुना और निचले न्यायालय ने उस पर विश्वास नहीं किया । इस संबध में अपीली प्राधिकारी के निष्कर्ष में कोई दोष नहीं है, क्योंकि प्रत्येक को पुनः बुलाने के आवेदन में स्पष्ट रूप से अपेक्षित है और आदेश की अपनी जानकारी के स्रोत के बारे में विशेष रूप से प्रकथन पुनः बुलाने का किया जाना चाहिए । आदेश की जानकारी के स्रोत से संबंधित स्पष्ट प्रकथन के अभाव में पुनः बुलाना चाहिए, न्यायालय सामान्य और अनिर्दिष्ट प्रकथनों पर विश्वास करने के लिए बाध्य नहीं है ।

15. इस मामले का एक और पहलू है । एक बार जब यह पाया जाता है कि नोटिस किराया अपील में मूल किराएदार श्याम लाल मेहता को पर्याप्त रूप से तामील किया गया था और उन्होंने उपस्थित नहीं होने का विकल्प चुना है तो उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को किराया अपील में पारित आदेश को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं है, वे मूल किराएदार के स्थान पर आ गए हैं और अपने आचरण से विमुख है । किराया अपील को चुनौती देने का अधिकार जो मूल किराएदार के पास था वह अपील न करने के कारण उनके द्वारा खो दिया गया, इसलिए अपील में प्रतिस्थापित किराएदारों के लिए अपना विरोध करने का कोई अधिकार नहीं बचा है । इसलिए, प्रतिस्थापन आवेदन पर उन्हें पर्याप्त रूप से नोटिस दिया गया था या नहीं, यह अप्रासंगिक है, एक बार जब यह पाया जाता है कि मूल किराएदार, श्याम लाल मेहता ने इसकी जानकारी के बावजूद किराया अपील को चुनौती देने के अपने अधिकार को त्याग दिया ।

16. उपरोक्त चर्चाओं को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय को निर्णय और आक्षेपित आदेशों को अपास्त करने का कोई उचित आधार नहीं पाता है ।

17. याचिका में गुणागुणों का अभाव है और तद्नुसार, इसे खारिज किया जाता है ।

रिट याचिका खारिज की गई ।

मही./क.

इन्दु देवी

बनाम

इन्दिरा देवी

(2021 की नियमित द्वितीय अपील संख्या 82)

तारीख 24 नवम्बर, 2021

न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 – धारा 100 [सपठित विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 की धारा 37(2)] – द्वितीय अपील – वादी द्वारा स्थायी व्यादेश की डिक्री के लिए वाद फाइल करना – प्रतिवादी द्वारा न्यायालय के समक्ष यह कथन अभिलिखित करना कि वह विधि की सम्यक् प्रक्रिया का अनुसरण किए बिना वादी को बे-कब्जा नहीं करेगी – इन कथनों को ध्यान में रखते हुए, स्थायी व्यादेश की डिक्री की आवश्यकता नहीं है परन्तु वादी विधि में विहित उपचारों के अधीन विवादित वाद सम्पत्ति का कब्जा ले सकती है यदि वह उस सम्पत्ति का असली हकदार स्वयं को साबित कर देती है ।

वर्तमान द्वितीय अपील, अपर जिला न्यायाधीश-1, उत्तरी जिला, दिल्ली (प्रथम अपील न्यायालय) द्वारा पारित तारीख 12 फरवरी, 2020 के अंतिम निर्णय/आदेश से उद्भूत हुई है जिसके द्वारा वाद संख्या 556/10 में पारित तारीख 5 अप्रैल, 2012 के आदेश और निष्पादन वाद संख्या 54409/2016 में पारित तारीख 8 फरवरी, 2019 के आदेश के विरुद्ध फाइल प्रथम अपील को खारिज कर दिया गया था । न्यायालय द्वारा द्वितीय अपील खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – विचारण न्यायालय के समक्ष तारीख 5 जनवरी, 2012 को अभिलिखित कथनों के परिशीलन से यह दर्शित होता है कि प्रतिवादी संख्या 1 पुत्रवधु अर्थात् श्रीमती सिन्धु देवी की ओर से, उसके काउंसेल का कथन अभिलिखित किया गया है । तथापि, जहां तक प्रतिवादी संख्या 2 इसमें के अपीलार्थी-श्रीमती इन्दु देवी का संबंध है, यह स्पष्ट है

कि वह व्यक्तिगत तौर पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुई थी और शपथ पर उसका कथन अभिलिखित किया गया है । इस प्रकार, कपट का अभिकथन, इस न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी संख्या 2 के विद्वान् काउंसेल द्वारा संयाचना की गई है, इस न्यायालय की राय में इसमें कोई गुणागुण नहीं हैं । किसी भी दशा में, आदेश जो विचारण न्यायालय द्वारा 5 जनवरी, 2012 को पारित किया गया है, वह यह है कि वादी को विधि की सम्यक् प्रक्रिया का अनुसरण किए बिना बे-कब्जा नहीं किया जा सकता है । इस प्रकार, यद्यपि प्रतिवादी संख्या 2 ने वाद संपत्ति के कब्जे में होने का दावा किया है । विचारण न्यायालय के समक्ष उसके द्वारा किए गए कथनों को ध्यान में रखते हुए, वादी विधि के अनुसरण के सिवाय वाद संपत्ति से बे-कब्जा नहीं की जा सकती है । तारीख 5 जनवरी, 2012 की डिक्री निष्पादन करने की ईप्सा करने वाली निष्पादन कार्यवाहियां जारी रहेंगी । तद्नुसार, यदि प्रतिवादी संख्या 2 वादी से कब्जा लेना चाहती है तो वह विधि के अनुसरण में, यदि विधि में उपलब्ध हैं, अपने उपचारों के अधीन ले सकती है । (पैरा 13 और 14)

अपीली (सिविल) अधिकारिता : 2021 की नियमित द्वितीय अपील संख्या 82 और 2021 की सिविल प्रकीर्ण अपील संख्या 41610, 41611 और 41612.

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 100 के अधीन द्वितीय अपील ।

अपीलार्थी की ओर से सर्वश्री मेधान्शु त्रिपाठी और मनिन्दर दुबे

प्रत्यर्थी की ओर से कोई नहीं

न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह – यह सुनवाई भौतिक न्यायालय में की गई है । हाई-ब्रिड तरीके से उन मामलों में अनुज्ञा दी जाती है जहां न्यायालय से अनुज्ञा ईप्सित की जानी है ।

2. वर्तमान द्वितीय अपील, अपर जिला न्यायाधीश-1, उत्तरी जिला, दिल्ली (प्रथम अपील न्यायालय) द्वारा पारित तारीख 12 फरवरी, 2020 के अंतिम निर्णय/आदेश से उद्भूत हुई है, जिसके द्वारा वाद संख्या

556/10 में पारित तारीख 5 अप्रैल, 2012 के आदेश और निष्पादन वाद संख्या 54409/2016 में पारित तारीख 8 फरवरी, 2019 के आदेश के विरुद्ध फाइल प्रथम अपील को खारिज कर दिया गया था ।

3. वर्तमान द्वितीय अपील की संक्षिप्त पृष्ठभूमि यह है कि प्रत्यर्थी/वादी श्रीमती इन्दिरा देवी अर्थात् श्रीमती सिन्धु देवी-प्रतिवादी संख्या 1 की सास द्वारा एक वाद फाइल किया गया था, जिसमें संपत्ति पुरानी झुग्गी संख्या सीएन-272, डी ब्लाक, निकट मिल्क डेरी, शाहबाद डेयरी, दिल्ली (जिसमें इसके पश्चात् वाद संपत्ति कहा गया है) से बे-कब्जा करने के विरुद्ध स्थायी व्यादेश की ईप्सा की गई है । उक्त वाद में, उन्होंने दो महिलाओं अर्थात् अपनी पुत्र-वधु श्रीमती सिन्धु देवी को प्रतिवादी संख्या 1 के रूप में और श्रीमती इन्दु देवी को प्रतिवादी संख्या 1 के रूप में सूचीबद्ध किया है । उक्त वाद में, प्रतिवादी संख्या 2 वर्तमान कार्यवाहियों में अपीलार्थी है । उक्त वाद में, ईप्सित प्रार्थनाएं निम्नलिखित थीं :–

> "क. वादी के पक्ष में और प्रतिवादियों के विरुद्ध स्थायी व्यादेश की डिक्री के लिए एक आदेश पारित किया जाए जिसके द्वारा प्रतिवादियों के अभिकर्ताओं, स्टाफों या कोई अन्य व्यक्ति जो उनके एवज में कार्य कर रहा है, को यह निर्देश दिया जाए कि वे उसे न्यायहित में, संपत्ति झुग्गी संख्या सीएन-272, डी ब्लाक, निकट मिल्क डेरी, शाहबाद डेयरी, दिल्ली, विनिर्दिष्टतया स्थल नक्शा में दर्शित, से विधि की सम्यक् प्रक्रिया के बिना वाद-संपत्ति से वादियों को बे-कब्जा नहीं करें ।
>
> ख. कोई अन्य अनुतोष भी वादियों के पक्ष में और प्रतिवादियों के विरुद्ध पारित किया जाए जो यह माननीय न्यायालय न्याय के हित में, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के अधीन उपयुक्त और उचित समझे ।"

4. उक्त वाद अक्तूबर, 2010 में फाइल किया गया था और प्रतिवादी संख्या 1 और 2 द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष तारीख 5 जनवरी, 2012 को निम्नलिखित प्रभाव के कथन किए गए थे :–

"प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से विद्वान् विद्वान् काउंसेल (डी-52-99) श्री विजय खन्ना का कथन ।

बिना शपथ

मैं वर्तमान मामले में, प्रतिवादी संख्या 1 का विद्वान् काउंसेल हूं । मुझे प्रतिवादी संख्या 1 से यह निर्देश मिला है कि प्रतिवादी संख्या 1 के अधिकारों की प्रतिकूलता के बिना और वाद-पत्र की अन्तर्वस्तुओं को स्वीकार किए बिना, वह वाद संपत्ति झुग्गी संख्या सीएन-272, डी ब्लाक, निकट मिल्क डेरी, शाहबाद डेयरी, दिल्ली से विधि की सम्यक् प्रक्रिया का अनुसरण किए बिना वादी को बे-कब्जा नहीं करेगी ।

*** *** ***

प्रतिवादी साक्षी-2 : श्रीमती इन्दु देवी, पत्नी श्री राम अवतार, निवासी शाहबाद डेयरी, दिल्ली का कथन ।

द्वितीय अपील

मैं वर्तमान मामले में प्रतिवादी हूं । मेरे अधिकारों की प्रतिकूलता के बिना और वाद-पत्र की अन्तर्वस्तुओं को स्वीकार किए बिना, मेरा यह कथन है कि विधि की सम्यक् प्रक्रिया के सिवाय, मैं वाद संपत्ति झुग्गी संख्या सीएन-272, डी ब्लाक, निकट मिल्क डेरी, शाहबाद डेयरी, दिल्ली से वादी को बे-कब्जा नहीं करूंगा ।"

5. प्रतिवादी संख्या 1 और 2 द्वारा किए गए उपर्युक्त दोनों कथनों को ध्यान में रखते हुए, वादी ने भी विचारण न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित प्रभाव का कथन किया था :–

"अभि. सा. 1 : श्रीमती इन्दिरा देवी, पत्नी श्री सन्त लाल मंडल, निवासी पुरानी झुग्गी संख्या सीएन-272, डी ब्लाक, निकट मिल्क डेरी, शाहबाद डेयरी, दिल्ली का कथन ।

द्वितीय अपील पर

मैं वर्तमान मामले में वादी हूं । मैं प्रतिवादी संख्या 1 और प्रतिवादी संख्या 1 के विद्वान् काउंसेल के इस कथन से संतुष्ट हूं

कि वे मुझे वाद संपत्ति से विधि की सम्यक् प्रक्रिया का अनुसरण किए बिना बे-कब्जा नहीं करेंगे । अतएव, मैं प्रतिवादियों के विरुद्ध वर्तमान मामले में आगे कार्यवाही करना नहीं चाहती हूं । वर्तमान मामले का मामला वापस लेने के आधार पर निपटाया जा सकता है ।"

6. प्रतिवादियों के साथ-ही-साथ वादी की ओर से उपयुक्त कथनों को अभिलिखित करने के पश्चात्, विद्वान् एसीजे, उत्तर-पश्चिम, रोहिणी न्यायालय, दिल्ली (विचारण न्यायालय) द्वारा समाधान होने पर तारीख 5 जनवरी, 2012 को वाद का निपटारा किया गया था । विचारण न्यायालय द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया गया था :–

"प्रतिवादी के विद्वान् काउंसेल द्वारा यह कथित है कि प्रतिवादी यह कथन देने के लिए रजामंद हैं कि वे विधि की सम्यक् प्रक्रिया के बिना वाद संपत्ति से वादी को बे-कब्जा नहीं करेंगे । वादी ने भी यह निवेदन किया है कि यदि प्रतिवादी यह कथन करने के लिए तैयार हैं तो वह वाद वापस कर लेगी ।

पक्षकारों के कथन पृथकतः अभिलिखित हैं । प्रतिवादी संख्या 1 के विद्वान् काउंसेल ने प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से कथन किया है । मैंने उसका परिशीलन किया है । पक्षकारों के कथनों को ध्यान में रखते हुए, वादी का वाद समाधानप्रद रूप से निपटाया जाता है । मूल दस्तावेजें, यदि कोई हों, उसकी हस्ताक्षरित फोटोप्रतियां फाइल करने के अध्यधीन पक्षकारों को वापस की जाती हैं । फाइल अभिलेख रूम को भेजी की जाती है ।"

7. इसके पश्चात्, वादी श्रीमती इन्दिरा देवी ने न्यायालय अवमान अधिनियम, 1972 की धारा 12 के अधीन एक आवेदन फाइल किया था, यह दलील देते हुए कि प्रतिवादी संख्या 2 सुश्री इन्दु देवी और उसके पति श्री राम अवतार ने बलपूर्वक वाद संपत्ति का कब्जा लिया था और उस पर कतिपय निर्माण कार्य आरम्भ कर दिया था । सिविल न्यायाधीश, उत्तर-पश्चिम, रोहिणी न्यायालय, दिल्ली द्वारा सी. एस.

संख्या 400/14 में पारित तारीख 15 फरवरी, 2016 के आदेश द्वारा उक्त अवमान आवेदन को खारिज कर दिया था, इस आधार पर कि व्यादेश की डिक्री के निष्पादन की विनिर्दिष्ट प्रक्रिया पहले ही सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में परिकल्पित और तद्नुसार, उक्त अवमान आवेदन कायम रखे जाने योग्य नहीं है ।

8. उसके बाद, वादी ने तारीख 5 जनवरी, 2012 की डिक्री के निष्पादन की ईप्सा करते हुए, निष्पादन वाद संख्या 54409/2016 के अधीन एक निष्पादन याचिका फाइल की थी । उक्त निष्पादन याचिका के उत्तर में, प्रतिवादी संख्या 2 श्रीमती इन्दु देवी द्वारा आक्षेप फाइल किए गए थे । सिविल न्यायाधीश, उत्तर-पश्चिम, रोहिणी न्यायालय, दिल्ली (निष्पादन न्यायालय) द्वारा पारित तारीख 8 फरवरी, 2019 के आदेश द्वारा उक्त आक्षेप खारिज कर दिए गए थे । निष्पादन न्यायालय द्वारा दी गई तर्कसंगतता यह थी कि निष्पादन न्यायालय डिक्री के इतर कोई कार्य नहीं कर सकता है । निष्पादन न्यायालय द्वारा यह मत व्यक्त किया गया था कि प्रतिवादी संख्या 2 ने उक्त संपत्ति के स्वामित्व का प्राख्यान किया था और शपथ पर कथन करने के पश्चात् वादी के हक का खंडन किया था । तद्नुसार, निष्पादन न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया था कि जब एक बार कथन कर दिया गया था और विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित कर लिया गया था, जिससे तारीख 5 जनवरी, 2012 का आदेश पारित हुआ था तो प्रतिवादी संख्या 2 को उससे इनकार करने की अनुज्ञा नहीं दी जा सकती है । निष्पादन न्यायालय के आदेश का सुसंगत भाग इस प्रकार है :–

> "5. निष्पादन न्यायालय की शक्तियां अत्यधिक सीमित हैं । यह सत्य है कि एक निष्पादन न्यायालय पक्षकारों के तथ्यों और साक्ष्यों का मूल्यांकन या पुनर्मूल्यांकन करने के लिए डिक्री के इतर नहीं जा सकता है । जे. डी. ने उक्त संपत्ति पर अपने स्वामित्व का प्राख्यान किया है और डी. एच. के हक के साथ ही कब्जे का खंडन किया है । वह तारीख 5 जनवरी, 2012 को न्यायालय के समक्ष शपथ पर पहले ही यह कथन कर चुकी है कि वह विधि की

सम्यक् प्रक्रिया का अनुसरण किए बिना इसमें के डी. एच. को बे-कब्जा नहीं करेगी । जब एक बार ऐसा कथन कर दिया गया है तो वह उस कथन से इनकार नहीं कर सकती है, यह कथन करते हुए कि ऐसा कथन करने के लिए उसके विद्वान् काउंसेल द्वारा उसे भ्रमित किया गया था, विनिर्दिष्टतया तब जब उसके द्वारा उक्त विद्वान् काउंसेल के विरुद्ध कोई शिकायत नहीं की गई है । उसके बयान के समर्थन में अभिलेख पर कुछ नहीं है । यदि इसके आमुख पर न्यायालय द्वारा ऐसे बचाव को स्वीकार कर लिया जाता है तो इससे पनडोरा का सन्दूक खुल जाएगा, जहां प्रत्येक अन्य मुकदमेबाज समझौते और शपथ पर किए गए कथनों से बाहर निकलने के लिए इस औजार का उपयोग करेंगे । इस प्रकार, ऐसे तर्क को स्वीकार नहीं किया जा सकता है ।"

9. इसके पश्चात्, प्रतिवादी संख्या 2 और उसके पति द्वारा निष्पादन न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश के साथ ही विचारण न्यायालय द्वारा पारित मूल डिक्री को चुनौती देते हुए, एक अपील फाइल की गई थी । इस अपील को प्रथम अपील न्यायालय तारीख 12 फरवरी, 2020 के आक्षेपित आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया है ।

10. प्रथम अपील न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश में दिया गया कारण यह है कि चूंकि अपील परिसीमा अवधि द्वारा वर्जित है क्योंकि इसे तारीख 5 जनवरी, 2012 को विचारण न्यायालय द्वारा आरम्भिक आदेश पारित किए जाने के लगभग 7 वर्षों बाद फाइल किया गया है जो कायम रखे जाने योग्य नहीं है । अपील न्यायालय के आदेश का सुसंगत भाग इस प्रकार है :–

"अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत अपील के परिशीलन से यह प्रकट होता है कि यद्यपि उक्त अपील में, उन्होंने तारीख 5 जनवरी, 2012 और तारीख 8 फरवरी, 2019 के आदेशों का उल्लेख किया है, तथापि, उनकी मुख्य शिकायत मात्र तारीख 5 जनवरी, 2012 के आदेश के विरुद्ध है ।

अपीलार्थियों ने तारीख 14 मार्च, 2019 को फाइल अपील के माध्यम से तारीख 5 जनवरी, 2012 के आदेश को चुनौती दी है जो निराशाजनक रूप से परिसीमा अवधि द्वारा वर्जित है । अपील फाइल करने में हुए विलम्ब की माफी के लिए पृथक् से कोई आवेदन अपीलार्थियों द्वारा फाइल नहीं किया गया है ।

तर्कों के दौरान, अपीलार्थियों के विद्वान् काउंसेल ने यह अभिवाक् किया है कि तारीख 5 जनवरी, 2012 का आदेश पारित करने के पश्चात्, प्रत्यर्थी ने अपीलार्थियों के विरुद्ध एक अवमान आवेदन फाइल किया था और उसमें कार्यवाहियां लगभग तीन वर्ष से चालू हैं । जब एक बार प्रत्यर्थी अवमान आवेदन में सफल नहीं हुआ तो प्रत्यर्थी ने उक्त निष्पादन याचिका संख्या 544/9/16 फाइल की । अतएव अपील प्रस्तुत करने में विलम्ब हुआ था ।

प्रत्यर्थी द्वारा आरम्भ उपर्युक्त उल्लिखित कार्यवाहियों से अपीलार्थियों को कहीं भी परिसीमा अवधि के भीतर तारीख 5 जनवरी, 2012 के आदेश को चुनौती देने से प्रतिषिद्ध नहीं करती थी न ही अपीलार्थी परिसीमा अवधि की गणना करने के प्रयोजन के लिए उक्त कार्यवाहियों में व्यपगत अवधि का अपवर्जन पाने के हकदार हैं ।

अपील के (क) आधार में, अपीलार्थियों ने यह अभिवाक् किया है कि अपीलार्थी संख्या 2 को तारीख 5 जनवरी, 2012 के आदेश के बारे में जानकारी तारीख 24 अगस्त, 2016 को हुई थी, अतएव अपील परिसीमा अवधि के भीतर है । प्रथमतः, जैसा कि उपर्युक्त अभिनिर्धारित किया गया है, राम अवतार अध्यधीन कार्यवाहियों में पक्षकार नहीं था । द्वितीयतः, अपील प्रस्तुत करने की परिसीमा अवधि डिक्री की तारीख से 30 दिन है । अतएव, अपीलार्थियों द्वारा उद्धृत उक्त अभिवाक् में कोई सार नहीं है ।

निःसंदेह, विलम्ब माफी के लिए आवेदन पर विनिश्चय करते समय उदार दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए । तथापि, यह न्यायालय के विवेक का प्रयोग करने और उक्त दृष्टिकोण अपनाने

पर निर्भर करता है । अपीलार्थियों ने ऐसा पक्षकथन किया है । तथापि, वर्तमान मामले में अपीलार्थियों के आचरण से पूर्णतया दुरभिःसंधि और उपेक्षा दर्शित होती है । चूंकि, अपीलार्थी यह दर्शित करने में पूर्णतया असफल रहे हैं कि अपील प्रस्तुत करने के लिए तत्काल कदम उठाने में उनकी ओर से सम्यक् उपेक्षा हुई थी । तत्समान रूप से, प्रत्यर्थियों के पक्ष में सृजित अधिकार को हल्के में बाधित नहीं किया जाना चाहिए ।

तद्नुसार, मेरी राय में तारीख 5 जनवरी, 2012 के आदेश के विरुद्ध अपील निराशाजनक रूप से परिसीमा अवधि द्वारा वर्जित है ।

पूर्ववर्ती चर्चाओं को ध्यान में रखते हुए, अपील निराशाजनक रूप से परिसीमा अवधि द्वारा वर्जित होने के साथ ही विधि में कायम नहीं रखे जाने के कारण खारिज की जाती है ।"

11. अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल श्री त्रिपाठी ने यह निवेदन किया है कि जब प्रतिवादियों द्वारा तारीख 5 जनवरी, 2012 को विचारण न्यायालय के समक्ष आरम्भिक कथन किए गए थे उसी समय प्रतिवादियों के विद्वान् काउंसेल द्वारा गलत सलाह दी गई थी और कपट किया गया था, जिन्होंने अभिकथित तौर पर वादी के साथ दुरभिःसंधि की थी । उन्होंने यह निवेदन किया है कि इसमें की अपीलार्थी अशिक्षित महिला होने के नाते, तारीख 5 जनवरी, 2012 को उसके द्वारा किए गए कथन का आशय और प्रयोजन नहीं समझ सकती थी ।

12. विद्वान् काउंसेल को सुना और अभिलेखों का परिशीलन किया ।

13. विचारण न्यायालय के समक्ष तारीख 5 जनवरी, 2012 को अभिलिखित कथनों के परिशीलन से यह दर्शित होता है कि प्रतिवादी संख्या 1-पुत्र वधु अर्थात् श्रीमती सिन्धु देवी की ओर से, उसके काउंसेल का कथन अभिलिखित किया गया है । तथापि, जहां तक प्रतिवादी संख्या 2/इसमें के अपीलार्थी-श्रीमती इन्दु देवी का संबंध है, यह स्पष्ट है कि वह व्यक्तिगत तौर पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुई थी और

शपथ पर उसका कथन अभिलिखित किया गया है । इस प्रकार, कपट का अभिकथन, इस न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी संख्या 2 के विद्वान् काउंसेल द्वारा संयाचना की गई है, इस न्यायालय की राय में इसमें कोई गुणागुण नहीं हैं । किसी भी दशा में, आदेश जो विचारण न्यायालय द्वारा 5 जनवरी, 2012 को पारित किया गया है, वह यह है कि वादी को विधि की सम्यक् प्रक्रिया का अनुसरण किए बिना बे-कब्जा नहीं किया जा सकता है । इस प्रकार, यद्यपि प्रतिवादी संख्या 2 ने वाद संपत्ति के कब्जे में होने का दावा किया है । विचारण न्यायालय के समक्ष उसके द्वारा किए गए कथनों को ध्यान में रखते हुए, वादी विधि के अनुसरण के सिवाय वाद संपत्ति से बे-कब्जा नहीं की जा सकती है । तारीख 5 जनवरी, 2012 की डिक्री की निष्पादन करने की ईप्सा करने वाली निष्पादन कार्यवाहियां जारी रहेंगी ।

14. तद्नुसार, यदि प्रतिवादी संख्या 2 वादी से कब्जा लेना चाहती है तो वह विधि के अनुसरण में, यदि विधि में उपलब्ध हैं, अपने उपचारों के अधीन ले सकती है । तथापि, वर्तमान द्वितीय अपील ग्रहण किए जाने योग्य नहीं है क्योंकि आक्षेपित आदेश में कोई हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है । कोई सारवान् विधि का प्रश्न उद्भूत नहीं हुआ है ।

15. तद्नुसार, वर्तमान द्वितीय अपील खारिज की जाती है । सभी लम्बित आवेदन भी निपटाए जाते हैं ।

वर्तमान द्वितीय अपील खारिज की गई ।

क.

दानेश मुधकरराव पहाड़े

बनाम

स्मिता दानेश पहाड़े

(2014 की कुटुंब न्यायालय अपील सं. 95)

तारीख 14 जनवरी, 2022

न्यायमूर्ति जी. ए. सनप

कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 (1984 का 66) – धारा 19 [सपठित हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13(1)(इक), (इख) तथा (iii)] – अपील – पति के प्रति क्रूरता – विवाह-विच्छेद की अर्जी – अर्जी नामंजूर होना – यदि अभिलेख पर यह साबित हो जाता है कि पति-पत्नी के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध कायम हो गए हैं और उनके बीच सहवास भी आरम्भ हो गया है और कुटुम्ब में शांतिपूर्ण माहौल स्थापित हो गया है और पति-पत्नी के बीच शांतिमय जीवन बीताने के लिए सहमति हो गई है तो इन परिस्थितियों में, विवाह-विच्छेद के लिए क्रूरता साबित नहीं होती है और यदि विवाह-विच्छेद की डिक्री नामंजूर की जाती है तो वह कायम रखे जाने योग्य है ।

कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 – धारा 19 [सपठित हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13(1)(इक), (इख) तथा (iii)] – अपील – अभित्यजन – विवाह-विच्छेद की अर्जी – यदि अभिलेख पर यह साबित कर दिया जाता है कि पति-पत्नी अलग-अलग नहीं रह रहे हैं और पति की पत्नी तक पहुंच है और दोनों पक्षकारों के बीच सहवास जारी है तो इन परिस्थितियों में अभित्यजन के आधार पर विवाह-विच्छेद की डिक्री मंजूर नहीं की जा सकती है ।

कुटुंब न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 19 के अधीन फाइल इस अपील में, विद्वान् न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय सं. 2, नागपुर द्वारा पारित तारीख 7 नवंबर, 2008 के निर्णय और डिक्री को चुनौती

दी गई है, जिसमें कुटुंब न्यायालय के विद्वान् न्यायाधीश ने हिन्दू विवाह अधिनियम, 1995 की क्रमश: धारा 13(1)(ia), (ib) तथा (iii) के अधीन क्रूरता, अभित्यजन और सिज़ोफ्रेनिया के कारण मानसिक विकार के आधार पर अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी के विरुद्ध फाइल विवाह-विच्छेद की अर्जी को खारिज कर दिया था । इससे व्यथित होकर वर्तमान अपील फाइल की गई । न्यायालय द्वारा अपील नामंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – परस्पर विरोधी निवेदनों का मूल्यांकन करने के अनुक्रम में, न्यायालय ने पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य सुक्ष्म परिशीलन किया हैं । अपीलार्थी ने स्वयं का एकमात्र साक्षी के रूप में परीक्षा कराई हैं । प्रत्यर्थी ने अपनी प्रतिरक्षा के समर्थन में स्वयं की परीक्षा कराई है । उसकी स्वतंत्र साक्ष्य के रूप में परीक्षा हुई है । जहां तक क्रूरता और अभित्यजन के आधार का संबंध है प्रत्यर्थी का पक्षकथन यह है कि वर्ष 2005 में उन्होनें अपने विवाद का निपटारा कर लिया था और फरवरी, 2005 से दो वर्ष तक उन्होनें एक साथ निवास करना भी प्रारंभ कर दिया था और सहवास भी किया । इस दलील के आधार पर, प्रत्यर्थी द्वारा यह पक्षकथन करने की ईप्सा की गई है कि अपीलार्थी ने क्रूरता के कार्य को माफ कर दिया था तथा इसलिए, हिन्दू विवाह अधिनयम, 1955 की धारा 23(1)(ख) के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए अपीलार्थी क्रूरता के आधार पर डिक्री का हकदार नहीं था । जहां तक अभित्यजन के आधार का संबंध है, प्रत्यर्थी का पक्षकथन यह है कि अपीलार्थी ने द्विपक्षीय रूप से उनके सहवास के पुनरारंभ होने के पश्चात् दो वर्ष की अवधि के भीतर अभित्यजन के आधार पर यह अर्जी फाइल की हैं । पक्षकारों ने इस बिंदु पर साक्ष्य प्रस्तुत किया हैं । प्रतिपरीक्षा में अपीलार्थी ने अपने साक्ष्य के पैरा 16 में स्वीकार किया है कि वर्ष 2004 में उसने और प्रत्यर्थी ने पारस्परिक सहमति से पुन: सहवास प्रारंभ करने का विनिश्चय किया था और लगभग 4-5 माह तक उन्होनें एक साथ निवास किया था । अपीलार्थी ने इसके अतिरिक्त यह भी स्वीकार किया है कि अर्जी फाइल करने से पूर्व उसने प्रत्यर्थी के विरुद्ध सहवास के पुनरारंभ के लिए कोई भी कार्यवाही फाइल नहीं की थीं । इस बिन्दु पर प्रत्यर्थी का पक्षकथन यह है कि उनके मध्य पारस्परिक समझौते को ध्यान में रखते हुए उन्होंने फरवरी, 2005 में एक साथ निवास करना

प्रारंभ किया था तथा उन्होनें लगभग दो वर्ष की अवधि तक एक साथ निवास किया था । प्रत्यर्थी का पक्षकथन यह है कि अपीलार्थी अपनी मां के प्रभाव में है और बिना किसी भी वाद हेतु के उसने विवाह-विच्छेद के लिए अर्जी फाइल की है । जहां तक इस साक्ष्य का संबंध है, प्रत्यर्थी इसमें प्रतिपरीक्षा के अध्यधीन थी । प्रत्यर्थी ने स्वीकार किया है कि सहवास के पुररारंभ के बारे में किया गया कथन सही है, लेकिन उन्होनें एक साथ निरंतर मात्र 6 माह तक ही निवास किया था । प्रत्यर्थी को यह इंगित नहीं किया गया था कि उन्होंने वर्ष 2004 में न कि फरवरी, 2005 के माह में सहवास पुनरारंभ किया था । अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 16 में, अपीलार्थी ने वर्ष 2004 में सहवास के पुनरारंभ का विनिर्दिष्ट माह बताया हैं । इसके विपरीत, प्रत्यर्थी माह के बारे में विनिर्दिष्ट थी । इस साक्ष्य के आधार पर दो तथ्य उद्भूत होते हैं । पहला, यह है कि अपीलार्थी और प्रत्यर्थी ने द्विपक्षीय रूप से एक साथ निवास और सहवास करने का विनिश्चय किया था और दूसरा, यह कि अपीलार्थी का पक्षकथन यह नहीं है कि यह विनिश्चय प्रत्यर्थी का एकपक्षीय विनिश्चय था । इसलिए यह बिना कहे ही स्पष्ट है कि क्रूरता के तथाकथित कार्य को माफ करने के पश्चात् ही अपीलार्थी और प्रत्यर्थी ने एक साथ निवास और सहवास किया था । इसलिए, न्यायालय के विचार में, जहां तक क्रूरता के आधार का संबंध है यह मामला प्रत्येक प्रकार से हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 23 और 23(i)(ख) के उपबंधों के अंतर्गत आता हैं । इस स्थिति को देखते हुए उत्तरा वाले मामले में इस बिन्दु पर अधिकथित विधि अपीलार्थी के मामले का समर्थन नहीं करती है । इन तथ्यों और परिस्थितियों में यह प्रत्यर्थी के मामले का समर्थन करता हैं । उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए यह निष्कर्ष निकलता है कि अभित्यजन के कार्य को भी माफ कर दिया गया था । हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा, 13(i)(ंख) के अनुसार, अर्जी प्रस्तुत करने के तुरंत बाद अभित्यजन कम से कम निरंतर दो वर्ष की अवधि का होना चाहिए । समझौते और परिणामिक सहवास के बिन्दु पर प्रत्यर्थी के साक्ष्य अधिक विनिर्दिष्ट हैं । उसने कथन किया है कि उन्होनें फरवरी, 2005 में सहवास पुन: आरम्भ किया था । यद्यपि यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि सहवास, दो वर्ष की अवधि में नहीं हुआ था अपितु

सहवास 6 माह की अवधि में हुआ था, जैसा कि प्रत्यर्थी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में स्वीकार किया है, तो न्यायालय की यह सुविचारित राय है कि अभित्यजन के आधार पर अर्जी बिना किसी वाद-हेतुक के होगी । फरवरी, 2005 में सहवास के पुनरारंभ की तारीख से उनके एक साथ निवास करने की अवधि जुलाई, 2005 के अंत तक होगी । यह अर्जी तारीख 6 मार्च, 2007 को फाइल की गई थी । मोटे हिसाब से अवधिक की गणना करने पर यह दर्शित होता है कि पृथक् होने के पश्चात् 2 वर्ष की अवधि जुलाई, 2007 के अंत में समाप्त हो गई होगी । इसलिए, यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि यह अर्जी दो वर्ष से कम की अवधि के भीतर फाइल करने से, अभित्यजन के आधार पर अपीलार्थी के पक्ष में कोई वाद हेतुक निहित नहीं होती हैं । न्यायालय के मत में, जहां तक क्रूरता या अभित्यजन के आधार का संबंध है, उपरोक्त तकनीकी आधारों के कारण अर्जीदार विवाह-विच्छेद प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा । (पैरा 12 और 13)

यद्यपि, इस तर्क के लिए यह मान भी लिया जाए कि ऊपर कथित तकनीकी आधार अपीलार्थी के मामले में किसी प्रकार से नहीं ठहरते हैं, न्यायालय की राय में, गुणागुणों पर भी क्रूरता और अभित्यजन के आधार साबित होना नहीं कहे जा सकते हैं । जहां तक क्रूरता के आधार का संबंध है, अपीलार्थी ने दो मुख्य घटनाओं का अवलंब लिया है । प्रथम घटना स्वरूपा को इतनी तीव्रता से थप्पड़ मारने की है जिससे स्वरूपा अचेत हो गई थी और स्वरूपा के मुख से रक्त का स्राव होने लगा था तथा अपीलार्थी और उसके कुटुंब के सदस्यों के प्रति प्रत्यर्थी का अनियमित और विवेकारहित व्यवहार था । दूसरा आधार यह है कि औरंगाबाद में रोहिणी के निवास पर प्रत्यर्थी ने हंगामा किया था और कमरे का द्वार बंद करने के पश्चात् "गुड नाईट मॉस्किटो मैट" खा लिया था । कुटुंब न्यायालय के विद्वान् न्यायाधीश ने निष्कर्ष निकाला है कि ऐसी घटनाओं को वैवाहिक जीवन की मात्र सामान्य टूट-फूट ही कही जा सकती है । इस प्रक्रम पर इसका उल्लेख करना उचित है कि उनकी पुत्री स्वरूपा अपीलार्थी के साथ निवास कर रही हैं । वह व्यस्क हो गई हैं थप्पड़ मारने की प्रथम घटना की पुष्टि के लिए स्वरूपा की परीक्षा साक्ष्य के रूप में नहीं की गई है । इसी प्रकार इस तथ्य की संपुष्टि के

लिए अभिलेख पर कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं । जहां तक औरंगाबाद की घटना का संबंध है, अपीलार्थी ने रोहिणी, की भी परीक्षा नहीं की है । इस पहलू पर साक्ष्य देने के लिए रोहिणी बेहतर साक्षी होती । अपीलार्थी का पक्षकथन यह नहीं है कि इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई थीं । न्यायालय के मत में, साक्ष्य पर समग्रता से विचार करने पर भी यह निष्कर्ष निकालना संभव नहीं है कि प्रत्यर्थी का व्यवहार ऐसा था कि अपीलार्थी के लिए प्रत्यर्थी के साथ सहवास करना संभव नहीं था । न्यायालय की राय में घटनाएं इतनी गंभीर नहीं थीं कि उन्हें क्रूरता के रूप में विवाह-विच्छेद का आधार बनाया जा सके । जहां तक अधित्यजन के आधार का संबंध है, अभिलेख पर उपस्थित साक्ष्य इसे स्वीकार करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं । यह ध्यान देने योग्य है कि वर्ष 1997 में, प्रत्यर्थी ने पुत्री स्वरूपा की अभिरक्षा के लिए अर्जी फाइल की थी । उक्त कार्यवाही में निर्णय की प्रति अभिलेख पर हैं । उसी प्रकार उक्त कार्यवाही में अभिलिखित अपीलार्थी और प्रत्यर्थी के साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत किए गए हैं । प्रदर्श 22 प्रत्यर्थी का अभिसाक्ष्य हैं । इस अभिसाक्ष्य के परिशीलन से यह दर्शित होता है कि यद्यपि अपीलार्थी और प्रत्यर्थी अगस्त, 1997 से अलग-अलग निवास कर रहे थे, किन्तु उनके मध्य कोई भी गंभीर विवाद नहीं था । प्रदर्श 22 में यह अभिलेख पर आया है कि अपीलार्थी और उसके कुटुंब के सदस्य प्रत्यर्थी के माता-पिता के घर आते रहते थे । अपीलार्थी का साक्ष्य अभित्यजन के आधार को स्वीकार करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं । इस प्रकम पर, यह कथन करना आवश्यक होगा कि वर्ष 2005 में अपीलार्थी और प्रत्यर्थी ने अपना विवाद सुलझा लिया था तथा वे एक साथ निवास भी करने लगे थे । इसलिए, इस मामले में विधि द्वारा समादेशित पृथक्करण का तथ्य अनुपस्थित है । (पैरा 14 और 15)

दूसरा महत्वपूर्ण पहलू अभित्यजन का आशय हैं । यह सिद्ध करने के लिए ठोस साक्ष्य होने चाहिए कि विवाह असुधार्य रूप से टूट चुका है और दोनों पक्षकारों को एक साथ निवास करने और सहवास करने की कोई भी इच्छा नहीं हैं । प्रत्यर्थी ने अपने साक्ष्य के प्रदर्श 30 में स्प्ष्ट रूप से कथन किया है कि वह अपीलार्थी के साथ निवास करने के लिए

तैयार और रजामंद हैं । प्रतिपरीक्षा में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए उसने कथन किया है कि उसने इसलिए किसी भी विधिक नोटिस को जारी नहीं किया या दांपत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन के लिए कोई अर्जी फाइल नहीं की क्योंकि उसे आशा थी कि अर्जीदार उसे वापस बुला लेगा, क्योंकि उनके मध्य विवाद एक सामान्य प्रक्रिया थी । अभित्यजन के आधार पर केवल अपीलार्थी का साक्ष्य है । तात्विक पहलुओं पर अपने साक्ष्य की संपुष्टि के लिए वह अपने कुटुंब के सदस्यों की परीक्षा कर सकता था । इस मामले में कुटुंब के सदस्य का साक्षी के रूप में परीक्षा न करने का कोई भी युक्तियुक्त स्पष्टीकरण नहीं है । यह ध्यान देने योग्य है कि चूंकि उनकी पुत्री वयस्क हो चुकी है, इसलिए वह अपीलार्थी के आचरण के साथ-साथ प्रत्यर्थी के आचरण को भी प्रमाणित कर सकती थी । इसलिए, न्यायालय के मत में अभित्यजन के आधार को प्रथमत: वाद हेतुक की कमी के कारण और दूसरा ठोस और तर्कपूर्ण साक्ष्य की कमी के कारण स्वीकार्य नहीं किया जा सकता है । (पैरा 16)

निर्दिष्ट निर्णय

पैरा

[2014] 2014 (2) एम. एच. एल. जे. 321 = ए. आई. आर. 2014 (एन. ओ. सी.) (अनु.) 310 (बोम्बे) (नागपुर बैंच) :
थूल बनाम **प्रवीण भानुदास थूल** ; 8

[2013] 2013 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 5559 :
कोल्लम चंद्रशेखर बनाम **कोल्लम पद्मा लाथ** ; 10

[2006] ए. आई. आर. 2006 एस. सी. 1677 = 2006 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 1550 :
नवीन कोहली बनाम **नीलू कोहली** ; 10

[2000] (2000) डी. एम. सी. 663 :
डी. मंगा उर्फ **मंगम्मा** बनाम **डी. वेंकट रमन** ; 8

[1995] ए. आई. आर. 1995 बॉम्बे 246 :
राजन वसंत रेवणकर बनाम **शोबा राजन रावणकर** ; 8

[1990] ए. आई. आर. 1990 कलकत्ता 367 :
श्रीमती संताना बनर्जी बनाम **सचिन्द्र नाथ बनर्जी** ; 8

[1988] ए. आई. आर. 1998 एस. सी. 2260 :
राम नारायण गुप्ता बनाम **श्रीमती रामेश्वरी गुप्ता** । 10

सिविल (अपील) अधिकारिता : 2014 की कुटुंब न्यायालय अपील सं. 95.

अर्जीदार की ओर से श्री पद्मा एम. चांदेकर

प्रत्यर्थी की ओर से श्री. यू. एम. औरंगाबादकर

न्यायमूर्ति जी. एन. सनप – कुटुंब न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 19 के अधीन फाइल इस अपील में, विद्वान् न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय सं. 2, नागपुर द्वारा पारित तारीख 7 नवंबर, 2008 के निर्णय और डिक्री को चुनौती दी गई है, जिसमें कुटुंब न्यायालय के विद्वान् न्यायाधीश ने हिन्दु विवाह अधिनियम, 1995 की क्रमशः धारा 13(1)(iक), (iख) तथा (iii) के अधीन क्रूरता, अभित्यजन और सिज़ोफ्रेनिया के कारण मानसिक विकार के आधार पर अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी के विरुद्ध फाइल विवाह-विच्छेद की अर्जी को खारिज कर दिया था ।

2. इस अपील के मुख्य तथ्य इस प्रकार है : अपीलार्थी और प्रत्यर्थी के बीच विवाह तारीख 4 फरवरी, 1991 को हुआ था । विवाह के पश्चात्, प्रत्यर्थी अपीलार्थी के गृह पर निवास करने के लिए आई । दंपत्ति को तारीख 06 अगस्त, 1992 को स्वरूपा नाम की एक पुत्री का जन्म हुआ । अपीलार्थी का पक्षकथन यह है कि प्रारंभ से ही प्रत्यर्थी ने कभी भी सामान्य रूप से कार्य या व्यवहार नहीं किया । प्रत्यर्थी में मानसिक असंतुलन के महत्वपूर्ण लक्षण प्रदर्शित हुए, जिसके परिणामस्वरूप हिंसक प्रकृति की अप्रिय घटनाएं घटित हुईं । प्रत्यर्थी, अपीलार्थी और उसके कुटुंब के सदस्यों से निरंतर झगड़ा करती थी । प्रत्यर्थी के आचरण और व्यवहार से अपीलार्थी के कुटुंब का शांतिपूर्ण वातावरण भंग हो गया था । अपीलार्थी का पक्षकथन यह है कि धीरे-धीरे प्रत्यर्थी इस बात पर सहमत हो गई थी कि वह मानसिक बीमारी से पीड़ित है । प्रारंभ में, उसका उपचार उनके कुटुंब चिकित्सक श्री किशोर

गोजलवार ने किया । कुटुंब चिकित्सक की सलाह पर प्रत्यर्थी का उपचार चिकित्सक सुधीर भावे ने किया । चिकित्सक सुधीर भावे ने राय दी कि प्रत्यर्थी अवसाद से पीड़ित है । उन्होंने औषधियों को विहित किया । प्रत्यर्थी ने कुछ समय तक औषधियां लीं, लेकिन बाद में चिकित्सक भावे के पास जाने से इनकार कर दिया और औषधियां लेना बंद कर दिया था ।

3. प्रत्यर्थी को तारीख 18 जून, 1994 को चिकित्सक भावे के पास ले जाया गया और उनके द्वारा प्रत्यर्थी का उपचार किया गया था । चिकित्सक भावे ने परीक्षण के पश्चात् राय दी कि प्रत्यर्थी सिज़ोफ्रेनिया से पीड़ित थी । चिकित्सक ने औषधियां विहित की थी । प्रत्यर्थी के व्यवहार में कोई भी सुधार नहीं हुआ । उसे कई बार आक्षेप हुआ और वह हिंसक हो गई । ऐसे ही एक अवसर पर, प्रत्यर्थी ने उनकी पुत्री स्वरूपा को थप्पड़ मार दिया था तथा पुत्री स्वरूपा उस थप्पड़ से अचेत हो गई थी । उसके मुख से रक्त का स्राव होने लगा था । प्रत्यर्थी, अपीलार्थी के साथ दुर्व्यवहार करती थी और मानसिक रूप से यातना देती थी । वह अपीलार्थी के केश और कॉलर खींचती थी । प्रत्यर्थी, कुटुंब के सभी सदस्यों से झगड़ा करती थीं । प्रत्यर्थी का आचरण और व्यवहार धीरे-धीरे हिंसक हो गया था । प्रत्यर्थी अपीलार्थी के कार्यालय भी गई थीं । प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी के कार्यालय में अपीलार्थी के साथ दुर्व्यवहार भी किया था । प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी के कार्यालय में हंगामा किया था । प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी को उसके कार्यालय से घसीट कर बाहर निकाल दिया था । प्रत्यर्थी के आचरण और व्यवहार में कोई भी सुधार नहीं हुआ । एक अवसर पर प्रत्यर्थी और अपीलार्थी रोहिणी पहाड़े के पुत्र के नामकरण समारोह में सम्मिलित होने के लिए औरंगाबाद गए थे । प्रत्यर्थी ने औरंगाबाद में भी हंगामा किया । प्रत्यर्थी ने वहां अपीलार्थी से झगड़ा किया और शयनकक्ष में जाकर अंदर से दरवाजा बंद कर लिया था । अपीलार्थी ने गंभीरता को समझते हुए दरवाजे को जोर से धक्का मारा और बड़ी कठिनाई से वह कक्ष में प्रवेश कर पाया । अपीलार्थी यह देखकर हैरान रह गया कि प्रत्यर्थी "गुड नाईट मॉस्किटो मैट" खा रही थीं । मानसिक बीमारी के परिणामस्वरूप प्रत्यर्थी का आचरण आत्महत्या करने की प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता हैं ।

4. वर्ष 1995 में, प्रत्यर्थी अपने माता-पिता के घर चली गई और वह वहीं निवास करने लगी । पुत्री, अपीलार्थी के साथ रह रही थीं । अपीलार्थी के अनुसार, प्रत्यर्थी ने उसके और अपीलार्थी के कुटुंब सदस्यों के साथ क्रूर व्यवहार किया था । अपीलार्थी के अनुसार, प्रत्यर्थी ने अर्जी फाइल करने से पूर्व बिना किसी युक्तियुक्त कारण के ही दो वर्ष से अधिक समय तक के लिए अपीलार्थी को अभित्यक्त कर दिया था । प्रत्यर्थी असाध्य मानसिक रूगणता से पीड़ित है । अपीलार्थी का पक्षकथन यह है कि उसके लिए प्रत्यर्थी के साथ अपने भावी विवाहित जीवन को जारी रखना संभव नहीं हैं । उपरोक्त आधारों पर, अपीलार्थी ने विवाह-विच्छेद के लिए प्रार्थना की हैं ।

5. प्रत्यर्थी ने लिखित कथन फाइल किया और दावे का विरोध किया । प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी द्वारा किए गए तात्विक अभिकथनों से इनकार किया । प्रत्यर्थी के अनुसार, उसके दांपत्य गृह में अपीलार्थी और उसके कुटुंब के सदस्यों द्वारा प्रत्यर्थी के साथ बुरा व्यवहार किया गया और प्रत्यर्थी को यातना दी गई थीं । प्रत्यर्थी को वर्ष 1994 में अपीलार्थी और उसके कुटुंब के सदस्यों द्वारा गृह से निकाल दिया गया था । प्रत्यर्थी अपने माता-पिता के गृह में रह रहीं थी । प्रत्यर्थी नौकरी कर रही थी । प्रत्यर्थी के अनुसार, अपीलार्थी ने स्थिति का अनुचित लाभ उठाया और उनकी पुत्री की अभिरक्षा ले लीं । चूंकि प्रत्यर्थी नौकरी कर रही थी, इसलिए, वह पुत्री को सास की अभिरक्षा में रखने के लिए मजबूर थी । जब प्रत्यर्थी को पुत्री से मिलने से वंचित कर दिया, तो अपीलार्थी ने अर्जी फाइल की थी । उक्त अर्जी खारिज कर दी गई थी । प्रत्यर्थी अपीलार्थी के साथ निवास करने और सहवास करने के लिए तैयार और रजामंद हैं । वर्ष 1994 के पश्चात्, अपीलार्थी और प्रत्यर्थी ने पारस्परिक सहमति से तय किया था कि यद्यपि अपीलार्थी और प्रत्यर्थी अलग-अलग रहेंगे और प्रत्यर्थी को अप्राप्तवय पुत्री से मिलने को वंचित नहीं किया जाएगा । फरवरी, 2005 के माह में अपीलार्थी और प्रत्यर्थी ने अपने लघु विवादों को सुलझा लिया तथा एक-दूसरे के साथ सहवास करने लगे थें । जैसा कि तय हुआ था कि उन्होनें दो वर्ष की अवधि तक एक साथ निवास किया । प्रत्यर्थी ने विनिर्दिष्टत: इस बात से इनकार

किया है कि अर्जी फाइल करने की तारीख से दो वर्ष पूर्व तक उनके बीच कोई सहवास नहीं हुआ था । प्रत्यर्थी, अपीलार्थी के साथ निवास करने तथा अपने कुटुंब जीवन को जीने के लिए तैयार और रजामंद हैं । प्रत्यर्थी के अनुसार, अपीलार्थी द्वारा किए गए अभिवचन के आधार मिथ्या और तुच्छ हैं । अर्जी में कोई भी सार नहीं है ।

6. कुटुंब न्यायालय में अपीलार्थी और प्रत्यर्थी ने मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए । साक्ष्य पर विचार करने के पश्चात्, विद्वान् न्यायाधीश ने यह निष्कर्ष निकाला है कि विवाह-विच्छेद की डिक्री मंजूर करने के लिए अपीलार्थी द्वारा अर्जी में दिए गए आधारों पर कोई मामला नहीं बनता है और अर्जी को खारिज कर दिया था । इस निर्णय और डिक्री से व्यथित होकर, अपीलार्थी इस न्यायालय के समक्ष आया हैं ।

7. हमने अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल और प्रत्यर्थी के विद्वान् काउंसेल को ध्यान में रखते हुए सुना । हमने अभिलेख और कार्यवाहियों का परिशीलन किया । तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, हमारे अवधारण के लिए निम्नलिखित बिन्दु उद्भूत होते हैं :–

- कि क्या अपीलार्थी ने यह साबित कर दिया है कि प्रत्यर्थी ने उसके साथ क्रूरतापूर्ण का व्यवहार किया तथा बिना किसी युक्तियुक्त कारण के अपीलार्थी का अभित्यजन कर दिया है ?

- कि क्या अपीलार्थी ने यह साबित कर दिया है कि प्रत्यर्थी असाध्य मानसिक बीमारी से पीड़ित है और इसलिए, अपीलार्थी के लिए प्रत्यर्थी के साथ सहवास करना संभव नहीं है ?

- क्या कुटुंब न्यायालय के विद्वान् न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री कायम रखे जाने योग्य है ?

8. अपीलार्थी की ओर से विद्वान् अधिवक्ता श्रीमती पद्मा चांदेकर ने दलील दी है कि अपीलार्थी द्वारा दिए गए मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य तर्कपूर्ण, विश्वसनीय हैं और इस प्रकार, उसके पक्षकथन को स्वीकार करने के लिए पर्याप्त हैं । विद्वान् अधिवक्ता ने दलील दी है

कि अपीलार्थी के साक्ष्य के तात्विक बिन्दु को प्रतिपरीक्षा में चुनौती नहीं दी गई है और इसलिए, उसे विद्वान् न्यायाधीश द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिए था । अपीलार्थी और प्रत्यर्थी के साक्ष्य की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हुए विद्वान् अधिवक्ता ने दलील दी है कि प्रत्यर्थी ने स्वीकार किया है कि उसका उपचार मनोचिकित्सक चिकित्सक भावे द्वारा किया जा रहा था । मौखिक साक्ष्य की चिकित्सा प्रमाण-पत्र और अन्य अभिलेखों से पूरी तरह से संपुष्टि की गई हैं । विद्वान् अधिवक्ता ने यह निवेदन किया है कि इस बात को सिद्ध करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं है कि अपीलार्थी और प्रत्यर्थी के बीच हुए समझौते को ध्यान में रखते हुए उन्होनें वर्ष 2005 से दो वर्ष तक की अवधि के लिए एक साथ निवास किया था । विद्वान् अधिवक्ता ने यह निवेदन किया है कि भले ही यह मान लिया जाए कि वे कुछ समय तक एक साथ रहे थे, तो भी उक्त अभित्यजन और क्रूरता के कृत्य माफी की कोटि में नहीं आ सकता । इस निवेदन के समर्थन में विद्वान् अधिवक्ता ने **उत्तरा प्रवीण थूल** बनाम **प्रवीण भानुदास थूल**[1] और **श्रीमती संताना बनर्जी** बनाम **सचिन्द्र नाथ बनर्जी**[2] वाले मामले के विनिश्चयों का अवलंब लिया है । इन विनिश्चयों में अभिनिर्धारित किया गया है कि हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 23(1)(ख) के निबंधनों में, माफी की कोटी में आने के लिए माफी और पुन:स्थापन होनी चाहिए और उक्त कार्य दोनों पक्षकारों द्वारा किया गया द्विपक्षीय कार्य होना चाहिए न कि किसी एक पक्षकार द्वारा किया गया एकपक्षीय कार्य । यह अभिनिर्धारित किया गया था कि संबंधों को सुधारने के प्रयास में कुछ अवसरों पर मात्र सहवास करना, क्रूरता से माफी गठित नहीं करेगा । विद्वान् अधिवक्ता ने यह निवेदन किया है कि प्रत्यर्थी का आचरण उसके इस कथन के अनुरूप नहीं है कि वह अपीलार्थी के साथ निवास करने और सहवास करने के लिए तैयार रही है । उसने 14 वर्षों तक दांपत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन के लिए अर्जी भी फाइल नहीं की हैं । विद्वान् अधिवक्ता ने यह निवदेन किया है

---

[1] 2014 (2) एम. एच. एल. जे. 321 = ए. आई. आर. 2014 (एन. ओ. सी.) (अनु.) 310 (बोम्बे) (नागपुर बेंच).

[2] ए. आई. आर. 1990 कलकत्ता 367.

कि अभिलेख पर लाए गए प्रत्यर्थी के कृत्य, क्रूरता और अभित्यजन गठित करते हैं । कृत्य का संचयी प्रभाव यह दर्शाता है कि पक्षकारों के बीच विवाह असुधार्य रूप से टूट चुका है और इसलिए अपीलार्थी विवाह-विच्छेद की डिक्री पाने का हकदार हैं । इस निवेदन के समर्थन में, विद्वान् अधिवक्ता ने **डी. मंगा** उर्फ **मंगम्मा** बनाम **डी. वेंकट रमन**[1] और **राजन वसंत रेवणकर** बनाम **शोबा राजन रावणकर**[2] वाले मामले के विनिश्चयों का जोरदार रूप से अवलंब लिया है ।

9. विद्वान् अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया है कि चिकित्सीय साक्ष्य यह साबित करने के लिए पर्याप्त है कि प्रत्यर्थी सिज़ोफ्रेनिया की असाध्य बीमारी से पीड़ित थी । अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के निवेदन में विवाह-विच्छेद के मामले में किए गए अभिवाचित तीनों आधार साबित हो चुके हैं और इसलिए, अपील मंजूर किए जाने योग्य है ।

10. प्रत्यर्थी के विद्वान् अधिवक्ता श्री यू. एम. औरंगाबोड़कर ने यह निवेदन किया है कि इस मामले में विवाह-विच्छेद की डिक्री की ईप्सा के लिए अपीलार्थी द्वारा अभिवाचित के आधार साबित नहीं हुए हैं । विद्वान् अधिवक्ता ने यह निवेदन किया है कि अभित्यजन के आधार को स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि अपीलार्थी और प्रत्यर्थी के बीच वर्ष 2005 में सहवास स्थापित करने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के भीतर अर्जी फाइल की गई थी । विद्वान् अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया है कि पक्षकारों के बीच पारस्परिक समझौते के निबन्धनों में, उन्होनें वर्ष 2005 से 2 वर्षों तक एक साथ निवास किया और सहवास किया था और इसलिए, उक्त कृत्य क्रूरता और अभित्यजन के आधारों को माफ करने की कोटि में आता है । विद्वान् अधिवक्ता ने यह निवेदन किया है कि प्रत्यर्थी की मानसिक दशा स्वस्थ होने के तथ्य के साक्ष्य को स्वतंत्र साक्षी द्वारा सम्पुष्ट किया गया है । विद्वान् अधिवक्ता ने हमें चिकित्सीय साक्ष्य से अवगत कराया है और यह निवेदन किया है कि उक्त साक्ष्य का अब कोई उपयोग नहीं है, क्योंकि

---

[1] (2000) डी. एम. सी. 663.

[2] ए. आई. आर. 1995 बॉम्बे 246.

वे वर्ष 1999 से पूर्व की अवधि के लिए थे । विद्वान् अधिवक्ता ने यह निवेदन किया है कि अपीलार्थी ने क्रूरता और अभित्यजन के आधार और समर्थन करने के लिए अपनी पुत्री चिकित्सक भावे का परीक्षण करके असाध्य सिज़ोफ्रेनिया रोग के आधार की भी परीक्षा नहीं की है । विद्वान् अधिवक्ता ने हमें प्रत्यर्थी और उसके द्वारा परीक्षित साक्षी के साक्ष्य से अवगत कराया और निवेदन किया है कि प्रत्यर्थी के पक्षकथन को स्वीकार करने के लिए यह पर्याप्त है कि वह प्रारंभ से लेकर आज तक नौकरी कर रही है । विद्वान् अधिवक्ता ने निवदेन किया है कि अपीलार्थी द्वारा लगाए गए आरोपों अभिकथनों की गंभीरता पर विचार करते हुए, उसे अपने कुटुंब के सदस्यों की परीक्षा करनी चाहिए थी । विद्वान् अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि अपीलार्थी इस मामले में क्रूरता, अधित्यजन के आधार और सिज़ोफ्रेनिया के कारण मानसिक विकार के आधार को साबित करने में असफल रहा है । इस दलील को सिद्ध करने के लिए विद्वान् अधिवक्ता ने **राम नारायण गुप्ता** बनाम **श्रीमती रामेश्वरी गुप्ता**[1], **नवीन कोहली** बनाम **नीलू कोहली**[2] और **कोल्लम चंद्रशेखर** बनाम **कोल्लम पद्मा लाथ**[3] वाले मामलें में दिए गए विनिश्चयों का अवलंब लिया है ।

11. **राम नारायण** (उपरोक्त) वाले मामले में, यह अभिनिर्धारित किया गया है कि पति या पत्नी को सिज़ोफ्रेनिक कह देना ही पर्याप्त नहीं हैं । पति या पत्नी के मानसिक विकार की कोटि इस प्रकार से साबित होनी चाहिए कि अर्जीदार पति या पत्नी से एक दूसरे के साथ युक्तियुक्त रूप से रहने की आशा नहीं की जा सकती है । **नवीन कोहली** (उपरोक्त) वाले मामलें में, यह अभिनिर्धारित किया गया है क्रूरता का गठित करने के लिए आचरण जिसकी शिकायत की गई है, गंभीर और वजनदार होना चाहिए । आचरण ऐसा होना चाहिए कि कोई भी युक्तियुक्त व्यक्ति उसे सहन नहीं कर सकेगा । विवाहित जीवन की सामान्य टूट-फूट, इसकी परिधि में नही आ सकता हैं । **कोल्लम चंद्र**

---

[1] ए. आई. आर. 1998 एस. सी. 2260.

[2] ए. आई. आर. 2006 एस. सी. 1677 = 2006 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 550.

[3] 2013 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 5559.

शेखर (उपरोक्त) वाले मामलें में, यह अभिनिर्धारित किया गया है कि हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13(1)(iii) के अधीन आधार को स्वीकार करने के लिए बीमारी भी असाध्य प्रकृति का साबित किया जाना चाहिए । यदि चिकित्सीय विवरण में, विद्यमान साक्ष्य से यह उपदर्शित होता है कि मानसिक बीमारी के लक्षण विद्यमान नहीं थे, अपितु मरीज ने उपचार पर अच्छी प्रतिक्रिया दी है, तो इसे विवाह-विच्छेद का आधार नहीं बनाया जा सकता है ।

12. परस्पर विरोधी निवेदनों का मूल्यांकन करने के अनुक्रम में, हमने पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य का सूक्ष्म परिशीलन किया है । अपीलार्थी ने स्वयं का एकमात्र साक्षी के रूप में परीक्षा कराई है । प्रत्यर्थी ने अपनी प्रतिरक्षा के समर्थन में स्वयं की परीक्षा कराई है । उसकी स्वतंत्र साक्ष्य के रूप में परीक्षा हुई है । जहां तक क्रूरता और अभित्यजन के आधार का संबंध है प्रत्यर्थी का पक्षकथन यह है कि वर्ष 2005 में उन्होंने अपने विवाद का निपटारा कर लिया था और फरवरी, 2005 से दो वर्ष तक उन्होंने एक साथ निवास करना भी प्रारंभ कर दिया था और सहवास भी किया । इस दलील के आधार पर, प्रत्यर्थी द्वारा यह पक्षकथन करने की ईप्सा की गई है कि अपीलार्थी ने क्रूरता के कार्य को माफ कर दिया था तथा इसलिए, हिन्दू विवाह अधिनयम, 1955 की धारा 23(1)(ख) के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए अपीलार्थी क्रूरता के आधार पर डिक्री का हकदार नहीं था । जहां तक अभित्यजन के आधार का संबंध है, प्रत्यर्थी का पक्षकथन यह है कि अपीलार्थी ने द्विपक्षीय रूप से उनके सहवास के पुनरारंभ होने के पश्चात् दो वर्ष की अवधि के भीतर अभित्यजन के आधार पर यह अर्जी फाइल की है । पक्षकारों ने इस बिंदु पर साक्ष्य प्रस्तुत किया है । प्रतिपरीक्षा में अपीलार्थी ने अपने साक्ष्य के पैरा 16 में स्वीकार किया है कि वर्ष 2004 में उसने और प्रत्यर्थी ने पारस्परिक सहमति से पुन: सहवास प्रारंभ करने का विनिश्चय किया था और लगभग 4-5 माह तक उन्होंने एक साथ निवास किया था । अपीलार्थी ने इसके अतिरिक्त यह भी स्वीकार किया है कि अर्जी फाइल करने से पूर्व उसने प्रत्यर्थी के विरुद्ध सहवास के पुनरांरभ के लिए कोई भी कार्यवाही फाइल नहीं की थीं । इस बिन्दु पर प्रत्यर्थी का पक्षकथन यह है कि उनके मध्य पारस्परिक समझौते को

ध्यान में रखते हुए उन्होनें फरवरी, 2005 में एक साथ निवास करना प्रारंभ किया था तथा उन्होनें लगभग दो वर्ष की अवधि तक एक साथ निवास किया था । प्रत्यर्थी का पक्षकथन यह है कि अपीलार्थी अपनी मां के प्रभाव में है और बिना किसी भी वाद हेतु के उसने विवाह-विच्छेद के लिए अर्जी फाइल की है । जहां तक इस साक्ष्य का संबंध है, प्रत्यर्थी इसमें प्रतिपरीक्षा के अध्यधीन थी । प्रत्यर्थी ने स्वीकार किया है कि सहवास के पुनरारंभ के बारे में किया गया कथन सही है, लेकिन उन्होंने एक साथ निरंतर मात्र 6 माह तक ही निवास किया था । प्रत्यर्थी को यह इंगित नहीं किया गया था कि उन्होंने वर्ष 2004 में न कि फरवरी, 2005 के माह में सहवास पुनरारंभ किया था । अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 16 में, अपीलार्थी ने वर्ष 2004 में सहवास के पुनरारंभ का विनिर्दिष्ट माह बताया है । इसके विपरीत, प्रत्यर्थी माह के बारे में विनिर्दिष्ट थी । इस साक्ष्य के आधार पर दो तथ्य उद्भूत होते हैं । पहला, यह है कि अपीलार्थी और प्रत्यर्थी ने द्विपक्षीय रूप से एक साथ निवास और सहवास करने का विनिश्चय किया था और दूसरा, यह कि अपीलार्थी का पक्षकथन यह नहीं है कि यह विनिश्चय प्रत्यर्थी का एकपक्षीय विनिश्चय था । इसलिए यह बिना कहे ही स्पष्ट है कि क्रूरता के तथाकथित कार्य को माफ करने के पश्चात् ही अपीलार्थी और प्रत्यर्थी ने एक साथ निवास और सहवास किया था । इसलिए, हमारे विचार में, जहां तक क्रूरता के आधार का संबंध है यह मामला प्रत्येक प्रकार से हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 23 और 23(1)(ख) के उपबंधों के अंतर्गत आता है । इस स्थिति को देखते हुए **उत्तरा** (उपरोक्त) वाले मामले में इस बिन्दु पर अधिकथित विधि अपीलार्थी के मामले का समर्थन नहीं करती है । इन तथ्यों और परिस्थितियों में यह प्रत्यर्थी के मामले का समर्थन करता है ।

13. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, यह निष्कर्ष निकलता है कि अभित्यजन के कार्य को भी माफ कर दिया गया था । हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा, 13(i)(ख) के अनुसार, अर्जी प्रस्तुत करने के तुरंत बाद अभित्यजन कम से कम निरंतर दो वर्ष की अवधि का होना चाहिए । समझौते और परिणामिक सहवास के बिंदु पर प्रत्यर्थी के

साक्ष्य अधिक विनिर्दिष्ट हैं । उसने कथन किया है कि उन्होंने फरवरी, 2005 में सहवास पुन: आरम्भ किया था । यद्यपि यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि सहवास, दो वर्ष की अवधि में नहीं हुआ था अपितु सहवास 6 माह की अवधि में हुआ था, जैसा कि प्रत्यर्थी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में स्वीकार है, तो हमारी सुविचारित राय में अभित्यजन के आधार पर अर्जी बिना किसी वाद हेतुक के होगी । फरवरी, 2005 में सहवास के पुनरारंभ की तारीख से उनके एक साथ निवास करने की अवधि जुलाई, 2005 के अंत तक होगी । यह अर्जी तारीख 6 मार्च, 2007 को फाइल की गई थी । मोटे हिसाब से अवधिक की गणना करने पर यह दर्शित होता है कि पृथक् होने के पश्चात् 2 वर्ष की अवधि जुलाई, 2007 के अंत में समाप्त हो गई होगी । इसलिए, यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि यह अर्जी दो वर्ष से कम की अवधि के भीतर फाइल करने से, अभित्यजन के आधार पर अपीलार्थी के पक्ष में कोई वाद हेतुक निहित नहीं होती हैं । हमारे मत में, जहां तक क्रूरता या अभित्यजन के आधार का संबंध है, उपरोक्त तकनीकी आधारों के कारण अर्जीदार विवाह-विच्छेद प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा ।

14. यद्यपि इस तर्क के लिए यह मान भी लिया जाए कि ऊपर कथित तकनीकी आधार पर अपीलार्थी के मामले में किसी प्रकार से नहीं ठहरते हैं, हमारी राय में, गुणागुणों पर भी क्रूरता और अभित्यजन के आधार साबित होना नहीं कहे जा सकते हैं । जहां तक क्रूरता के आधार का संबंध है, अपीलार्थी ने दो मुख्य घटनाओं का अवलंब लिया है । प्रथम घटना स्वरूपा को इतनी तीव्रता से थप्पड़ मारने की है जिससे स्वरूपा अचेत हो गई थी और स्वरूपा के मुख से रक्त का स्राव होने लगा था तथा अपीलार्थी और उसके कुटुंब के सदस्यों के प्रति प्रत्यर्थी का अनियमित और विवेकारहित व्यवहार था । दूसरा आधार यह है कि औरंगाबाद में रोहिणी के निवास पर प्रत्यर्थी ने हंगामा किया था और कमरे का द्वार बंद करने के पश्चात् "गुड नाईट मॉस्किटो मैट" खा लिया था । कुटुंब न्यायालय के विद्वान् न्यायाधीश ने निष्कर्ष निकाला है कि ऐसी घटनाओं को वैवाहिक जीवन की मात्र सामान्य टूट-फूट ही कही जा सकती है । इस प्रक्रम पर इसका उल्लेख करना उचित है कि उनकी पुत्री

स्वरूपा अपीलार्थी के साथ निवास कर रही है । वह व्यस्क हो गई है थप्पड़ मारने की प्रथम घटना की पुष्टि के लिए स्वरूपा की परीक्षा साक्ष्य के रूप में की गई । इसी प्रकार इस तथ्य की संपुष्टि के लिए अभिलेख पर कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है । जहां तक औरंगाबाद की घटना का संबंध है, अपीलार्थी ने रोहिणी, की भी परीक्षा नहीं की गई है । इस पहलू पर साक्ष्य देने के लिए रोहिणी बेहतर साक्षी होती । अपीलार्थी का पक्षकथन यह नहीं है कि इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई थी । हमारे मत में, साक्ष्य पर समग्रता से विचार करने पर भी यह निष्कर्ष निकालना संभव नहीं है कि प्रत्यर्थी का व्यवहार ऐसा था कि अपीलार्थी के लिए प्रत्यर्थी के साथ सहवास करना संभव नहीं था । हमारी राय में घटनाएं इतनी गंभीर नहीं थीं कि उन्हें क्रूरता के रूप में विवाह-विच्छेद का आधार बनाया जा सके ।

15. जहां तक अधित्यजन के आधार का संबंध है, अभिलेख पर उपस्थित साक्ष्य इसे स्वीकार करने के लिए पर्याप्त नहीं है । यह ध्यान देने योग्य है कि वर्ष 1997 में, प्रत्यर्थी ने पुत्री स्वरूपा की अभिरक्षा के लिए अर्जी फाइल की थी । उक्त कार्यवाही में निर्णय की प्रति अभिलेख पर है । उसी प्रकार उक्त कार्यवाही में अभिलिखित अपीलार्थी और प्रत्यर्थी कि साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत किए गए हैं । प्रदर्श 22 प्रत्यर्थी का अभिसाक्ष्य है । इस अभिसाक्ष्य के परिशीलन से यह दर्शित होता है कि यद्यपि अपीलार्थी और प्रत्यर्थी अगस्त, 1997 से अलग-अलग निवास कर रहे थे, किन्तु उनके मध्य कोई भी गंभीर विवाद नहीं था । प्रदर्श 22 में यह अभिलेख पर आया है कि अपीलार्थी और उसके कुटुंब के सदस्य प्रत्यर्थी के माता-पिता के घर आते रहते थे । अपीलार्थी का साक्ष्य अभित्यजन के आधार को स्वीकार करने के लिए पर्याप्त नहीं है । इस प्रक्रम पर, यह कथन करना आवश्यक होगा कि वर्ष 2005 में अपीलार्थी और प्रत्यर्थी ने अपना विवाद सुलझा लिया था तथा वे एक साथ निवास भी करने लगे थे । इसलिए, इस मामले में विधि द्वारा समादेशित पृथक्करण का तथ्य अनुपस्थित है ।

16. दूसरा महत्वपूर्ण पहलू अभित्यजन का आशय है । यह सिद्ध

करने के लिए ठोस साक्ष्य होने चाहिए कि विवाह असुधार्य रूप से टूट चुका है और दोनों पक्षकारों को एक साथ निवास करने और सहवास करने की कोई भी इच्छा नहीं है । प्रत्यर्थी ने अपने साक्ष्य के प्रदर्श 30 में स्पष्ट रूप से कथन किया है कि वह अपीलार्थी के साथ निवास करने के लिए तैयार और रजामंद है । प्रतिपरीक्षा में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए उसने कथन किया है कि उसने इसलिए किसी भी विधिक नोटिस को जारी नहीं किया या दांपत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन के लिए कोई अर्जी फाइल नहीं की क्योंकि उसे आशा थी कि अर्जीदार उसे वापस बुला लेगा, क्योंकि उनके मध्य विवाद एक सामान्य प्रक्रिया थी । अभित्यजन के आधार पर केवल अपीलार्थी का साक्ष्य है । तात्विक पहलुओं पर अपने साक्ष्य की संपुष्टि के लिए वह अपने कुटुंब के सदस्यों की परीक्षा कर सकता था । इस मामले में कुटुंब के सदस्य का साक्षी के रूप में परीक्षा न करने का कोई भी युक्तियुक्त स्पष्टीकरण नहीं है । यह ध्यान देने योग्य है कि चूंकि उनकी पुत्री वयस्क हो चुकी है, इसलिए वह अपीलार्थी के आचरण के साथ-साथ प्रत्यर्थी के आचरण को भी प्रमाणित कर सकती थी । इसलिए, हमारे मत में अभित्यजन के आधार को प्रथमत: वाद हेतुक की कमी के कारण और दूसरा ठोस और तर्कपूर्ण साक्ष्य की कमी के कारण स्वीकार्य नहीं किया जा सकता है ।

17. तीसरा आधार सिज़ोफ्रेनिया की असाध्य व्याधि है । अपीलार्थी ने अपने साक्ष्य में प्रत्यर्थी भी मानसिक बीमारी और बीमारी ठीक होने पर उसके असंतुलित और तर्कहीन कार्यों तथा उसके व्यवहार के बारे में अभिसाक्ष्य दिया है । प्रत्यर्थी ने इस आधार को पूर्ण रूप से इनकार किया है । यहां पर प्रत्यर्थी तथा प्रत्यर्थी के द्वारा परीक्षित साक्षियों के साक्ष्य पर विचार करना समुचित होगा । प्रत्यर्थी ने कथन किया है कि वह प्रारंभ से ही एन. जी. डी. ए. प्राइवेट लिमिटेड टाइटन वॉच शोरूम में ग्राहक संबंध अधिकारी के रूप में कार्य कर रही है । प्रत्यर्थी का पक्षकथन यह है कि यदि वह अभिकथित रूप से सिज़ोफ्रेनिया की बीमारी से पीड़ित होती, तो वह अपनी नौकरी में कार्य पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाती । इस तथ्य को सिद्ध करने के लिए प्रत्यर्थी ने एन. जी. डी. ए. प्राइवेट लिमिटेड में कार्यरत साक्षी लेखाकार श्री महेश पुत्र इमरतलाल

शिव की परीक्षा कराई है । साक्षी ने कथन किया है कि प्रत्यर्थी पिछले 15 वर्षों से ग्राहक संबंध अधिकारी के रूप में कंपनी में कार्य कर रही है । प्रत्यर्थी को ग्राहकों को संभालना होता है । प्रत्यर्थी के आचरण और व्यवहार के बारे में साक्षी ने अभिसाक्ष्य दिया है कि सामान्य तौर पर अधिकारियों, सहकर्मियों और ग्राहकों के साथ प्रत्यर्थी का व्यवहार बहुत अच्छा है साक्षी ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि प्रत्यर्थी ने वर्ष में एक या दो बार प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया तथा प्रत्यर्थी को इस संबंध में कई प्रमाणपत्र भी प्राप्त हुए थे । साक्षी ने स्पष्ट रूप से यह अभिसाक्ष्य दिया है कि प्रत्यर्थी ने कभी भी किसी भी अधिकारी, सहकर्मियों या ग्राहकों से झगड़ा नहीं किया है । इस साक्षी की अपीलार्थी की ओर से प्रतिपरीक्षा की गई है । साक्षी की प्रतिपरीक्षा के अवलोकन से पता चलता है कि कंपनी में प्रत्यर्थी के रोजगार, कार्य की प्रकृति और सहकर्मियों तथा ग्राहकों के साथ प्रत्यर्थी के सामान्य व्यवहार के बिन्दु पर उसकी प्रतिपरीक्षा में कोई भी ऐसी सामाग्री नहीं मिली है, जिससे उसके साक्ष्य को नामंजूर किया जा सके । इस प्रक्रम पर यह उल्लेख करना उपर्युक्त है कि यदि प्रत्यर्थी सिज़ोफ्रेनिया की बीमारी से पीड़ित होती, जैसा कि अपीलार्थी ने कथन किया है, तो प्रत्यर्थी नौकरी करने में समर्थ नहीं होती । यदि प्रत्यर्थी उच्च डिक्री में सिज़ोफ्रेनिया से पीड़ित होती, तो प्रत्यर्थी को कंपनी द्वारा कर्मचारी के रूप में जारी नहीं रखा जाता । हमारे मत में, प्रत्यर्थी और स्वतंत्र साक्षी के साक्ष्य के आधार पर साबित इस महत्वपूर्ण तथ्य का अपीलार्थी द्वारा खंडन नहीं किया गया है ।

18. इस बिन्दु पर अपीलार्थी के साक्ष्य का परिशीलन करने पर प्रदर्शित होता है कि उसने इस तथ्य पर गंभीरता से विवादित नहीं किया है । अपीलार्थी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में स्वीकार किया है कि प्रत्यर्थी पिछले 6-8 वर्षों से एन. जी. डी. ए. प्राइवेट लिमिटेड, माउंड रोड, सदर, नागपुर के टाइटन शोरूम में कार्यरत है । अपीलार्थी ने स्पष्ट रूप से यह स्वीकार किया है कि प्रत्यर्थी के व्यवहार के संबंध में प्रत्यर्थी के नियोक्ता ने प्रत्यर्थी के विरुद्ध कोई भी शिकायत नहीं की है । अपनी

प्रतिपरीक्षा में अपीलार्थी ने कथन किया है कि वह प्रत्यर्थी के साथ पुन: सहवास करने के लिए तैयार नहीं था । यद्यपि प्रत्यर्थी ने बच्चे के लिए पुन: सहवास प्रारंभ करने की इच्छा व्यक्त की थी । इस बिन्दु पर अपीलार्थी के साक्ष्य प्रत्यर्थी के आधार का समर्थन करते हैं ।

19. अभिलेख पर मौजूद अन्य साक्ष्य, अपीलार्थी की दलील का समर्थन नहीं करते हैं । अपीलार्थी के अनुसार, प्रत्यर्थी का मनोचिकित्सक डा. भावे ने उसकी व्याधि के लिए उपचार किया गया था । इस मामले में, चिकित्सक डा. भावे की परीक्षा नहीं की गई है । जैसा कि उपर्युक्त कथित है कि प्रत्यर्थी ने अप्राप्तवय पुत्री स्वरूपा की अभिरक्षा के लिए वर्ष 1997 में कुटुंब न्यायालय में अर्जी फाइल की थी । इस अर्जी को तारीख 20 जून, 2000 को खारिज कर दिया गया था । अपीलार्थी उक्त अर्जी में, उसमें का प्रत्यर्थी था । उक्त कार्यवाही में अपीलार्थी ने साक्षी के रूप चिकित्सक भावे की परीक्षा की थी । इस कार्यवाही में अपीलार्थी ने चिकित्सक भावे की परीक्षा करने के बजाय उसने तारीख 27 फरवरी, 1995 के चिकित्सक डा. भावे द्वारा जारी प्रदर्श 24 प्रमाणपत्र और में चिकित्सक भावे के अभिसाक्ष्य तथा अन्य चिकित्सा पत्रों को अभिलेख पर प्रस्तुत किया है । चिकित्सक भावे का साक्षी के रूप में तारीख 22 अगस्त, 1999 को परीक्षा कि गई थी । वर्ष 2007 में अर्जी फाइल की गई थीं । इस समय चिकित्सक डा. भावे की परीक्षा नहीं की गई थी । इसके लिए अभिलेख पर कोई भी स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है । हमारे मत में, प्रदर्श 23 में दिए गए प्रमाणपत्र और प्रदर्श 24 में चिकित्सक डा. भावे के अभिसाक्ष्य की प्रमाणित प्रति का अवलंब पर स्वीकार नहीं किया जा सकता है ।

20. इस संदर्भ में, अपीलार्थी की प्रतिपरीक्षा का परिशीलन करना समुचित होगा । अपीलार्थी ने स्वीकार किया है कि बच्चे के लिए उन्होंने पारस्परिक सहमति से पुन: एक साथ निवास करने का विनिश्चय किया था । इसके अतिरिक्त यह भी स्वीकार किया है कि वर्ष 2004 में प्रत्यर्थी कोई भी चिकित्सा उपचार नहीं ले रही थी । इसके अतिरिक्त उसने स्वीकार किया है कि सहवास के दौरान वह वर्ष 2004 में कभी भी प्रत्यर्थी को चिकित्सक डा. भावे के पास नहीं ले गया था, क्योंकि वह

आवश्यक नहीं था । हमारे मत में, अपीलार्थी द्वारा प्रतिपरीक्षा में दी गई स्वीकृति मामले की वास्तविक के बारे में बहुत कुछ बताती है । अभिलेख पर विद्यमान साक्ष्यों की पृष्ठभूमि में भी, इस आधार को स्वीकार नहीं किया जा सकता है । कुटुंब न्यायालय के विद्वान् न्यायाधीश ने अपीलार्थी के पक्षकथन पर अविश्वास करने के कारण अभिलिखित किए हैं । नए सिरे से सामग्री का मूल्यांकन और विश्लेषण करने पर, हमारी यह राय है कि कुटुंब न्यायालय द्वारा पारित सकारण निर्णय और डिक्री में हस्तक्षेप करने का कोई भी कारण नहीं है । इसलिए, हमारे मत में, **राम नारायण** (उपरोक्त), **नवीन कोहली** (उपरोक्त) और **कोल्लम चंद्र** (उपरोक्त) वाले मामलों में अधिकथित विधि, जिसका प्रत्यर्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अवलंब लिया है, इस मामले के तथ्यों पर पूर्ण रूप से लागू होते हैं । साबित तथ्यों को दृष्टिगत करते हुए **डी. मंगा** (उपरोक्त), **उत्तरा** (उपरोक्त), **संताना** (उपरोक्त) और **राजन** (उपरोक्त) वाले मामलों में अधिकथित विधि जिसका अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अवलंब लिया है, इस मामले के तथ्यों पर लागू नहीं किया जा सकता है । इस स्थिति को दृष्टिगत करते हुए, हमारा यह निष्कर्ष है कि अपील में कोई सार नहीं है । इसलिए, अपील खारिज किए जाने योग्य है । इसलिए निम्नलिखित आदेश, पारित किया जाता है –

आदेश

कुटुंब न्यायालय से अपील खारिज की जाती है ।

तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए पक्षकार अपने खर्चे स्वयं वहन करेंगे ।

भागत: अपील मंजूर की गई ।

अम./क.

ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड क्षेत्रीय कार्यालय

बनाम

श्रीमती यशोदा देवी और अन्य

(2013 की एकलपीठ सिविल विविध अपील सं. 1805)

तारीख 29 नवंबर, 2021

न्यायमूर्ति संजीव प्रकाश शर्मा

मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) – धारा 173 [सपठित कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8(15) और शस्त्र अधिनियम की धारा 25 और 27] – चालक द्वारा नियोजन के दौरान यान चलाया जाना – पुलिस द्वारा रोके जाने पर यान को न रोकना – मृतक द्वारा पुलिस पर गोली चलाना – मृतक को गिरफ्तार करके कारावास में डाला जाना – कारावास के दौरान चालक की मृत्यु होना – मृतक के आश्रितों द्वारा इस आधार पर प्रतिकर का दावा किया जाना कि मृतक की मृत्यु यान चालान के दौरान लगी चोंट के कारण हुई – आयुक्त द्वारा बीमा कम्पनी के विरुद्ध प्रतिकर संदाय करने का आदेश पारित किया जाना – आयुक्त के आदेश को चुनौती देना – यदि अभिलेख पर यह साबित कर दिया जाता है कि यान चालक की मृत्यु, यान चलाते समय नहीं हुई है अपितु उसे पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने के पश्चात् कारावास में रखने के दौरान हुई है तो बीमा कम्पनी उसकी मृत्यु के एवज में किसी भी प्रकार का प्रतिकर संदाय करने के लिए दायी नहीं होगी और ऐसा कोई आदेश खारिज किए जाने योग्य होगा ।

संक्षेप में, मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि यह अपील विद्वान् आयुक्त, कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923, अजमेर, जिला अजमेर द्वारा पारित तारीख 28 मार्च, 2023 के आदेश के विरुद्ध फाइल की गई है, जिसके द्वारा आयुक्त ने 4,19,840/- रुपए की रकम 12% वार्षिक ब्याज के साथ, का अधिनिर्णय पारित किया है । इससे व्यथित होकर

यह अपील फाइल की गई है । न्यायालय द्वारा अपील खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – पुलिस ने मृतक अजय सिंह के विरुद्ध एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8(15) और शस्त्र अधिनियम की धारा 25 और 27 के अधीन प्रथम इतिला रिपोर्ट दर्ज की थी । पुलिस को सूचना मिली कि वह जीप आर.जे. 01 टी 0744 में प्रतिबंधित सामग्री ले जा रहा है और उन्होंने आरोपी अजय सिंह द्वारा चलाए जा रहे यान को रोकने का प्रयास किया, जो पुलिस बैरिकेट पर नहीं रुका और पुलिस पर एक स्थानीय पिस्तौल से गोली भी चला दी । बाद में उसे उपरोक्त अपराधों के अधीन गिरफ्तार कर लिया गया और कारावास में रखा गया । कोई शव-परीक्षा रिपोर्ट नहीं है और केवल यह सूचना है कि उनकी मृत्यु तारीख 15 अप्रैल, 2007 को हुई थी । तारीख 3 जून, 2006 को हुई घटना के संबंध में, वह एकमात्र दावेदार है जिसने मृतक के उपचार के दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं कि चोंटें उस समय लगी थीं जब वह पुलिस बैरिकेट से भागने का प्रयास कर रहा था जिसके परिणामस्वरूप यान की दुर्घटना हुई थी । (पैरा 6)

दावेदार यह भी साबित नही कर पाए हैं कि चोंट तब लगी जब वह बीमाकृत यान में प्रतिबंधित पदार्थों को ले जाने का काम कर रहे थे । एक जीप का चालक जो पुलिस से बचने की कोशिश करने के लिए हथियार का उपयोग करता है और पुलिस बैरिकेट को भी तोड़ता है, उसे यान के चालक के रूप में सौंपे गए कर्तव्यों का पालन करने के लिए नहीं कहा जा सकता है । इसे ध्यान में रखते हुए, कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923 के अंतर्गत यथापरिकल्पित क्षतिपूर्ति ऐसे व्यक्तियों को नहीं दी जा सकती है क्योंकि यह एक लाभकारी विधान है जो अपराध में संलिप्त व्यक्तियों की सहायता करने के लिए नहीं है । वर्तमान मामले में, यह भी नहीं कहा जा सकता है कि मृतक की मुत्यु एक दुर्घटना के दौरान लगी चोटों के कारण हुई थी, वास्तव में, उसकी लगभग 10 मास की अवधि के बाद मृत्यु हुई और बीच में 6 मास तक कारावास में रहा । (पैरा 10, 11 और 12)

निर्दिष्ट निर्णय

पैरा

[2018] ए. आई. आर. 2018 एस. सी. 5593 :
उत्तर पूर्व कर्नाटक सड़क परिवहन निगम
बनाम **श्रीमती सुजाता** ; 4, 13

[2013] 2013 की प्रथम अपील सं. 296 :
लक्ष्मणराव बनाम **महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड** ; 3, 9

[1969] 1969 ए. सी. जे. 422 :
मैकिनन मैकेंजी एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड बनाम
इब्राहिम महम्मूद इस्साक । 3, 8

अपीली (सिविल) अधिकारिता : 2013 की एकलपीठ सिविल विविध अपील सं. 1805.

मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 173 के अधीन अपील ।

अपीलार्थियों की ओर से श्री रिज़वान अहमद

प्रत्यर्थियों की ओर से सर्वश्री जय प्रकाश गुप्ता और निशांत शर्मा

न्यायमूर्ति संजीव प्रकाश शर्मा – यह अपील विद्वान् आयुक्त कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923 अजमेर द्वारा पारित जिला अजमेर तारीख 28 मार्च, 2023 आदेश के विरुद्ध फाइल की गई है, जिसके द्वारा आयुक्त ने 4,19,840/- रुपए की रकम 12% वार्षिक ब्याज के साथ, का अधिनिर्णय पारित किया है ।

2. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित हुए काउंसेल ने यह दलील दी है कि बीमा कंपनी को किसी ऐसे व्यक्ति को प्रतिकर के भुगतान के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है, जिसकी मृत्यु दुर्घटना से संभावित न हो, लेकिन कुछ चोंटों के कारण 10 मास बाद मृत्यु हो गई है जो दुर्घटना के कारण साबित नहीं हुई है । विद्वान् काउंसेल ने दलील दी कि बीमा कंपनी किसी भी तरह से नियोक्ता-कर्मचारी साझीदारी को किसी प्रकार की चुनौती नहीं देती है, लेकिन जहां तक मृतक का संबंध

है, वह ड्रग्स की तस्करी में शामिल था और बीमाकृत यान चलाते समय पुलिस द्वारा पकड़ा और तारीख 3 जून, 2006 को गिरफ्तार किया गया था और 6 मास तक जेल में रहा । दावेदारों ने एक मामला स्थापित किया है कि उसकी मृत्यु दुर्घटना के कारण हुई चोंटों से हुई थी जब पुलिस उसका पीछा कर रही थी और उसे गिरफ्तार कर लिया गया था । चोंटों के कारण जिसके लिए उनका इलाज चला और अखिरकार 10 मास बाद उनकी मृत्यु हो गई । काउंसेल ने दलील दी कि दुर्घटना से संबंधित कोई सबूत अभिलेख पर नहीं रखा गया और न ही कोई दस्तावेजी सबूत दिखाया गया है कि दुर्घटना के परिणामस्वरूप मृतक को चोंटें आईं । वास्तव में, प्रतिपरीक्षा में, दावेदार ने स्वयं कहा है कि उसे नहीं पता कि चोंटें दुर्घटना के कारण लगी थी या पुलिस द्वारा पीटे जाने के कारण या कारावास में रहते हुए गिरने के कारण । विद्वान् काउंसेल ने दलील दी है चालक ने एक अविवेकपूर्ण कार्य किया है, इसलिए उसे प्रतिकर नहीं दिया जाना चाहिए ।

3. विद्वान् काउंसेल ने **लक्ष्मणराव** बनाम **महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड**[1] के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा तारीख 20 जनवरी, 2015 को पारित निर्णय में अभिनिर्धारित किए गए 2013 प्रथम अपील संख्या 296 का अवलंब लिया, जो उच्चतम न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित **मैकिनन मैकेंजी एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड** बनाम **इब्राहिम महम्मूद इस्साक**[2] के मामले निर्णय पर निर्भर करता है । इसलिए विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी कि आयुक्त सही परिप्रेक्ष्य में मामले की जांच करने में विफल रहे हैं और विकृत निष्कर्ष दिए हैं ।

4. इसके विपरीत, प्रत्यर्थीगण की ओर से पेश हुए काउंसेल ने दलील दी है कि दुर्घटना किस तरीके से हुई और किस तरह से चोंट लगी थी, यह तथ्य का प्रश्न हैं । उन्होंने उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय **उत्तर पूर्व कर्नाटक सड़क परिवहन निगम** बनाम **श्रीमती सुजाता**[3] वाले मामले का अवलंब लिया है ।

---

[1] 2013 की प्रथम अपील सं. 296.

[2] 1969 ए. सी. जे. 422.

[3] ए. आई. आर. 2018 एस. सी. 5593.

5. मैंने दलीलों पर विचार किया और अभिलेख का परिशीलन किया ।

6. पुलिस ने मृतक अजय सिंह के विरुद्ध एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8(15) और शस्त्र अधिनियम की धारा 25 और 27 के अधीन प्रथम इतिला रिपोर्ट दर्ज की थी । पुलिस को सूचना मिली कि वह जीप आर.जे. 01 टी 0744 में प्रतिबंधित सामग्री ले जा रहा है और उन्होंने आरोपी अजय सिंह द्वारा चलाए जा रहे यान को रोकने का प्रयास किया, जो पुलिस बैरिकेट पर नहीं रुका और पुलिस पर एक देशी पिस्तौल से गोली भी चला दी । बाद में उसे उपरोक्त अपराधों के अधीन गिरफ्तार कर लिया गया और कारावास में रखा गया । कोई शव-परीक्षा रिपोर्ट नहीं है और केवल यह सूचना है कि उनकी मृत्यु तारीख 15 अप्रैल, 2007 को हुई थी । तारीख 3 जून, 2006 को हुई घटना के संबंध में, वह एकमात्र दावेदार है जिसने मृतक के उपचार के दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं कि चोंटें उस समय लगी थीं जब वह पुलिस बैरिकेट से भागने का प्रयास कर रहा था जिसके परिणामस्वरूप यान की दुर्घटना हुई थी ।

7. प्रश्न यह उठता है कि क्या किसी यान के चालक की ओर से इस प्रकार का कृत्य उसे ड्यूटी के दौरान घायल होने के प्रतिकर के अनुदान के उद्देश्य से कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923 की परिधि में लाएगा ।

8. **मैकिनन मैकेंजी एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड** (उपर्युक्त) वाले मामले में उच्चतम न्यायालय के मतों को निम्नानुसार उद्धृत करना उचित होगा :–

> "5. अधिनियम परिधि में आने के लिए दुर्घटना से होने वाली चोंट नियोजन के दौरान और बाहर दोनों में उत्पन्न होनी चाहिए । नियोजन के दौरान, शब्दों का अर्थ है "उस कार्य के दौरान जिसे करने के लिए कर्मकार को नियोजित किया जाता है और जो इसके लिए आकस्मिक है ।

"नियोजन से उद्भूत" शब्दों का अर्थ यह समझा जाता है कि नियोजन के दौरान, सेवा के कर्तव्यों के लिए कुछ जोखिम आकस्मिक के परिणामस्वरूप चोंट लगी है, जब तक कि मास्टर के कारण कर्तव्य में संलग्न नहीं किया जाता है, यह विश्वास करना उचित है कि कर्मकार को अन्यथा नुकसान नहीं हुआ होगा ।

दूसरे शब्दों में, दुर्घटना और नियोजन के बीच एक कारण संबंध होना चाहिए ।

"नियोजन से उद्भूत" अभिव्यक्ति केवल नियोजन की प्रकृति तक ही सीमित नहीं है । अभिव्यक्ति नियोजन पर लागू होती है – इसकी प्रकृति इसकी स्थितियों इसके दायित्वों और इसकी घटनाओं पर । यदि उन कारकों में से किसी के कारण कर्मकार को विशेष खतरे के क्षेत्र में लाया जाता है, तो चोंट वह होगी जो कर्मकार से "बाहर" होती है ।

इसे अलग तरीके से कहें, तो यदि दुर्घटना हुई थी या किसी जोखिम के कारण जो नियोजन की घटना है, तो प्रतिकर का दावा सफल होना चाहिए, जब तक कि निश्चित रूप से कर्मकार ने अपने स्वयं के अविवेकपूर्ण कार्य से स्वयं को एक अतिरिक्त खतरे में उजागर नहीं किया है । लंखाशायकर और यॉर्कशायर रेलवे कंपनी **बनाम** हाईली 1917 ए.ओ. 362 लॉर्ड सुमनर में निम्नलिखित निर्धारित किया – यह निर्धारित करने के लिए परीक्षण कि क्या कोई दुर्घटना नियोजन के दौरान उत्पन्न हुई"

तथापि, मेरी राय में, एक परीक्षण है जो हमेशा किसी भी दर पर लागू होता है, क्योंकि यह कानून के शब्दों पर उत्पन्न होता है, और यह आम तौर पर कुछ वास्तविक सहायता का होता है । यदि यह है कि क्या यह चोंट ग्रस्त व्यक्ति के नियोजन का हिस्सा था, खतरे में डालना, पीड़ित करना, या ऐसा करना जो उसकी चोंट का कारण बना ? यदि हां, तो दुर्घटना उनके नियोजन से उद्भूत हुई । यदि ऐसा नहीं हैं, क्योकि जो कुछ जोखिम उठाना, पीड़ित होना या करना नियोजन का हिस्सा नहीं था, वह नियोजन से उत्पन्न होने

वाली दुर्घटना का कारण नहीं हो सकता है । यह पूछना कि क्या कर्मकार की दुर्घटना का कारण नियोजन के क्षेत्र में था, या नियोजन के सामान्य जोखिमों में से एक था, या नियोजन के लिए यथोचित आकस्मिक था, या इसके विपरीत, एक अतिरिक्त संकट था और नियोजन के क्षेत्र के बाहर, यह पूछने के सभी अलग-अलग तरीके हैं कि क्या यह उसके नियोजन का हिस्सा था, कि कर्मकार को वैसा ही कार्य करना चाहिए था जैसा वह कार्य कर रहा था, या उस स्थिति में होना चाहिए था जिसमें वह था, जिससे उस नियोजन के दौरान उसे चोंट लग गई ।"

9. **लक्ष्मणराव** (उपर्युक्त) के मामले में, बॉम्बे उच्च न्यायालय ने उपर्युक्त निर्णय से प्रेरणा लेते हुए निम्नानुसार मत व्यक्त किया :–

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित विधि के प्रस्ताव पर विचार करते हुए, यह नहीं कहा जा सकता है कि वर्तमान मामले में हुई घटना का मृतक कर्मचारी के नियोजन के साथ कोई संबंध था । इसके अतिरिक्त, अपीलार्थी ने यह भी दलील नहीं दी है कि जिस घटना के परिणामस्वरूप मृतक कर्मचारी की मृत्यु हुई, उसका मृतक के नियोजन के साथ कोई संबंध था । इस तथ्य के अलावा कि वन संरक्षक, नागपुर और अन्य बनाम कुसुमताई निवासी गणपतराव धोटे और अन्य के मामले में और महाराष्ट्र राज्य के मामले में इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय अशोक कपशिकर और अन्य उन मामलों के तथ्यों पर आधारित है, मैकिनन मैकेंज़ी एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड बनाम इब्राहिम महम्मूद इस्साक के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय इस न्यायालय के ध्यान में नहीं लाया गया था । इसी तरह, अपीलार्थी के काउंसेल द्वार अवंलब लिए गए अन्य निर्णय मैकिनन मैकेंज़ी एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड बनाम इब्राहिम महम्मूद इस्साक के मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित विधि पर विचार करते हुए अपीलार्थी के लिए कोई सहायता नहीं हैं ।

10. इस न्यायालय की राय में, उपरोक्त टिप्पणियों से विचलन का

कोई कारण नहीं है । दावेदार यह भी साबित नही कर पाए हैं कि चोंट तब लगी जब वह बीमाकृत यान में प्रतिबंधित पदार्थों के परिवहन का काम कर रहे थे । एक जीप का चालक जो पुलिस से बचने की कोशिश करने के लिए हथियार का उपयोग करता है और पुलिस बैरिकेट को भी तोड़ता है, उसे यान के चालक के रूप में सौंपे गए कर्तव्यों का पालन करने के लिए नहीं कहा जा सकता है ।

11. इसे ध्यान में रखते हुए, कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923 के अंतर्गत यथा परिकल्पित क्षतिपूर्ति ऐसे व्यक्तियों को नहीं दी जा सकती है क्योंकि यह एक लाभकारी विधान है जो अपराध में संलिप्त व्यक्तियों की सहायता करने के लिए नहीं है ।

12. वर्तमान मामले में, यह भी नहीं कहा जा सकता है कि मृतक की मुत्यु एक दुर्घटना के दौरान लगी चोंटों के कारण हुई थी, वास्तव में उसकी लगभग 10 मास की अवधि के बाद मृत्यु हुई और बीच में 6 मास तक कारावास में रहा ।

13. इसे ध्यान में रखते हुए, न्यायालय यह पाता है कि विद्वान् आयुक्त ने एक त्रुटि कारित की है, पूर्वोक्त कर्नाटक सड़क परिवहन निगम (उपर्युक्त) वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है :–

> "9. प्रारंभ में, हम एक स्थापित सिद्धांत होने के नाते, इस तथ्य पर विचार कर सकते हैं कि प्रश्न यह है कि क्या कर्मचारी दुर्घटना का शिकार हुआ, क्या दुर्घटना नियोजन के दौरान हुई, क्या यह नियोजन से उद्भूत हुई, दुर्घटना कैसे और किस रीति से हुई, दुर्घटाना की किसने उपेक्षा की, क्या कर्मचारी और नियोक्ता का कोई संबंध था, कर्मचारी की आयु और मासिक वेतन क्या था, मृतक कर्मचारी के आश्रित कितने हैं, दुर्घटना में लगी चोंटों के कारण कर्मचारी को हुई नि:शक्तता की सीमा, क्या घटना को कवर करने के लिए नियोक्ता द्वारा कोई बीमा कवरेज प्राप्त किया गया था, आदि कुछ भौतिक मुद्दे हैं जो आयुक्त के न्यायसंगत निर्णय के लिए उत्पन्न होते हैं । दावा याचिका जब किसी कर्मचारी को उसके

नियोजन के दौरान कोई शारीरिक चोंट पहुंचती है या उसकी मृत्यु हो जाती है और वह अधिनियम के अधीन प्रतिकर का दावा करने के लिए अपने नियोक्ता पर वाद फाइल करता है ।

10. उपर्युक्त प्रश्न अनिवार्य रूप से तथ्य के प्रश्न हैं और इसलिए, उन्हें साक्ष्य की सहायता से साबित करने की आवश्यकता है । एक बार जब वे किसी भी तरह से साबित हो जाते हैं, तो उस पर अभिलिखित किए गए निष्कर्षों को तथ्य के निष्कर्ष के रूप में माना जाता है ।"

14. उपरोक्त से, यह सत्य होता है कि ये तथ्य के आवश्यक प्रश्न हैं कि दुर्घटना कैसे हुई और यह किस तरीके से हुई । तथापि, यह विधि का प्रश्न बन जाता है कि क्या ड्यूटी के दौरान दुर्घटना हुई थी । इसलिए, प्रत्यर्थियों के विद्वान् काउंसेल की इस दलील को खारिज किया जाता है कि यह केवल तथ्य का एक विशुद्ध प्रश्न है और अपील में न्यायालय इसकी जांच नहीं करेगा ।

15. तद्नुसार, इस न्यायालय ने पाया कि विद्वान् आयुक्त, कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923 ने निर्णय पारित करते समय अवैधता कारित की है और तद्नुसार, पारित निर्णय अपास्त किए जाने योग्य है ।

16. तद्नुसार, अपील मंजूर की जाती है । तद्नुसार आयुक्त द्वारा पारित अधिनिर्णय को अपास्त किया जाता है । बीमा कंपनी द्वारा जमा की गई राशि, यदि कोई हो, वापस कर दी जाएगी । बीमा कंपनी दावेदारों द्वारा प्राप्त राशि की वसूली भी दावेदारों से करने की हकदार होगी ।

17. सभी लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निपटान किया जाता है ।

अपील मंजूर की गई ।

महीं./क.

आशा देवी उर्फ **आशा रानी (श्रीमती) और एक अन्य**

बनाम

नेशनल इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड

(2021 की सीएमपीएमओ संख्या 8)

तारीख 8 जनवरी, 2021

न्यायमूर्ति संदीप शर्मा

संविधान, 1950 – अनुच्छेद 227 [सपठित मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 166] – रिट – दुर्घटना दावा प्रतिकर – पक्षकारों के बीच समझौते के आधार पर प्रतिकर का निर्धारण – टुकड़ों में प्रतिकर संदाय करने का आदेश – चुनौती – यदि पक्षकारों के बीच समझौते के आधार पर प्रतिकर का निर्धारण किया जाता है तो उसका संदाय एकमुश्त होना चाहिए – टुकड़ों में संदाय करने का आदेश अयुक्तियुक्त और मनमाना है क्योंकि इससे प्रतिकर अधिनिर्णीत करने का प्रयोजन ही विफल हो जाएगा ।

वर्तमान मामले में, प्रमिततः, अभिलेखों से उद्भूत मामले के तथ्य यह हैं कि अपीलार्थियों/याचियों ने अपीलार्थियों/याचियों के हित-पूर्वाधिकारी की मृत्यु के एवज में प्रतिकर की ईप्सा करते हुए, मोटर यान अधिनियम, 1988 (जिसे संक्षेप में 'अधिनियम' कहा गया है) की धारा 166 के अधीन याचिका फाइल की थी किन्तु, निचले अधिकरण द्वारा इसके स्वयं के गुणागुणों पर विनिश्चय किए जाने के पूर्व पक्षकारों ने समझौता विलेख प्रदर्श-सी 1, के रूप में समझौता कर लिया था । समझौते के अनुसार, अपीलार्थियों/याचियों को दावे के पूर्ण और अंतिम व्यवस्थापन के रूप में कुल 34 लाख का हकदार माना गया था । तारीख 12 अक्तूबर, 2020 को आवेदक/याची संख्या 1, श्रीमती आशा देवी **उर्फ** आशा रानी ने 1919 की एमएसी संख्या 51-एस/2 में विद्वान् निचले अधिकरण द्वारा पारित तारीख 29 जुलाई, 2020 के निबंधनों में अपने

हिस्से में आने वाली अधिनिर्णीत रकम को निर्मुक्त करने के लिए एक आवेदन फाइल किया तथापि, यह तथ्य शेष रह जाता है कि विद्वान् निचले अधिकरण द्वारा इस तथ्य का उल्लेख करने के बावजूद कि आवेदक/याची संख्या 1, श्रीमती आशा देवी को दिन-प्रतिदिन के खर्चे के लिए धन की अत्यधिक आवश्यकता है और उसे अपने नातेदारों से उधार ली गई रकम को भी वापस करना है, अपीलार्थी/याची संख्या 1 के पक्ष में 2 लाख रुपए की रकम निर्मुक्त करने का आदेश दिया था, बावजूद इसके अपीलार्थी/याची संख्या 1, श्रीमती आशा देवी ने अपने हिस्से में आने वाली सम्पूर्ण रकम को निर्मुक्त करने के लिए प्रार्थना की थी । विद्वान् निचले अधिकरण द्वारा इस तथ्य का उल्लेख करते हुए कि वर्तमान आवेदन फाइल करने के पूर्व आवेदक/याची संख्या 1 को तारीख 9 अक्तूबर, 2020 को ही 5 लाख रुपए की रकम निर्मुक्त कर दी गई थी, सम्पूर्ण अधिनिर्णीत रकम निर्मुक्त करने के बजाय 2 लाख रुपए की रकम निर्मुक्त करने के लिए आवेदन किया है और इस प्रकार, आवेदक/याची संख्या 1 ने अपने हिस्से में आने वाले सम्पूर्ण अधिनिर्णीत रकम को निर्मुक्त करने के लिए विद्वान् निचले अधिकरण को निर्देश देने की ईप्सा करते हुए, वर्तमान कार्यवाहियों के अधीन इस न्यायालय के समक्ष आवेदन फाइल किया है ।

अभिनिर्धारित – इस न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि आवेदकों/याचियों द्वारा फाइल की गई दावा याचिका, पक्षकारों के बीच किए गए समझौते के आधार पर मंजूर की गई थी, जिसके तथ्य विद्वान् निचले अधिकरण द्वारा तारीख 29 जुलाई, 2020 का अधिनिर्णय पारित किए जाने के पूर्व दोनों पक्षकारों के कथनों के रूप में सम्यक् रूप से अभिलिखित किए गए थे । विद्वान् निचले अधिकरण के समक्ष लम्बित मामले में पक्षकारों द्वारा किए गए कथनों से स्पष्टतः यह प्रकट होता है कि दोनों पक्षकार कुल मिलाकर 34 लाख रुपए पर सहमत हो गए थे और इस प्रकार विद्वान् निचले अधिकरण ने तारीख 29 जुलाई, 2020 के अधिनिर्णय द्वारा पूर्वोक्त रकम के लिए दावा याचिका मंजूर करते समय आशा देवी को अधिनिर्णीत रकम का 90 प्रतिशत हकदार और अपीलार्थी/याची

संख्या 2, अमन कौन्डल को अधिनिर्णीत रकम का 10 प्रतिशत हकदार अभिनिर्धारित किया था । चूंकि, पक्षकारों के बीच यह विवादित नहीं है कि तारीख 29 जुलाई, 2020 का अधिनिर्णय पक्षकारों के बीच समझौते पर आधारित था और वह इस तथ्य के कारण अंतिम हो गया था कि पक्षकारों में से किसी भी पक्षकार ने वरिष्ठ न्यायालय में पूर्वोक्त अधिनिर्णय को चुनौती नहीं दी है, इसलिए, निचले अधिकरण के लिए ऐसा कोई अवसर नहीं था कि वह टुकड़ों में प्रतिकर की रकम निर्मुक्त करे, विनिर्दिष्टतः तब जब आवेदक/याची संख्या 1 वयस्क है । निःसंदेह, निचले विद्वान् अधिकरण ने अवयस्क के हित के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए, प्रतिकर की रकम को तब तक रोके रखने का हमेशा ही आदेश दे सकता है जब तक कि अवयस्क, वयस्क नहीं हो जाता है । किन्तु, जब आवेदक/दावेदार बड़ी है और अधिनिर्णय जिसके आधार पर वह प्रतिकर के लिए हकदार हुई थी, अंतिम हो गया है तो न्यायालय द्वारा टुकड़ों में रकम निर्मुक्त करना न्यायोचित नहीं है । अन्यथा, क्षतियों या मृत्यु के एवज में प्रतिकर अधिनिर्णीत करने का प्रयोजन असफल हो जाएगा । यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि ऐसी रकम जैसी याचिका में फाइल की गई है, निराश्रितों और दिन-प्रतिदिन उनके खर्चे को समर्थ बनाने के लिए क्षतिग्रस्त या मृतक के दावेदारों को अनुतोष देने के लिए हमेशा ही अधिनिर्णीत किए जाते हैं । (पैरा 6 और 7)

रिट (सिविल) अधिकारिता : 2021 की सीएमपीएमओ संख्या 8.

संविधान, 1950 के अनुच्छेद 227 के अधीन रिट याचिका ।

याची की ओर से	श्री मलय कौशल, अधिवक्ता, विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से
प्रत्यर्थी की ओर से	श्री जगदीश ठाकुर, अधिवक्ता, विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से

न्यायमूर्ति संदीप शर्मा – भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के अधीन फाइल वर्तमान रिट याचिका में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण- I, शिमला, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश द्वारा शीर्षक श्रीमती आशा देवी

उर्फ आशा रानी बनाम नेशनल इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, 2019 की एमएसी संख्या 51-एस/2 में 2020 की सीएमए संख्या 177-एस/6 में पारित तारीख 2 दिसम्बर, 2020 के आदेश को आक्षेपित किया गया है, जिसके द्वारा निचले विद्वान् अधिकरण ने अपीलार्थी/याची संख्या 1 के पक्ष में सम्पूर्ण अधिनिर्णीत रकम को निर्मुक्त करने से इनकार कर दिया था, इस तथ्य के बावजूद कि अपीलार्थियों/याचियों द्वारा फाइल याचिका 2019 की एमएसी संख्या 51-एस/2 अंतिम रूप से विनिश्चित हो चुका है और चाहे जो भी हो, वरिष्ठ न्यायालय में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण-I, शिमला द्वारा पारित तारीख 29 जुलाई, 2020 के अधिनिर्णय के विरुद्ध कोई अपील नहीं की गई है ।

2. प्रमितितः, अभिलेखों से उद्भूत मामले के तथ्य यह हैं कि अपीलार्थियों/याचियों ने अपीलार्थियों/याचियों के हित-पूर्वाधिकारी की मृत्यु के एवज में प्रतिकर की ईप्सा करते हुए, मोटर यान अधिनियम, 1988 (जिसे संक्षेप में 'अधिनियम' कहा गया है) की धारा 166 के अधीन याचिका फाइल की थी किन्तु, निचले अधिकरण द्वारा इसके स्वयं के गुणागुणों पर विनिश्चय किए जाने के पूर्व पक्षकारों ने समझौता विलेख प्रदर्श-सी 1, के रूप में समझौता कर लिया था । समझौते के अनुसार, अपीलार्थियों/याचियों को दावे के पूर्ण और अंतिम व्यवस्थापन के रूप में कुल 34 लाख का हकदार माना गया था । विद्वान् निचले अधिकरण ने तारीख 29 जुलाई, 2020 के अधिनिर्णय द्वारा पक्षकारों के बीच हुए समझौता-विलेख को स्वीकार करते हुए, यह आदेश किया कि प्रतिकर की रकम याची संख्या 1 और 2 के बीच निम्नलिखित रूप से विनियोजित की जाए –

दावेदार संख्या 1, आशा देवी = 90 प्रतिशत

दावेदर संख्या 2, अमन कौन्डल = 10 प्रतिशत

3. पूर्वोक्त अधिनिर्णय द्वारा, निचले अधिकरण ने प्रत्यर्थी-इंश्योरेन्स कम्पनी को यह भी निर्देश दिया कि अधिनिर्णय पारित किए जाने की तारीख से 45 दिनों की अवधि के भीतर प्रतिकर की सम्पूर्ण

रकम जमा करें, जिसमें असफल रहने पर, अपीलार्थी/याची, याचिका की तारीख से इसके उद्ग्रहण होने तक 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज पाने के हकदार होंगे ।

4. तारीख 12 अक्तूबर, 2020 को आवेदक/याची संख्या 1 श्रीमती आशा देवी **उर्फ** आशा रानी ने 1919 की एमएसी संख्या 51-एस/2 में विद्वान् निचले अधिकरण द्वारा पारित तारीख 29 जुलाई, 2020 के निबंधनों में अपने हिस्से में आने वाली अधिनिर्णीत रकम को निर्मुक्त करने के लिए एक आवेदन फाइल किया तथापि, यह तथ्य शेष रह जाता है कि विद्वान् निचले अधिकरण द्वारा इस तथ्य का उल्लेख करने के बावजूद कि आवेदक/याची संख्या 1, श्रीमती आशा देवी को दिन-प्रतिदिन के खर्चे के लिए धन की अत्यधिक आवश्यकता है और उसे अपने नातेदारों से उधार ली गई रकम को भी वापस करना है, अपीलार्थी/याची संख्या 1 के पक्ष में 2 लाख रुपए की रकम निर्मुक्त करने का आदेश दिया था, बावजूद इसके अपीलार्थी/याची संख्या 1, श्रीमती आशा देवी ने अपने हिस्से में आने वाली सम्पूर्ण रकम को निर्मुक्त करने के लिए प्रार्थना की थी । विद्वान् निचले अधिकरण द्वारा इस तथ्य का उल्लेख करते हुए कि वर्तमान आवेदन फाइल करने के पूर्व आवेदक/याची संख्या 1 को तारीख 9 अक्तूबर, 2020 को ही 5 लाख रुपए की रकम निर्मुक्त कर दी गई थी, सम्पूर्ण अधिनिर्णीत रकम निर्मुक्त करने के बजाय 2 लाख रुपए की रकम निर्मुक्त करने के लिए आवेदन किया है और इस प्रकार, आवेदक/याची संख्या 1 ने अपने हिस्से में आने वाले सम्पूर्ण अधिनिर्णीत रकम को निर्मुक्त करने के लिए विद्वान् निचले अधिकरण को निर्देश देने की ईप्सा करते हुए, वर्तमान कार्यवाहियों के अधीन इस न्यायालय के समक्ष आवेदन फाइल किया है ।

5. प्रत्यर्थी/इंश्योरेन्स कम्पनी के विद्वान् काउंसेल श्री जगदीश ठाकुर ने ऋजुतः यह कथन किया है कि वह याचिका का कोई उत्तर फाइल करने का आशय नहीं रखते हैं और वे कोई आक्षेप नहीं करेंगे यदि याचिका में की गई प्रार्थना मंजूर की जाती है । श्री ठाकुर ने ऋजुतः यह कथन किया है कि चूंकि तारीख 29 जुलाई, 2020 का अधिनिर्णय

अंतिम हो गया है, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आवेदक/याची संख्या 1 बड़ी है, विद्वान् निचले अधिकरण को आवेदक/याची संख्या 1 के हिस्से में आने वाली सम्पूर्ण अधिनिर्णीत रकम को निर्मुक्त करना चाहिए ।

6. पक्षकारों के विद्वान् काउंसेल को सुनने और याचिका के साथ ही इसके उपाबंध के दस्तावेजों में अन्तर्विष्ट प्रकथनों का परिशीलन करने के पश्चात्, इस न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि आवेदकों/याचियों द्वारा फाइल की गई दावा याचिका, पक्षकारों के बीच किए गए समझौते के आधार पर मंजूर की गई थी, जिसके तथ्य विद्वान् निचले अधिकरण द्वारा तारीख 29 जुलाई, 2020 का अधिनिर्णय पारित किए जाने के पूर्व दोनों पक्षकारों के कथनों के रूप में सम्यक् रूप से अभिलिखित किए गए थे । विद्वान् निचले अधिकरण के समक्ष लम्बित मामले में पक्षकारों द्वारा किए गए कथनों से स्पष्टतः यह प्रकट होता है कि दोनों पक्षकार कुल मिलाकर 34 लाख रुपए पर सहमत हो गए थे और इस प्रकार विद्वान् निचले अधिकरण ने तारीख 29 जुलाई, 2020 के अधिनिर्णय द्वारा पूर्वोक्त रकम के लिए दावा याचिका मंजूर करते समय आशा देवी को अधिनिर्णीत रकम का 90 प्रतिशत हकदार और अपीलार्थी/याची संख्या 2, अमन कौन्डल को अधिनिर्णीत रकम का 10 प्रतिशत हकदार अभिनिर्धारित किया था ।

7. चूंकि, पक्षकारों के बीच यह विवादित नहीं है कि तारीख 29 जुलाई, 2020 का अधिनिर्णय पक्षकारों के बीच समझौते पर आधारित था और वह इस तथ्य के कारण अंतिम हो गया था कि पक्षकारों में से किसी भी पक्षकार ने वरिष्ठ न्यायालय में पूर्वोक्त अधिनिर्णय को चुनौती नहीं दी है, इसलिए, निचले अधिकरण के लिए ऐसा कोई अवसर नहीं था कि वह टुकड़ों में प्रतिकर की रकम निर्मुक्त करे, विनिर्दिष्टतः तब जब आवेदक/याची संख्या 1 वयस्क है । निःसंदेह, निचले विद्वान् अधिकरण ने अवयस्क के हित के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए, प्रतिकर की रकम को तब तक रोके रखने का हमेशा ही आदेश दे सकता है जब तक कि अवयस्क, वयस्क नहीं हो जाता है । किन्तु, जब आवेदक/दावेदार

बड़ी है और अधिनिर्णय जिसके आधार पर वह प्रतिकर के लिए हकदार हुई थी, अंतिम हो गया है तो न्यायालय द्वारा टुकड़ों में रकम निर्मुक्त करना न्यायोचित नहीं है । अन्यथा, क्षतियों या मृत्यु के एवज में प्रतिकर अधिनिर्णीत करने का प्रयोजन असफल हो जाएगा । यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि ऐसी रकम जैसी याचिका में फाइल की गई है, निराश्रितों और दिन-प्रतिदिन उनके खर्चे को समर्थ बनाने के लिए क्षतिग्रस्त या मृतक के दावेदारों को अनुतोष देने के लिए हमेशा ही अधिनिर्णीत किए जाते हैं ।

8. परिणामतः, उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान याचिका मंजूर की जाती है और विद्वान् निचले अधिकरण को यह निर्देश दिया जाता है कि आवेदक/याची संख्या 1 के हिस्से में आने वाले प्रतिकर की सम्पूर्ण रकम को तुरन्त निर्मुक्त करें, यह आदेश देते हुए कि उस रकम को उसके बचत बैंक खाते में जमा किया जाए, जिसका विवरण एक सप्ताह की अवधि के भीतर दे दिया जाएगा ।

इस न्यायालय की रजिस्ट्री को यह निर्देश दिया जाता है कि इस आदेश की प्रति सभी निचले न्यायालयों को आवश्यक अनुपालन के लिए भेजी जाए ।

पूर्वोक्त निबंधनों में याचिका निपटायी जाती है, इसके अतिरिक्त, लम्बित आवेदन/आवेदनों, यदि कोई हो, भी निपटाए जाते हैं ।

याचिका मंजूर की गई ।

क.

चिम्मेद अंगमो

बनाम

हिमाचल प्रदेश राज्य और अन्य

(2020 की सी डब्ल्यू पी ओ ए सं. 5351)

तारीख 8 जनवरी, 2021

न्यायमूर्ति सुरेश्वर ठाकुर और न्यायमूर्ति चन्दर भूषण बारोवालिया

संविधान, 1950 – अनुच्छेद 226 – रिट याचिका – सरकारी कर्मचारी – जन्म-तिथि में सुधार करने का आवेदन – सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित सुधार करते हुए प्रमाणपत्र जारी करना – विभाग द्वारा ऐसे प्रमाणपत्र को मानने से इनकार करना – चुनौती – यदि सरकारी कर्मचारी द्वारा सक्षम प्राधिकारी से अपनी जन्म-तिथि में सुधार करने वाला प्रमाणपत्र प्रस्तुत करता है और अभिलेख पर इसके खण्डन में कोई ठोस आधार प्रस्तुत नहीं किया जाता है न ही यह सिद्ध किया जाता है कि याची और सक्षम प्राधिकारी के बीच कोई संबंध या दुरभिसंधि है तो सम्बन्धित विभाग, उस प्रमाणपत्र को मान्यता प्रदान करते हुए, उसके सेवा सम्बन्धी सभी अग्रिम फायदों को प्रदान करने के लिए बाध्य है ।

वर्तमान रिट याचिका के माध्यम से, रिट याची ने उपाबंध ए-1 में उल्लिखित जिसमें उसकी जन्म-तिथि तारीख 10 दिसम्बर, 1958 के रूप में प्रलक्षित होती है, में अपनी जन्म-तिथि तारीख 1 जुलाई, 1960 के रूप में सुधार करने की ईप्सा की है । जिसे संबंधित विभाग द्वारा मानने से इनकार कर दिया था । न्यायालय द्वारा रिट याचिका मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – वर्तमान रिट याचिका में फाइल उत्तर में कोई विरोध नहीं है, साथ-ही-साथ उपाबंध ए-2 के आहरण का अधिप्रमाणन (क) न ही उपाबंध ए-2 के बारे में कोई दलील है, प्राधिकार से ऐसा कुछ नहीं निकलता है, विधिमान्यता सशक्त करने के सिवाय या तो इसके लेखक

द्वारा या इस मुद्दे द्वारा (ख) उत्तर में, संबंधित प्रत्यर्थियों ने रिट याचिका में इसके लेखक द्वारा उपाबंध ए-2 जारी करने के बारे में कोई दलील नहीं दी है, सभी विरोधी दस्तावेजों को ध्यान में नहीं रखा गया है जो उसके तत्समान है, अतएवं, इसलिए, रिट याची के माता-पिता या प्राकृतिक संरक्षक द्वारा न तो कोई निवेदन किया गया है (ग) न ही इसके एवज में कोई दलील दी गई है, अतएवं, रिट याची की जन्म-तिथि अभिलिखित करने के क्रम में रिट याची और संबंधित ग्राम पंचायत के सचिव के बीच न तो कोई संबंध है न ही आपस में कोई दुरभिसंधि है । परिणामतः, उत्तर में, पूर्वोक्त खुलासे के अभाव में, शपथ-पत्र पर जो वर्तमान रिट याची द्वारा दिया गया है, न्यायालय यह निष्कर्ष निकालने के लिए आबद्ध है कि चूंकि संबंधित ग्राम पंचायत का सचिव, जो प्राधिकृत है, उपाबंध ए-2 और जब अन्यथा है, अनुध्यात प्राधिकारी की विधिमान्यता विवादित है, फिर भी, उसके रिट याची के पक्ष में उपाबंध ए-2 जारी किया, (घ) सभी तत्समान अभिलेखों से भी विवेक में अन्यथा उद्भूत होता है । चूंकि ग्राम पंचायत के सचिव ने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में पूर्वोक्त कृत्य किया है और जब पूर्वोक्त पदीय कृत्य में ऐसा किया जाता है तो सत्य की उपधारणा खंडनीय होती है, जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 35 का समादेश है, लागू होगा, फिर भी तब जब इसके एवज में विधिमान्यता की दलील नहीं दी गई है या तो उपर्युक्त उपधारणा का खंडन करने के लिए कोई सुस्पष्टतः तर्कपूर्ण साक्ष्य उद्भूत नहीं किया गया है जिसे संबंधित प्रत्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत करना था, उसके उपरान्त, (ङ) सत्य की उपधारणा, संबंधित ग्राम पंचायत के सचिव द्वारा किए गए पूर्वोक्त पदीय कृत्य से रिट याची की जन्म-तिथि संबद्ध हो गई, विरोधी सेवा अभिलेख में, उपाबंध ए-1 में की गई किसी प्रविष्टि के साथ कोई विपरीत असंबद्ध, उपाबंध जिसमें मात्र रिट याची का वैयक्तिक विवरण है (च) और जो उपाबंध ए-1 के समान कोई विधिक उपाय प्रस्तुत नहीं करता है न ही उपाबंध ए-2 के समान है । परिणामतः, उपर्युक्त सुधार विधिमान्य तौर पर एक प्रयास है और इसे असंबद्ध आदेश घोषित किया जाता है, रिट याची सेवानिवृत्त हो चुका है । इसलिए, वर्तमान रिट याचिका मंजूर की जाती है और यदि रिट याची ने

60 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है तो उसे सभी पारिणामिक फायदों के साथ बिना उसके साथ कोताही बरते उसे सेवा में पुनः बहाल किया जाए । तथापि, यदि वह 60 वर्ष की आयु पूरी कर चुकी है तो उसे सभी पारिणामिक आर्थिक फायदा दिया जाए । (पैरा 3 और 4)

रिट (सिविल) अधिकारिता : 2020 की सी डब्ल्यू पी ओ ए सं. 5351.

संविधान, 1950 के अनुच्छेद 226 के अधीन रिट याचिका ।

याची की ओर से श्री कुश शर्मा, अधिवक्ता

प्रत्यर्थियों की ओर से सर्वश्री अश्वनी शर्मा, अपर महाधिवक्ता के साथ जे. एस. गुलेरिया, उप-महाधिवक्ता

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति सुरेश्वर ठाकुर ने दिया ।

न्या. ठाकुर – वर्तमान रिट याचिका के माध्यम से, रिट याची ने उपाबंध ए-1 में उल्लिखित जिसमें उसकी जन्म-तिथि तारीख 10 दिसम्बर, 1958 के रूप में प्रलक्षित होती है, में अपनी जन्म-तिथि तारीख 1 जुलाई, 1960 के रूप में सुधार करने की ईप्सा की है और जिसे उपाबंध ए-2 में दोहराया गया है ।

2. उत्तर में, संबंधित प्रत्यर्थियों द्वारा वर्तमान रिट याचिका का उत्तर दिया, उन्होंने अनुतोष का विरोध किया जैसा कि वर्तमान रिट याचिका में संयाचना की गई है और अपना विरोध इन तथ्यों में सीमित किया है (i) कि रिट याची के वैयक्तिक विवरण में, जैसा कि नियोजक को दिया गया है और उपाबंध ए-2 से उपदर्शित होता है, उसके द्वारा भरा गया है, उसके संबंध में पूर्णतः आबद्धकारी है, (ii) इस प्रक्रम पर उसका विलम्बित प्रयास, इसके विपरीत सुधार करने की ईप्सा करने से उसे विबंधित करता है, (iii) इसके अतिरिक्त, जब उसने संबंधित प्रत्यर्थियों के अधीन अपनी सम्पूर्ण सेवा करने के दौरान, अपनी जन्म-तिथि में सुधार करने की ईप्सा का लोप कर दिया था तो उसके उपरान्त, सेवानिवृत्ति के पश्चात्, उसे वर्तमान अनुतोष देने से इनकार किए जाने योग्य है ।

3. चाहे जैसी भी स्थिति हो, वर्तमान रिट याचिका में फाइल उत्तर में कोई विरोध नहीं है, साथ-ही-साथ उपाबंध ए-2 के आहरण का अधिप्रमाणन (क) न ही उपाबंध ए-2 के बारे में कोई दलील दी गई है, प्राधिकार से ऐसा कुछ नहीं निकलता है, विधिमान्यता सशक्त करने के सिवाय या तो इसके लेखक द्वारा या इस मुद्दे द्वारा (ख) उत्तर में, संबंधित प्रत्यर्थियों ने रिट याचिका में इसके लेखक द्वारा उपाबंध ए-2 जारी करने के बारे में कोई दलील नहीं दी है, सभी विरोधी दस्तावेजों को ध्यान में नहीं रखा गया है जो उसके तत्समान है, अतएवं, इसलिए, रिट याची के माता-पिता या प्राकृतिक संरक्षक द्वारा न तो कोई निवेदन किया गया है (ग) न ही इसके एवज में कोई दलील दी गई है, अतएवं, रिट याची की जन्म-तिथि अभिलिखित करने के क्रम में रिट याची और संबंधित ग्राम पंचायत के सचिव के बीच न तो कोई संबंध है न ही आपस में कोई दुरभिसंधि है । परिणामतः, उत्तर में, पूर्वोक्त खुलासे के अभाव में, शपथ-पत्र पर जो वर्तमान रिट याची द्वारा दिया गया है, न्यायालय यह निष्कर्ष निकालने के लिए आबद्ध है कि चूंकि संबंधित ग्राम पंचायत का सचिव, जो प्राधिकृत है, उपाबंध ए-2 और जब अन्यथा है, अनुध्यात प्राधिकारी की विधिमान्यता विवादित है, फिर भी, उसके रिट याची के पक्ष में उपाबंध ए-2 जारी किया, (घ) सभी तत्समान अभिलेखों से भी विवेक में अन्यथा उद्भूत होता है । चूंकि ग्राम पंचायत के सचिव ने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में पूर्वोक्त कृत्य किया है और जब पूर्वोक्त पदीय कृत्य में ऐसा किया जाता है तो सत्य की उपधारणा खंडनीय होती है, जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 35 का समादेश है, लागू होगा, फिर भी तब जब इसके एवज में विधिमान्यता की दलील नहीं दी गई है या तो उपर्युक्त उपधारणा का खंडन करने के लिए कोई सुस्पष्टतः तर्कपूर्ण साक्ष्य उद्भूत नहीं किया गया है जिसे संबंधित प्रत्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत करना था, उसके उपरान्त, (ङ) सत्य की उपधारणा, संबंधित ग्राम पंचायत के सचिव द्वारा किए गए पूर्वोक्त पदीय कृत्य से रिट याची की जन्म-तिथि संबद्ध हो गई, विरोधी सेवा अभिलेख में, उपाबंध ए-1 में की गई किसी प्रविष्टि के साथ कोई

विपरीत असंबद्ध, उपाबंध जिसमें मात्र रिट याची का वैयक्तिक विवरण है (च) और जो उपाबंध ए-1 के समान कोई विधिक उपाय प्रस्तुत नहीं करता है न ही उपाबंध ए-2 के समान है । परिणामतः, उपर्युक्त सुधार विधिमान्य तौर पर एक प्रयास है और इसे असंबद्ध आदेश घोषित किया जाता है, रिट याची सेवानिवृत्त हो चुका है । इसके अतिरिक्त, रिट याची द्वारा वर्तमान प्रयास करने में विलम्ब करने पर यह न्यायालय उपाबंध ए-2 में सुधार नहीं करने का आदेश देने के लिए आबद्ध नहीं है ।

4. इसलिए, वर्तमान रिट याचिका मंजूर की जाती है और यदि रिट याची ने 60 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है तो उसे सभी पारिणामिक फायदों के साथ बिना उसके साथ कोताही बरते उसे सेवा में पुनः बहाल किया जाए । तथापि, यदि वह 60 वर्ष की आयु पूरी कर चुकी है तो उसे सभी पारिणामिक आर्थिक फायदा दिया जाए । सभी लम्बित आवेदनों को निपटाया जाता है ।

रिट याचिका मंजूर की गई ।

क.

श्री श्याम सुन्दर

बनाम

श्री विक्रम कनवर और एक अन्य

[2021 की सिविल प्रकीर्ण याचिका मुख्य (मूल) संख्या 499]

तारीख 7 जनवरी, 2022

न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर

संविधान, 1950 – अनुच्छेद 226 [सपठित हि. प्र. अपार्टमेंट स्वामित्व अधिनियम, 1978] – रिट याचिका – विवादित मकान के सह-स्वामी द्वारा अपने भाग के मकान का पुनर्निर्माण कराना – अन्य सह-स्वामियों द्वारा इस आधार पर आक्षेप करना कि इससे उनके भाग के मकान/दुकान को क्षति पहुंच सकती है और सम्पूर्ण संरचनात्मक ढांचा कमजोर हो सकता है – हिमाचल प्रदेश में ऐसे मामलों के निपटारे के लिए समुचित अधिनियम/नियम/मापदण्ड का अभाव – उपयुक्त परिस्थितियों में सभी सह-स्वामियों के बीच आपसी सहमति आवश्यक है जिसके अभाव में समुचित विधायन/नियम/मापदण्ड होना आवश्यक है । उनके अभाव में सम्पूर्ण भूमि पर स्थित संरचनात्मक ढांचे की विशेषज्ञ रिपोर्ट के आधार पर विवादित प्रश्न का विनिश्चय किया जाना चाहिए और यह ध्यान में रखना चाहिए कि सभी सह-स्वामियों के हितों और अधिकारों का युक्तियुक्त समाधान करने के लिए यथाशीघ्र विधायन/नियम/मापदण्ड बनाए जाएं और जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक सभी सह-स्वामियों को यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया जाना चाहिए ।

वर्तमान मामले में, वादी-याची ने इस न्यायालय के समक्ष वर्तमान याचिका, विद्वान् अपर जिला न्यायाधीश (तृतीय), कांगड़ा, धर्मशाला द्वारा शीर्षक विक्रम कनवर और एक अन्य बनाम श्याम सुन्दर, 2016 की सिविल प्रकीर्ण अपील संख्या 05-डी/XIV में पारित तारीख 18 सितम्बर, 2017 के आक्षेपित आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की है, जिसके द्वारा विद्वान् सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ खंड), पालमपुर, जिला

कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश द्वारा शीर्षक श्याम सुन्दर बनाम विक्रम कनवर और एक अन्य, 2015 की सिविल वाद संख्या 336 में प्रस्तुत 2015 की सीएमए संख्या 317 में पारित तारीख 21 मार्च, 2016 के आदेश द्वारा पक्षकारों को वाद भूमि पर समान प्रकृति, कब्जा, निर्माण और अन्यसंक्रामण के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश को अपास्त कर दिया और इसमें के वादी-याची द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 39, नियम 1 और 2 के अधीन फाइल आवेदन को भी खारिज कर दिया था । उच्च न्यायालय द्वारा मामले का निपटारा करते हुए,

अभिनिर्धारित – प्रत्येक स्वामी को स्वयं द्वारा धारित और कब्जे वाले भवन के भाग का उपभोग, मरम्मत, निर्माण या पुनःनिर्माण करने का हक होता है किन्तु न केवल अन्यों के जीवन और संपत्ति को जोखिम में डाल सकता है अपितु स्वयं और अपने कुटुम्ब को भी जोखिम में नहीं डाल सकता है । जहां एक ही भवन में विभिन्न विनिर्दिष्ट भागों के कई स्वामी हैं वहां संपत्ति के उपभोग की पूर्णता, मरम्मत कार्य करना और आगे निर्माण कार्य करना, देना और लेना के सिद्धांत पर सभी शेयरधारकों के फायदों को ध्यान में रखते हुए आपसी समझ और सहयोग पर निर्भर करेगा । उनमें से कुछ अधिक फायदा वाले हो सकते हैं और कुछ कम फायदे वाले हो सकते हैं । अन्यथा, पुरानी संरचना में या के ऊपर पुनःनिर्माण या आगे निर्माण कभी भी संभव नहीं होगा । जहां गतिरोध है वहां ऐसे विवाद्यकों पर विचार करने के लिए अधिनियमित किसी संविधि/नियमों के अभाव में, न्यायालय को साम्या, अन्तःकरण पर आधारित और तुलनात्मक क्षति/कठिनाई को ध्यान में रखते हुए, समुचित आदेश पारित करना होता है । वर्तमान मामले में, पक्षकारों ने असहयोग और एक दूसरे की हानि कारित होने के बारे में आरोप और प्रति-आरोप लगाए हैं । वर्तमान याचिका लम्बित रहने के दौरान सौहार्दपूर्ण समझौते की संभावना ढूंढने के लिए प्रयास किया गया था और पक्षकार/पक्षकारों के प्रतिनिधियों ने भी क्रमशः अपने काउंसिल के माध्यम से भी बातचीत की थी और इस मुद्दे पर, यह प्रतीत होता है कि कुछ सौहार्दपूर्ण हल निकाले गए थे किन्तु अन्ततोगत्वा उस स्थल पर निर्माण करने की नवीनता के संबंध में गतिरोध हो गया था ।

प्रतिवादी संख्या 1 युक्तियुक्त समय के लिए वादी को दुकान खाली करने के लिए जगह और समय उपलब्ध कराने के अध्यधीन भूमि तल से सभी पिलरों/स्तंभों का निर्माण करने के लिए तैयार था किन्तु वादी, पहले ही लिंटल पड़ जाने की आशंका से और उस तरीके से भी जिससे बीमों का निर्माण किया गया था और भूमि तल के ऊपर लिंटल डालते हुए निर्माण किया जाना प्रस्तावित था, अपनी दुकान की दीवारों में स्तंभों/पिलरों का निर्माण करने की मंजूरी के प्रति अपनी अभिव्यक्ति आरक्षित रखी थी जिसके उपरान्त प्रतिवादी संख्या 1 ने भी गतिरोध के परिणामस्वरूप विवादक/समस्या के सौहार्दपूर्ण हल की असंभाव्यता अभिव्यक्त की थी । वर्तमान मामले में, भवन में विभिन्न व्यक्तियों का स्वामित्व, भवन के अपार्टमेंटों के स्वामित्व के समान है । हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश में वैयक्तिक अपार्टमेंट का स्वामित्व उपलब्ध कराने और ऐसे अपार्टमेंट को आनुवंशिक और अन्तर्णीय सम्पत्ति बनाने के लिए हिमाचल प्रदेश अपार्टमेंट स्वामित्व अधिनियम, 1978 अधिनियमित किया है । किन्तु उक्त अधिनियम के उपबंध में ऐसी परिस्थिति जैसी वर्तमान में है, पर विचार नहीं करता है । ऐसी परिस्थितियों में, विभिन्न व्यक्तियों के धृति और कब्जे में रहने वाले पुराने भवनों की मरम्मत करने के लिए बाध्य हैं । इसलिए, लोकहित में ऐसे हालातों पर विचार करने के लिए विधायन या नियम बनाने की आवश्यकता है । यह विवाद्यक हो सकता है कि किस मापंदड पर पुनर्निर्माण करना मंजूर किया जाएगा, स्वामियों के क्या अधिकार और कर्तव्य होंगे, कौन पुनःनिर्माण और निर्माण करेगा और किन निबंधनों पर, कौन निबंधनों का विनिश्चय करेगा, पक्षकारों के दावों और प्रतिदावों पर विचार करने के लिए क्या मशीनरी होगी, किस आधार पर, पुनर्निर्माण/निर्माण की आवश्यकता अवधारित की जाएगी और कौन करेगा । इसलिए, ऐसे सभी विवाद्यकों पर विचार करने के लिए अधिनियम/नियम बनाने की यथाशीघ्र आवश्यकता है । चूंकि, लम्बे समय से हिमाचल प्रदेश में भी देश के अन्य भागों की तरह भवन, फ्लैट्स, लिंटल या तलों के भागों के विक्रय और क्रय करने के व्यवसाय विकसित हुए हैं । ऐसे फ्लैटों/लिंटलों/तलों में अन्तर्विष्ट भवन कुछ

अपवादों के साथ आरसीसी निर्मित हैं । यह सुज्ञात है कि आरसीसी संरचना, ऐसे निर्माणों के लिए प्रयुक्त सीमेंट और छड़ों की मजबूती पर निर्भर करते हैं जिनकी सीमित जीवनकाल लगभग 40 से 100 वर्ष के बीच होती है । ऐसे मामले हो सकते हैं जहां सम्पूर्ण भवन के विभिन्न भागों और ऐसे भवन के एक विनिर्दिष्ट भाग/तल को विभिन्न व्यक्तियों को विक्रय किया गया हो किन्तु सम्पूर्ण भवन या सभी तलों का विक्रय नहीं किया गया हो, किसी कारण से अतिशीघ्र क्षय हो सकता है और उसके मरम्मत या पुनर्निर्माण करने के लिए, एक अन्य व्यक्ति द्वारा धारित अन्य भाग में निर्माण कार्य करने या कुछ परिवर्तन, आधुनिकीकरण या मरम्मत करने की आवश्यकता हो सकती है जो अपने भाग को अच्छी दशा में रखने के लिए, अपने भाग में मरम्मत/ पुनर्निर्माण/निर्माण कार्य करने के लिए नहीं सोच सकता है या सहमत नहीं हो सकता है और वह अपने ऊपर अतिरिक्त भार या न्यूसेस के रूप में विचार कर सकता है और इससे पक्षकारों के बीच गतिरोध हो सकता है, किन्तु, सुनिश्चित तौर पर उससे उस व्यक्ति को हानि कारित हो सकती है जिसे वस्तुतः अपने भाग की मरम्मत/पुनर्निर्माण करने की आवश्यकता है । ऐसा मामला हो सकता है जहां सभी फ्लैटों/तलों में से मात्र कुछ फ्लैटों/तलों का विक्रय किया जा सके और शेष फ्लैटों/तलें स्वामी/बिल्डर/डवलेपर के ही पास रह जाएं और इसी बीच में किसी कारण से उनकी मरम्मत/पुनर्निर्माण की आवश्यकता हो सकती है या उनके पुनर्निर्माण की अपेक्षा के किसी कारण से भवन असुरक्षित हो सकता है, ऐसे हालातों में, कैसे और किस तरीके से ऐसी परिस्थितियों का समाधान किया जा सकता है, कौन ऐसी मरम्मत/पुनर्निर्माण करने के लिए प्रतिफल की कितने रकम का उत्तरदायी होगा, ऐसी परिस्थितियों का समाधान करने के लिए किसी मानक या मशीनरी या नियमों के अभाव में सुनिश्चित करना कठिन होगा । एक उदाहरण हो सकता है जहां किसी भाग का एक स्वामी भवन को असुरक्षित मान सकता है जबकि एक अन्य स्वामी उसे सुरक्षित मान सकता है और दोनों जैसे वर्तमान मामले में है, यह प्रमाणपत्र लेने में समर्थ हो सकते हैं कि भवन सुरक्षित घोषित किया जाए और दूसरा असुरक्षित घोषित किया जाए ।

ऐसी परिस्थितियों पर विचार करने के लिए अंतिम निर्धारक प्राधिकारी कौन होगा । ऐसे विवाद्यकों का भी नियमों/विधायन अधिनियमित करते हुए विनियमित किया जाना अपेक्षित है । ये कुछ उदाहरण हैं जो मामले की सुनवाई के दौरान उद्भूत हुए हैं । संरचना अभियंता/वास्तुविद भवन निर्माण के क्षेत्र में मान्यताप्राप्त है और कार्य करते हैं जो ऐसे विवाद्यकों का बड़े पैमाने पर सामना कर सकते हैं जिसके संबंध में कोई विधि या नियम अस्तित्व में नहीं है । इसलिए, न्यायालय का यह सुविचारित मत है कि सरकार को इस एवज में कदम उठाने चाहिए और बड़े पैमाने पर लोकहित में, पूर्वोक्त परिस्थितियों जैसी यह परिस्थिति है, पर विचार करने के लिए उपयुक्त विधि/नियम प्रस्तावित करने के लिए अत्यधिक अनुभवी वास्तुविदों/संरचना इंजीनियरों और विधिक विद्वानों की एक समिति गठित करनी चाहिए और न्यायालयों में अनावश्यक मुकदमेबाजी और अनावश्यक भार डालने से भी बचना चाहिए । हिमाचल प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव को यह निर्देश दिया जाता है कि वह आज से छह माह के भीतर पूर्वोक्त क्षेत्र में आवश्यक विधायन या नियम विरचित कराना सुनिश्चित करें । वर्तमान मामले में, विशेषज्ञ राय में विरोधाभास को देखते हुए और निर्माण करने के लिए आधुनिकता का विनिश्चय करने के लिए भी जैसा नगर परिषद् (अब नगर निगम) द्वारा अनुमोदित है, न्यायालय का यह मत है कि तीन सदस्यों की समिति जो एचपीपीडब्ल्यूडी, खंड पालमपुर के कार्यपालक अभियंता और दो अन्य विशेषज्ञ सदस्यों/इंजीनियरों से गठित हो, जिनमें से प्रत्येक वादी और प्रतिवादियों द्वारा नाम-निर्देशित किया जाए, विशेषज्ञ राय लेना समुचित होगा जो मौजूद और प्रस्तावित भवन की सुरक्षा के संबंध में, जिसमें स्थल पर प्रस्तावित या अध्यधीन हाई ब्रिड निर्माण की संरचना स्थायित्व सम्मिलित है, पक्षकारों के दावों और प्रतिदावों की परीक्षा करेगा और सभी द्वारा संपत्ति का उपभोग करने के लिए सभी की सुरक्षा के साथ स्थल पर संभाव्य और अनुज्ञेय स्थायित्व संरचना के समुचित प्रकार का सुझाव देगा और उस प्रकार और तरीके का भी सुझाव देगा, जिसमें सुरक्षा और स्थायित्व संरचना समेकित समय में पूरा किया जा सके और वादी द्वारा धारित और कब्जे वाले दुकान के क्षेत्र में ऐसे निर्माण कार्य करने के लिए

लागत खर्च किया जा सके, इस विनिर्दिष्ट निष्कर्ष के साथ कि क्या पिलर/स्तंभ का निर्माण पर्याप्त होगा या लिंटल को बदलने की आवश्यकता होगी और कैसे और किस तरीके से बीम दुकान के ऊपर प्रथम तल के लिंटल का भार सहन करेगा और क्या भूमि स्तर पर टाई-बीमों के साथ पिलर/स्तंभ की आवश्यकता होगी या नहीं । विशेषज्ञ समिति को विधि के अधीन अनुज्ञेय और सुरक्षित और स्थायी हल के लिए आवश्यक निर्माण के सभी संभाव्य तरीकों के साथ संदर्भित विवाद्यक पर विचार करते हुए हल निकालने के लिए व्यापक तकनीकी रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया । पक्षकारों द्वारा नामनिर्देशित दोनों प्राइवेट विशेषज्ञ सदस्यों का शुल्क क्रमशः उनके द्वारा संदत्त किया जाएगा, जबकि एचपीपीडब्ल्यूडी के कार्यपालक अभियंता को प्रत्येक वादी और प्रतिवादियों द्वारा 15-15 हजार रुपए कुल 30 हजार रुपए संदत्त किया जाएगा । विशेषज्ञ समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट विचारण न्यायालय के समक्ष, यह आदेश पारित किए जाने के 15 दिनों के पश्चात् इस फाइल के अभिलेख पर रखने के लिए हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के महारजिस्ट्रार को प्रति पृष्ठांकित करने के साथ विचारण न्यायालय द्वारा नियत तारीख को या पूर्व प्रस्तुत किया जाएगा । (पैरा 22, 23, 24, 25, 26 और 27)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[1981]	1981 पी. एल. जे. 204 : **भार्तू** बनाम **राम सरुप** ।	12

रिट (सिविल प्रकीर्ण) अधिकारिता : 2021 की सिविल प्रकीर्ण याचिका मुख्य (मूल) संख्या 499.

संविधान, 1950 के अनुच्छेद 226 के अधीन रिट याचिका ।

याची की ओर से सर्वश्री कपिल देव सूद, ज्येष्ठ अधिवक्ता के साथ मुकुल सूद, अधिवक्ता

प्रत्यर्थियों की ओर से सर्वश्री नीरज गुप्ता, ज्येष्ठ अधिवक्ता के साथ नीरज कनवर, अधिवक्ता

न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर – वादी-याची ने इस न्यायालय के समक्ष वर्तमान याचिका, विद्वान् अपर जिला न्यायाधीश (तृतीय), कांगड़ा, धर्मशाला द्वारा शीर्षक विक्रम कनवर और एक अन्य बनाम श्याम सुन्दर, 2016 की सिविल प्रकीर्ण अपील संख्या 05-डी/XIV में पारित तारीख 18 सितम्बर, 2017 के आक्षेपित आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की है, जिसके द्वारा विद्वान् सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ खंड), पालमपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश द्वारा शीर्षक श्याम सुन्दर बनाम विक्रम कनवर और एक अन्य, 2015 की सिविल वाद संख्या 336 में प्रस्तुत 2015 की सीएमए संख्या 317 में पारित तारीख 21 मार्च, 2016 के आदेश द्वारा पक्षकारों को वाद भूमि पर समान प्रकृति, कब्जा, निर्माण और अन्यसंक्रामण के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश को अपास्त कर दिया और इसमें के वादी-याची द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 39, नियम 1 और 2 के अधीन फाइल आवेदन को भी खारिज कर दिया था ।

2. याची-प्रत्यर्थी, विचारण न्यायालय के समक्ष मुख्य वाद में क्रमशः वादी और प्रतिवादी हैं, इसलिए, सुविधा के लिए इसमें इसके पश्चात् उन्हें क्रमशः वादी और प्रतिवादियों के रूप में कहा जाएगा ।

3. वादी ने अवैध तलों अर्थात् भूमि तल पर स्थित वादी की उपर्युक्त दुकान के प्रथम और द्वितीय तल पर बलपूर्वक निर्माण से और किसी तरीके से वादी की दुकान के पीछे की ओर मौजूद वादी के रास्ते को रोकने से या उस पर कोई ढांचा विनिर्मित करने से या खसरा संख्या 1981 में समाविष्ट भूमि, माप 26-52 वर्गमीटर में वादी के हिस्से पर अतिक्रमण करने से प्रतिवादियों को अवरुद्ध करने के लिए स्थायी प्रतिषेधात्मक व्यादेश की डिक्री के लिए वाद फाइल किया है ।

4. वादपत्र के अनुसार, वादी का पक्षकथन यह है कि वह खसरा संख्या 1981 में समाविष्ट भूमि के 3800/9652 में 38 वर्गमीटर हिस्से

के साथ कब्जे सहित स्वामी है और प्रतिवादी भी वाद संपत्ति के सह-स्वामी हैं और तारीख 2 अगस्त, 2015 को प्रतिवादी संख्या 1 ने वादी की दुकान के उपर्युक्त प्रथम तल पर मौजूद पुराने ढांचे को गिराना आरम्भ कर दिया और वादी द्वारा विरोध करने पर, यह सूचित किया गया कि मात्र पुराना ढांचा ही गिराया जाना है और नया निर्माण, पुराने मौजूद भवन के आधार और संरचना को मजबूत करने के लिए संबंधित विभाग से समुचित अनुज्ञा प्राप्त करने के पश्चात् ही आरम्भ होगा और वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 के शब्दों पर विश्वास करते हुए प्रथम तल के पुराने ढांचे को गिराने दिया । इसके पश्चात्, तारीख 8 सितम्बर, 2015 को प्रतिवादी संख्या 1 ने वादी को कुछ बताए या सहमति लिए बिना और यह भी कि संबंधित प्राधिकारी से कोई अनुज्ञा लिए बिना भी या निर्माण स्थल का कोई अनुमोदन लिए बिना नया निर्माण करना आरम्भ कर दिया था और ऐसा निर्माण भवन के आधार को मजबूत किए बिना या संरचनात्मक मजबूती दिए बिना या भवन को सहारा दिए बिना किया गया है जिससे वादी की दुकान के प्रथम तल से जल का रिसाव कारित हो सकता है, जिसके परिणामस्वरूप दुकान के साजो-सामान और दुकान के स्टाक को भारी नुकसान पहुंच सकता है ।

5. वादी का यह भी पक्षकथन है कि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा निर्माण कार्य आरम्भ करने के कारण, वादी की दुकान के फर्श और दीवारों में दरार आ गई थी और ऐसे अवैध कृत्य से वादी, पड़ोस के अन्य व्यक्तियों के साथ ही वादी के कुटुम्ब के जीवन और संपत्ति को हानि कारित हो सकती है क्योंकि वाद संपत्ति अनुपयोगी और असुरक्षित हो गई है ।

6. प्रतिवादियों द्वारा पृथक् लिखित कथन फाइल करते हुए वाद का विरोध किया गया है किन्तु उसी तरह की बात, जिसमें कथन किया है कि वादी संदर्भित भवन के भूमि तल पर स्थित दुकान में 38 वर्गमीटर का स्वामी है और वह सम्पूर्ण संपत्ति में सह-स्वामी नहीं है अपितु, बैंक द्वारा संचालित विक्रय में उसने संपत्ति क्रय की है जैसा कि नामांतरण संख्या 1432 द्वारा नवीनतम जमाबंदी में प्रलक्षित होता है । इसलिए, प्रतिवादियों की ओर से यह दलील दी गई है कि वादी के पास

दुकान/भवन के लिंटल पर कोई अधिकार-हक नहीं था क्योंकि उसने अपने कब्जे में दुकान क्रय की थी किन्तु लिंटल पर किसी अधिकार के बिना । यह दावा किया गया है कि प्रतिवादी संख्या 1 के पास भूमि तल के साथ ही प्रथम तल के लिंटल की संरचना की मरम्मत, निर्माण और पुनःनिर्माण करने का अधिकार है जबकि वादी के पास उन लिंटलों में कोई अधिकार, हक या हित नहीं है और उसे हस्तक्षेप करने और/या प्रतिवादी संख्या 1, उसका स्वामी होने के नाते लिंटल पर किए जा रहे दुकान की संरचना के निर्माण कार्य में हस्तक्षेप करने के लिए सुने जाने का कोई अधिकार नहीं है ।

7. लिखित कथनों में, यह कथन किया गया है कि प्रथम तल की मरम्मत करने के लिए अनुज्ञा तारीख 6 दिसम्बर, 2024 को नगर परिषद्, पालमपुर से ली गई थी और उसके पश्चात् आवासीय गृह को मरम्मत कार्य करने के लिए जुलाई, 2015 में कब्जे में लिया गया था और प्रथम तल पर पड़े लिंटल द्वारा निर्मित भवन, पिलरों की सुरक्षा, दीर्घकालिक और मजबूती के सभी उपाय करने के पश्चात् मरम्मत कार्य वाद फाइल करने के पूर्व पूरा कर लिया गया था । इस बात से इनकार किया गया है कि वादी सह-अंशधारी के रूप में अधिकार रखते हुए संपत्ति में सह-स्वामी है, इस आधार पर कि वादी ने उस विशिष्ट भाग के सम्पूर्ण स्वामी के रूप में सम्पूर्ण भवन में विर्निदिष्ट क्षेत्र क्रय किया है ।

8. दोनों लिखित कथन तारीख 23 नवम्बर, 2015 को फाइल किए गए थे । लिखित कथनों में यह कथन किया गया है कि प्रतिवादी संख्या 1 को प्रथम तल पर स्थित अपने आवासीय गृह की मरम्मत करने का अधिकार है और वादी को प्रथम तल के साथ ही भूमि तल के लिंटल पर कोई अधिकार नहीं होने के नाते उक्त प्रतिवादी के मरम्मत/निर्माण कार्य करने में हस्तक्षेप और बाधा डालने का कोई अधिकार नहीं है जो उक्त प्रतिवादी के अनन्य स्वामित्व में है । वादी द्वारा यथाअभिकथित किसी रास्ते को बन्द करने से भी इनकार किया गया है । खसरा संख्या 1981 के वर्ष 2009-2010 के लिए जमाबंदी को भी समझौता विलेख,

प्रतिवादियों की माता श्रीमती सुशीला कनवर द्वारा निष्पादित, के साथ अभिलेख पर प्रस्तुत किया गया है ।

9. सभी तथ्यों पर विचार करते हुए, विचारण न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया था कि वादी एक सह-स्वामी के रूप में संयुक्त धृति के कुछ भाग के कब्जे में था और इस प्रकार, वह उस भूमि के प्रत्येक इंच के कब्जे में बने रहने का हकदार था जब तक कि संयुक्त धृति का विभाजन नहीं हो जाता है और तारीख 21 मार्च, 2016 के आदेश द्वारा खसरा संख्या 1981 के सह-स्वामी के रूप में वादी के दावे की पुष्टि के लिए जमाबंदी में निर्दिष्ट प्रविष्टि का मुख्य वाद का अंतिम निपटारा नहीं हो जाता है, पक्षकारों को खसरा संख्या 1981 में समाविष्ट वाद भूमि की प्रकृति, कब्जा, निर्माण और अन्यसंक्रामण में यथास्थिति कायम रखने का निर्देश दिया जाता है ।

10. प्रतिवादियों द्वारा अपील फाइल करते हुए, पूर्वोक्त आदेश को चुनौती दी गई थी जिसे विद्वान् अपर जिला न्यायाधीश (तृतीय), कांगड़ा, धर्मशाला द्वारा तारीख 18 सितम्बर, 2017 को मंजूर कर लिया गया था, यह मत व्यक्त करते हुए कि वादी सम्पूर्ण दो मंजिला भवन में स्थित दुकान का क्रय करने के नाते सह-स्वामी या सम्पूर्ण खसरा संख्या 1981 के ऊपर सह-अंशधारी नहीं हो सकता है क्योंकि विक्रय प्रमाणपत्र से यह स्पष्टतः दर्शित होता है कि उसका लिंटल और लिंटल पर किए गए निर्माण पर कोई अधिकार नहीं है और इसलिए, वादी वाद-भूमि में सह-अंशधारी नहीं हो गया अपितु उसने मात्र एक दुकान का स्वामित्व और कब्जा प्राप्त किया है और इस प्रकार, वादी का मात्र एक दुकान माप 38 वर्गमीटर के ऊपर ही अधिकार है और उसका उपर्युक्त दुकान के लिंटल और निर्माण पर सह-स्वामी के रूप में कोई अधिकार नहीं है । यह भी कि जब भवन के पहले ही दो मंजिल थे, तो प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा किए गए निर्माण कार्य के लिए कोई अनुज्ञा लेना अपेक्षित नहीं था और प्रतिवादियों द्वारा उद्भूत किए गए तृतीय तल के किसी निर्माण के बारे में न्यायालय के समक्ष कोई सामग्री प्रस्तुत नहीं की गई है और मरम्मत कार्य पहले ही समाप्त हो गया है और वादी, स्वामित्व दर्शित करने वाले कोई भी मूल दस्तावेज या नीलामी प्रक्रिया में, जिसमें दुकान

का वर्णन सम्मिलित है, उसे स्वामित्व अंतरित होने का कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने में असफल रहा है और इसलिए, प्रतिवादियों द्वारा प्रस्तुत अपील मंजूर की जाती है और विचारण न्यायालय द्वारा तारीख 18 जुलाई, 2019 के निर्णय द्वारा पारित आदेश अपास्त किया जाता है ।

11. वादी ने आवेदन, 2017 की सीएमपी संख्या 11045 के साथ प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा बनाए जा रहे तृतीय तल के आधार और निर्माण के फोटोग्राफों के साथ अभियंता की तकनीकी रिपोर्ट भी प्रस्तुत की है । यद्यपि, अभिलेख पर प्रस्तुत दस्तावेजों का जैसा कि 2017 की सीएमपी संख्या 11045 में प्रस्तावित है, प्रतिवादियों द्वारा जोरदार तरीके से विरोध किया गया है, तथापि, प्रतिवादियों ने तारीख 6 नवम्बर, 2017 की संसूचना द्वारा नगर परिषद्, पालमपुर से प्राप्त निर्माण करने की अनुज्ञा को भी अभिलेख पर प्रस्तुत किया है, एक अन्य अभियंता से संरचनात्मक स्थायित्व प्रमाणपत्र और भूमि अन्वेषण और कुछ फोटोग्राफों को विचार के लिए अभिलेख पर लेने के लिए आवेदन के उत्तर के साथ प्रस्तुत किया है ।

12. अभिलेख पर प्रस्तुत सामग्रियों से उद्भूत तथ्यों और पक्षकारों के विद्वान् काउंसेल द्वारा किए गए निवेदनों से यह निष्कर्ष निकलता है कि सुशीला देवी, प्रतिवादियों की माता के धृति और कब्जे में पुराना दो मंजिला भवन था । उसकी माता द्वारा उसमें से 38 वर्गमीटर को राजेश कनवर को अपना कारबार स्थापित करने में समर्थ होने के लिए पूर्ण स्वामित्व में दिया था किन्तु, उसके लिंटल में किसी अधिकार के बिना और उक्त दुकान को राजेश कनवर द्वारा बैंक के पास बंधक रख दिया गया था और ऋण का असंदाय करने के कारण, बैंक द्वारा दुकान की नीलामी कर दी गई थी और उसे वर्ष 2015 में वादी द्वारा क्रय किया गया था । भूमि तल पर एक अन्य दुकान और गोदाम स्थित है जिसे सुशीला कनवर द्वारा अपने पुत्र प्रतिवादी संख्या 2 विश्वजीत सिंह कनवर को दे दिया गया था । प्रथम तल के दो भाग हैं, एक भाग में छोटी दुकान है और दूसरे भाग में आवासीय गृह है । जमाबंदी के अनुसार, सुशीला कनवर ने दुकान का विक्रय श्रीमती मधु को कर दिया था जिसने भी इसे नीरजा वर्मा को विक्रय कर दिया था । प्रथम तल पर

स्थित आवासीय गृह को सुशीला कनवर ने अपने पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 विक्रम कनवर को दे दिया था, जबकि प्रथम तल के लिंटल को उस पर आवासीय गृह का निर्माण करने के अधिकार के साथ अपने एक अन्य पुत्र राजेश कनवर को दे दिया था । उसके बाद, राजेश कनवर ने प्रथम तल के लिंटल को अपने भाई प्रतिवादी संख्या 1 विक्रम कनवर को विक्रय कर दिया था । इस प्रकार, अब संपत्ति के पृथक् और भिन्न भागों के ऊपर वादी श्याम सुंदर, प्रतिवादी संख्या 1 विक्रम कनवर, प्रतिवादी संख्या 2 विश्वजीत सिंह कनवर और नीरजा वर्मा कुल चार व्यक्तियों का स्वतंत्र स्वामित्व है । निश्चित तौर पर वे संयुक्त संपत्ति के सह-अंशधारी या सह-स्वामी नहीं हैं वे खसरा संख्या 1981 में स्थित उनमें से एक द्वारा धारित और उसी भवन में अपने-अपने भाग के स्वतंत्र स्वामी हैं । इसलिए, विचारण न्यायालय ने **भार्तू** बनाम **राम सरुप**[1] वाले मामले में दिए गए निर्णय को निर्दिष्ट करते हुए, जिसमें सह-स्वामियों के अधिकारों और दायित्वों को दोहराया गया है, संपत्ति में प्रत्येक अधिकार के साथ और प्रत्येक इंच पर उन्हें सह-स्वामियों के रूप में मानने में भूल कारित की है । इसलिए, विचारण न्यायालय द्वारा समनुदेशित कारणों से आदेश पारित करना, यह निदेश देते हुए कि वाद भूमि की एक समान प्रकृति, कब्जा, अन्यसंक्रामण और निर्माण के संबंध में पक्षकारों द्वारा यथास्थिति बनाए रखी जाए, भ्रांतिपूर्ण होने के नाते कायम रखे जाने योग्य नहीं है ।

13. विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश को विद्वान् अपर जिला न्यायाधीश द्वारा अपास्त कर दिया गया है । उसके लिए कारण यह समनुदेशित किया गया है कि वादी, दुकान के संबंध में अपने स्वामित्व को सिद्ध करने के लिए कोई दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत करने में असफल रहा है और भूमि तल पर दुकान का एक स्वामी होने के नाते भी, उसका लिंटल पर और उस पर किए गए निर्माण पर कोई अधिकार नहीं है और उस पर दो मंजिला भवन पहले से ही मौजूद था और इसलिए, प्रतिवादियों को निर्माण करने के लिए नगर परिषद् से कोई अनुज्ञा प्राप्त करना अपेक्षित नहीं था और क्योंकि प्रतिवादियों ने

[1] 1981 पी.एल.जे. 204.

मरम्मत कार्य पहले ही पूरा कर लिया है और वादी ने प्रतिवादियों द्वारा तृतीय तल/द्वितीय तल पर निर्माण/प्रस्तावित निर्माण करने के बारे में कुछ भी प्रस्तुत नहीं किया है, इसलिए यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि दुकान के प्रथम तल पर स्वयं अपने परिसरों में मरम्मत करने से प्रतिवादियों को अवरुद्ध करने के लिए वादी के पक्ष में प्रथमदृष्ट्या कोई मामला नहीं बनता है । विद्वान् जिला न्यायाधीश द्वारा आक्षेपित आदेश पारित करने के लिए समनुदेशित कारण तर्कपूर्ण भी नहीं हैं क्योंकि वादी का पक्षकथन यह है कि प्रथम तल के लिंटल पर निर्माण कार्य किया गया है किन्तु भूमि तल के आधारभूत ढांचे को मजबूती दिए बिना क्योंकि जीवन और संपत्ति न केवल वादी अपितु उसके कुटुम्ब सदस्यों और अन्यों के लिए भी जोखिमपूर्ण है । उक्त विवाद्यक पर विद्वान् अपर जिला न्यायाधीश द्वारा विचार नहीं किया गया है ।

14. विचारण न्यायालय ने दोषपूर्ण तरीके से वादी को सम्पूर्ण संपत्ति के सह-स्वामी के रूप में माना है जबकि विद्वान् अपर जिला न्यायाधीश ने इसके विपरीत निष्कर्ष निकाला है कि संपत्ति में 38 वर्ग मीटर दुकान का स्वामी होने के नाते, प्रतिवादियों द्वारा संपत्ति के पृथक् भाग के स्वामी होने के नाते किए गए मरम्मत या निर्माण कार्य में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है अपितु वादी के इस अभिवाक् की अवहेलना करते हुए कि ऐसा निर्माण वादी और अन्यों के जीवन और संपत्ति के लिए जोखिमपूर्ण है । दोनों निचले न्यायालयों द्वारा समनुदेशित कारण गलत तौर पर दिए गए हैं ।

15. लिखित कथनों में, प्रतिवादी अपने द्वितीय तल अर्थात् भवन का तृतीय मंजिल के निर्माण की अपनी योजना और उसके संबंध में किसी मंजूरी के बारे में पूरी तरह से चुप थे किन्तु यह अभिवाक् किया था कि उन्होंने भवन की मरम्मत करने के लिए तारीख 6 दिसम्बर, 2014 को नगर परिषद्, पालमपुर से अनुज्ञा ली है । इस न्यायालय में वर्तमान याचिका फाइल करते समय, वादी ने अभिलेख पर उपाबंध पी-10 के रूप में फोटोग्राफों को प्रस्तुत किया है जिसमें भूमि तल के पुराने निर्माण को भरते हुए मौजूदा भवन पर द्वितीय तल का निर्माण करने के बारे में प्रतिवादियों की योजना को उपदर्शित किया है ।

16. याचिका के उत्तर में, द्वितीय तल अर्थात् तृतीय मंजिल के निर्माण की योजना से इनकार नहीं किया गया है, इसके बजाय, यह कथन करते हुए स्वीकार किया गया है कि तारीख 6 दिसम्बर, 2014 के पत्र संख्या 1017 के द्वारा मरम्मत कार्य करने की अनुज्ञा लेने के पश्चात्, मई, 2015 में मरम्मत कार्य पूरा किया गया था और ढांचे में अतिरिक्त मजबूती देते हुए पहले से ही मौजूद ढांचे की क्षमता का भार सहने के अलावा प्रतिवादियों द्वारा आधिपत्य क्षेत्र में तहखाने में स्तंभ लगाने के पश्चात्, जुलाई, 2015 में लिंटल डाला गया था और इस प्रक्रम पर कार्य पहले ही पूरा कर लिया गया था जब विचारण न्यायालय द्वारा यथास्थिति बनाए रखने के लिए तारीख 21 मार्च, 2016 का अन्तरिम आदेश पारित किया गया था । प्रतिवादियों ने यह भी आधार लिया है कि तारीख 20 अक्तूबर, 2015 की संसूचना द्वारा नगर परिषद् द्वारा यह सूचित किया गया था कि विचारण न्यायालय द्वारा अन्तरिम आदेश पारित होने के कारण, प्रथम तल और द्वितीय तल के संबंध में प्रतिवादियों द्वारा प्रस्तुत नक्शे को अनुमोदित नहीं किया जा सकता है और इसे वापस कर दिया गया था । तथापि, विद्वान् अपर जिला न्यायाधीश ने तारीख 18 सितम्बर, 2017 के आदेश द्वारा अन्तरिम रोक को अपास्त करने के पश्चात्, प्राधिकारियों ने तारीख 6 नवम्बर, 2017 को प्रतिवादियों के पक्ष में मंजूरी प्रदान कर दी और इसके पश्चात् तारीख 17 नवम्बर, 2018 को वर्तमान याचिका के पश्चात् इस न्यायालय ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश पारित किया है । यह दलील दी गई है कि संपत्ति के भाग का पूर्ण स्वामी होने के नाते प्रतिवादी, उक्त संपत्ति की मरम्मत, निर्माण, विकास और उपभोग करने के हकदार हैं किन्तु वादी ने दुर्भावनापूर्ण आशय से प्रतिवादियों को तंग करने, अनावश्यक असुविधा कारित करने, धन संपत्ति की हानि करने और उनके अधिकारों को जोखिम में डालने के लिए वाद फाइल किया है और तकनीकि रिपोर्ट प्राप्त की है जो तथ्यात्मक रूप से गलत है और यह भी कि वादी द्वारा फाइल तकनीकी रिपोर्ट को वर्तमान याचिका में विचार में नहीं लिया जा सकता है क्योंकि विचारण न्यायालय और प्रथम अपील न्यायालय द्वारा पारित आदेश में, आवेदन विनिश्चित करते समय उन न्यायालयों के समक्ष उपलब्ध सामग्रियों के आधार पर

न्यायनिर्णयन किया गया है । यह निवेदन किया गया है कि कोई मरम्मत या निर्माण कार्य करने के लिए, सक्षम प्राधिकारी की अनुज्ञा अपेक्षित होती है और उस प्रयोजन के लिए वादी की सहमति लेनी आवश्यक नहीं है और यह भी कि प्रतिवादियों के अन्यथा भी तंग करने के लिए, याची, कई वर्षों तक सहमति नहीं देता और इसलिए, अपनी क्रमशः संपत्ति का प्रबंध करने और प्रतिवादियों द्वारा तुलनात्मक कठिनाइयों का सामना करने के लिए पक्षकारों के अधिकारों को निर्दिष्ट करते हुए, याचिका खारिज करने और अन्तरिम रोक बातिल करने की प्रार्थना की है ।

17. वादी की ओर से यह दलील दी गई है कि यद्यपि वादी को भूमि तल के लिंटल पर कोई अधिकार नहीं है किन्तु उसे अपनी संपत्ति का संरक्षण करने का प्रत्येक अधिकार है और अपने जीवन और संपत्ति की सुरक्षा करने के लिए कार्य कर सकता है और जिस तरीके से प्रतिवादियों द्वारा निर्माण कार्य किया जाना है निश्चित तौर पर वह जीवन और संपत्ति के लिए जोखिमपूर्ण है न केवल वादी के लिए अपितु प्रतिवादियों और निवासियों के लिए भी जिसके अधीन भूमि से कोई अवलंब दिए बिना प्रस्तावित तल निर्माणाधीन हैं ।

18. यह सत्य है कि इस याचिका में अभिलेख पर प्रस्तुत इंजीनियरों की तकनीकी रिपोर्ट को निचले न्यायालयों के समक्ष नहीं रखा गया था किन्तु उस समय पर इस तथ्य को भी स्वीकार किया गया था कि प्रतिवादियों ने द्वितीय तल अर्थात् तृतीय मंजिल का निर्माण करने के लिए सक्षम प्राधिकारी से कोई मंजूरी प्राप्त नहीं की थी और तारीख 6 नवम्बर, 2017 की अनुज्ञा और संरचनात्मक स्थायित्व प्रमाणपत्र, 2017 की सीएमपी संख्या 9707 के उत्तर में अभिलेख पर प्रस्तुत किया गया था जो निचले न्यायालयों के समक्ष भी अभिलेख पर उपलब्ध नहीं था और अब भी यह अस्तित्व में नहीं है । दोनों ओर से अभिलेख पर कई फोटोग्राफ प्रस्तुत किए गए हैं जो निचले न्यायालयों के समक्ष अभिलेख के भाग हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं । तकनीकी रिपोर्ट भी आक्षेपित आदेश पारित करने के पश्चात् अस्तित्व में आए जैसे नगर परिषद् पालमपुर द्वारा मंजूर निर्माण की अनुज्ञा जो भी आक्षेपित आदेश

के पारित होने के पश्चात् अस्तित्व में आया । वर्तमान याचिका में अन्तर्वलित अभिवचनों, विवाद्यकों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए और वर्तमान याचिका का न्यायनिर्णयन करने के लिए उनके द्वारा फाइल क्रमशः दस्तावेजों और फोटोग्राफों, दोनों ओर की प्रार्थना, पक्षकारों द्वारा फाइल सम्पूर्ण दस्तावेजों को इस संदर्भ में विवाद्यक का हल करने के लिए विचार में लिया जाना अपेक्षित है ।

19. वादी, अभियंता त्रिलोक सिंह ठाकुर द्वारा फाइल तकनीकी रिपोर्ट निम्नलिखित प्रस्तुत है :–

"**भवन का विनिर्देशन** –

जब किसी भवन के स्थायित्व का दावा किया जाता तो हमें यह जांच करनी होती है कि यह किस प्रकार का ढांचा है, क्या यह ढांचे या निर्मित ढांचे का भार सहन करने की क्षमता रखता है ।

यह भार सहन करने का एक ढांचा है जो 40 वर्षों की अवधि पूरी करता है जैसा कि मेरे मुवक्किल द्वारा कहा गया है और नींव की दीवारों, तल, लकड़ी कार्य, छत परिष्करण से संबंधित उसके अधिभोग के अधीन अन्य विनिर्देशन निम्नलिखित हैं –

"**नींव** –

जैसा कि मेरे द्वारा स्पष्ट रूप से देखा गया है कि भवन पुराना है और इसकी नींव गीली मिट्टी/चूना पत्थर की चिनाई से बनी है जिसे परिष्कृत तल से लगभग दो फिट नीचे खुदाई करके पता किया गया है .....।

दीवारें –

अधिकृत आवास की दीवारें (बाईं और दाईं ओर) सीमेंट की चिनाई से 9 इंच मोटी ईंट से बनी हैं और अन्य दीवारें (विभाजन दीवार) भी 9 इंच तक मोटे ईंटों से बनी है जिस पर सीमेंट से प्लास्टर हुआ है ।

छत –

भूमि तल छत, पुराने आरसीसी स्लैब से बनी है जिसे

दुकान के आवासीय केन्द्र में 9 इंच ईंट पर रखे दो क्रास भारी छड़ों द्वारा सहारा दिया गया है जैसा कि इस रिपोर्ट के साथ संबद्ध फोटोग्राफ संख्या 4 में दर्शित है जिसमें पानी के रिसाव के धब्बे स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं ।

साधारण स्थिति –

जैसा कि मैंने अपनी रिपोर्ट में पूर्ववर्ती उल्लेख किया है कि भूमि तल का मूल ढांचा, पुराना भार सहन करने वाला ढांचा है । यदि एक व्यक्ति पुराने भार सहन करने वाले ढांचे पर एक अन्य तल बनाना चाहता है तो हम प्रथमतः उसे पुराने ढांचे को पूरी तरह नष्ट करके अपेक्षित कठोर स्तर के गहरे पत्थर के स्तंभ का संपत्ति के नीचे समुचित तौर आरसीसी का प्रयोग करते हुए भूमि तल से पुनः आरसीसी ढांचे का निर्माण करने की सलाह देते हैं । उसके बाद, भवन ढांचे के सभी स्तंभों को भूमि स्तर पर वीमों को सभी ओर से एक साथ बांधना होगा और उसके बाद स्वयं भूमि तल से छत स्तर के स्लैब डालने होंगे और इसी प्रकार, क्रमशः अगले तलों के लिए उलटे स्लैब लगाने होंगे । किन्तु, यहां इस मामले में, गुरुद्वारा सड़क की ओर से भूमि स्तर से ढांचा बनाने के लिए सीधे आरसीसी की अवधारणा को स्वीकार नहीं किया है । जिसे सामने की ओर से खींचे गए फोटोग्राफ संख्या 5, 6 और 8 द्वारा समझा जा सकता है और साथ ही आवास के अन्दर की ओर से, जिसे मैं इस प्रकार स्पष्ट कर सकता हूं कि इस निर्माण स्थल की ओर से अनैतिक रूप से भारी भूल हुई है अर्थात् –

1. भूमि स्तर पर भवन के अत्यधिक बाईं ओर ऐसा कोई स्तंभ नहीं है जो भूमि स्तर से निर्मित है और भवन के बाईं ओर में प्रथम तल पर यह दिखाई देता है कि भवन से सटे सामान्य ईंटों की दीवार के टांके से निर्मित हैं जो फोटोग्राफ संख्या 6, 9 और 10 से स्पष्टतः दर्शित होते हैं ।

2. उसके बाद, प्रथम तल के मध्य स्तंभ के प्रथम पंक्ति पैराग्राफ संख्या 9 और 11 में दर्शित है । यह प्रथम तल से भी निर्मित नहीं है बजाय इसके यह भूमि तल के पुराने स्लैब पर निर्मित है ।

3. उसके बाद, निर्मित भवन के प्रथम तल पर प्रथम पंक्ति के अत्यधिक दाईं ओर स्तंभ, भूमि तल स्तंभ दाहिने, ऊपर नहीं है जो 0.15 मीटर द्वारा प्रथम तल के साथ सीधा नहीं है । प्रथम तल के अत्यधिक बाईं और दाईं ओर स्तंभ पर स्तंभों की द्वितीय पंक्ति के परे भूमि तल से निर्मित हुए बिना भवन से सटे प्रथम तल की सामान्य दीवार के टांके द्वारा भी जुड़े हुए हैं ।

4. अत्यधिक जोखिमपूर्ण चीज यह है कि द्वितीय पंक्ति का मध्य स्तंभ भूमि स्तर से जुड़ा हुआ नहीं है, यह भी मात्र स्वयं भूमि तल के स्लैब पर निर्मित है जहां प्रथम तल और अन्य मंजिलों का अधिकतम भार भूमि तल के पुराने स्लैब पर आता है, जिससे इस पर बना सम्पूर्ण ढांचा अचानक ढह सकता है । अब तक यह 9 इंच मोटे ईंट की दीवार द्वारा प्रथम तल के सहारे ही है जिसे 12 इंच और 9 इंच स्टील की छड़ द्वारा भी सहारा दिया गया है जिसे एल आकार में 9 इंच मोटे ईंट की विभाजन दीवार पर भूमि स्तर पर मेरे मुवक्किल द्वारा उपलब्ध कराया गया है जो फोटोग्राफ संख्या 4 द्वारा स्पष्ट रूप से दिखाई देता है और प्रथम तल के सटे हुए स्तंभ के उसी द्वितीय पंक्ति में मात्र स्वयं प्रथम तल से सामान्य दीवार से सटे प्रथम तल के लिंटल के ऊपर भी निर्मित है । इसका अभिप्रायः यह है कि वे भी प्रथम तल पर निर्मित नहीं हुए हैं । अंत में, मेरा कहने का अभिप्रायः यह है कि मात्र इन भारी स्टील छड़ों और 9 इंच ईंटों की दीवार से स्वयं भूमि तल के

पुराने आरसीसी स्लैब का सम्पूर्ण भार को प्रथम तल के गलत तरीके से आरसीसी ढांचे के साथ ही सहारा दिया गया है । जैसा कि मैंने पूर्ववर्ती उल्लेख किया है, पालमपुर क्षेत्र, भूकंप क्षेत्र-V के अधीन आता है जो प्रथम तल के ढांचे पर होने वाले पुराने भार के साथ ही उस विशिष्ट क्षेत्रों के लिए इस पर गलत तरीके से निर्मित प्रथम तल के लिए वर्तमान में जोखिमपूर्ण होगा ।

मताभिव्यक्ति –

इस भवन की दशा और विनिर्दिष्टियों से यह भवन लगभग 40 वर्ष पुराना प्रतीत होता है । इस प्रकार यह भवन अपना सामान्य जीवनकाल व्यतीत कर चुका है । ऐसे भवन का भार सहन करने का जीवनकाल 40 से 50 वर्ष होता है, इसलिए सम्पूर्ण भवन को भूमि तल से पूरी तरह से नष्ट किया जाना अपेक्षित है और भूमि तल से सम्पूर्ण ढांचे को पूरी तरह से आरसीसी द्वारा निर्मित करने की सलाह दी जाती है क्योंकि सम्पूर्ण यूनिट में से एक यूनिट इस पर निर्मित करने के बजाय जैसे अभी तक भूमि तल के ऊपर गलत तरीके से निर्मित है जिससे इस भवन का आधिपत्य रखने वाले सभी संपत्ति स्वामियों/किराएदारों के साथ ही और निर्दोष सामान्य उपभोक्ताओं के लिए विनाशकारी हो सकता है ।"

20. अभियंता की पूर्वोक्त रिपोर्ट के विरोध में प्रतिवादियों ने सिविल अभियंता द्वारा जारी संरचनात्मक स्थायित्व प्रमाणपत्र का अवलंब लिया है, जो इस प्रकार है :–

"**विषय – संरचनात्मक स्थायित्व प्रमाणपत्र**

मैं/हम तद्द्वारा यह प्रमाणित करते हैं कि श्री/श्रीमती/सुश्री विक्रम सिंह द्वारा खसरा संख्या 1981, मौजा/वार्ड संख्या पालमपुर खास, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के ऊपर

प्रस्तावित भवन को मेरे/हमारे द्वारा प्राकृतिक जोखिमों के विरुद्ध जिसमें भूकंपरोधी संरक्षण सम्मिलित है, सामान्य संरचनात्मक सुरक्षा के लिए भारतीय मानक संहिता के अनुसार और मिट्टी की जांच करने के पश्चात् डिजाइन किया गया है । भवन संरचनात्मक रूप से सुरक्षित है ।"

21. इंजीनियरों के दो विभिन्न मत हैं । स्वीकृतः भूमि तल की संरचना भार सहन करने वाली संरचना है अर्थात् 9 इंच दीवारों पर लिंटल है जबकि प्रथम और द्वितीय तलों की संरचना का निर्माण ढांचागत संरचना के रूप में किया गया है अर्थात् स्तंभों/पिलरों पर किया गया है, इसलिए प्रस्तावित निर्माण के पूरा होने के स्थल पर हाईब्रिड संरचना अस्तित्व में आया है, जबकि आरसीसी संरचना स्तंभों पर प्रथम और द्वितीय तलों पर निर्मित होने हैं किन्तु भूमि तल से खड़े स्तंभों की मात्र एक पंक्ति के साथ हैं, जबकि अन्य दो पंक्तियां प्रथम तल के लिंटल से आरम्भ होती हैं । इन दोनों पंक्तियों में कुछ स्तंभ 9 इंची भार सहन करने वाली दीवारों पर निर्मित किए गए हैं जबकि कुछ स्तंभ स्वयं लिंटल पर निर्मित किए गए हैं । प्रथम तल की यह आरसीसी संरचना और प्रस्तावित द्वितीय तल, भूमि तल से निर्मित होने वाले स्तंभों की एक पंक्ति पर झूलने वाले तल की संरचना होना प्रतीत होता है । संरचनात्मक स्थायित्व प्रमाणपत्र के अनुसार, संरचना की यह डिजाइन, प्राकृतिक जोखिमों के विरुद्ध सामान्य संरक्षणात्मक सुरक्षा जिसमें भूकम्प से संरक्षण सम्मिलित है, भारतीय मानक संहिता के अनुसार और मिट्टी की जांच के पश्चात् किया गया है और इस प्रकार यह दावा किया गया है कि भवन संरचनात्मक रूप से सुरक्षित है । अनुमोदित और मंजूर नक्शा/संरचना न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था किन्तु अभिलेख पर नहीं रखा गया है । उस नक्शे में से यह प्रतीत होता है कि सभी स्तंभ भूमि तल से प्रस्तावित थे । जबकि तकनीकी रिपोर्ट में यह निष्कर्ष निकाला गया है कि कुछ पिलर 9 ईंच दीवारों पर खड़े किए गए हैं और कुछ लिंटल पर खड़े किए गए हैं और गलत तरीके से निर्मित हैं जिससे इस भवन का आधिपत्य रखने वाले

सभी संपत्ति स्वामियों/किराएदारों के साथ ही और निर्दोष सामान्य उपभोक्ताओं के लिए विनाशकारी हो सकता है ।

22. प्रत्येक स्वामी को स्वयं द्वारा धारित और कब्जे वाले भवन के भाग का उपभोग, मरम्मत, निर्माण या पुनःनिर्माण करने का हक होता है किन्तु न केवल अन्यों के जीवन और संपत्ति को जोखिम में डाल सकता है अपितु स्वयं और अपने कुटुम्ब को भी जोखिम में नहीं डाल सकता है । जहां एक ही भवन में विभिन्न विनिर्दिष्ट भागों के कई स्वामी हैं वहां संपत्ति के उपभोग की पूर्णता, मरम्मत कार्य करना और आगे निर्माण कार्य करना, देना और लेना के सिद्धांत पर सभी शेयरधारकों के फायदों को ध्यान में रखते हुए आपसी समझ और सहयोग पर निर्भर करेगा । उनमें से कुछ अधिक फायदा वाले हो सकते हैं और कुछ कम फायदे वाले हो सकते हैं । अन्यथा, पुरानी संरचना में या के ऊपर पुनःनिर्माण या आगे निर्माण कभी भी संभव नहीं होगा । जहां गतिरोध है वहां ऐसे विवाद्यकों पर विचार करने के लिए अधिनियमित किसी संविधि/नियमों के अभाव में, न्यायालय को साम्या, अन्तःकरण पर आधारित और तुलनात्मक क्षति/कठिनाई को ध्यान में रखते हुए, समुचित आदेश पारित करना होता है ।

23. वर्तमान मामले में, पक्षकारों ने असहयोग और एक दूसरे की हानि कारित होने के बारे में आरोप और प्रति-आरोप लगाए हैं । वर्तमान याचिका लम्बित रहने के दौरान सौहार्दपूर्ण समझौते की संभावना ढूंढने के लिए प्रयास किया गया था और पक्षकारों/पक्षकारों के प्रतिनिधियों ने भी क्रमशः अपने काउंसिल के माध्यम से भी बातचीत की थी और इस मुद्दे पर, यह प्रतीत होता है कि कुछ सौहार्दपूर्ण हल निकाले गए थे किन्तु अन्ततोगत्वा उस स्थल पर निर्माण करने की नवीनता के संबंध में गतिरोध हो गया था । प्रतिवादी संख्या 1 युक्तियुक्त समय के लिए वादी को दुकान खाली करने के लिए जगह और समय उपलब्ध कराने के अध्यधीन भूमि तल से सभी पिलरों/स्तंभों का निर्माण करने के लिए तैयार था किन्तु वादी, पहले ही लिंटल पड़ जाने की आशंका से और उस

तरीके से भी जिससे बीमों का निर्माण किया गया था और भूमि तल के ऊपर लिंटल डालते हुए निर्माण किया जाना प्रस्तावित था, अपनी दुकान की दीवारों में स्तंभों/पिलरों का निर्माण करने की मंजूरी के प्रति अपनी अभिव्यक्ति आरक्षित रखी थी जिसके उपरान्त प्रतिवादी संख्या 1 ने भी गतिरोध के परिणामस्वरूप विवादक/समस्या के सौहार्दपूर्ण हल की असंभाव्यता अभिव्यक्त की थी ।

24. वर्तमान मामले में, भवन में विभिन्न व्यक्तियों का स्वामित्व, भवन के अपार्टमेंटों के स्वामित्व के समान है । हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश में वैयक्तिक अपार्टमेंट का स्वामित्व उपलब्ध कराने और ऐसे अपार्टमेंट को आनुवंशिक और अन्तर्णीय सम्पत्ति बनाने के लिए हिमाचल प्रदेश अपार्टमेंट स्वामित्व अधिनियम, 1978 अधिनियमित किया है । किन्तु उक्त अधिनियम के उपबंध ऐसी परिस्थिति जैसी वर्तमान में है, पर विचार नहीं करता है । ऐसी परिस्थितियों में, विभिन्न व्यक्तियों के धृति और कब्जे में रहने वाले पुराने भवनों की मरम्मत करने के लिए बाध्य हैं । इसलिए, लोकहित में ऐसे हालातों पर विचार करने के लिए विधायन या नियम बनाने की आवश्यकता है ।

25. यह विवाद्यक हो सकता है कि किस मापंदड पर पुनर्निर्माण करना मंजूर किया जाएगा, स्वामियों के क्या अधिकार और कर्तव्य होंगे, कौन पुनःनिर्माण और निर्माण करेगा और किन निबंधनों पर, कौन निबंधनों का विनिश्चय करेगा, पक्षकारों के दावों और प्रतिदावों पर विचार करने के लिए क्या मशीनरी होगी, किस आधार पर, पुनर्निर्माण/निर्माण की आवश्यकता अवधारित की जाएगी और कौन करेगा । इसलिए, ऐसे सभी विवाद्यकों पर विचार करने के लिए अधिनियम/नियम बनाने की यथाशीघ्र आवश्यकता है ।

26. चूंकि, लम्बे समय से हिमाचल प्रदेश में भी देश के अन्य भागों की तरह भवन, फ्लैट्स, लिंटल या तलों के भागों के विक्रय और क्रय करने के व्यवसाय विकसित हुए हैं । ऐसे फ्लैट्सों/लिंटलों/तलों में अन्तर्विष्ट भवन कुछ अपवादों के साथ आरसीसी निर्मित हैं । यह सुज्ञात है कि आरसीसी संरचना, ऐसे निर्माणों के लिए प्रयुक्त सीमेंट और छड़ों

की मजबूती पर निर्भर करते हैं जिनकी सीमित जीवनकाल लगभग 40 से 100 वर्ष के बीच होती है । ऐसे मामले हो सकते हैं जहां सम्पूर्ण भवन के विभिन्न भागों और ऐसे भवन के एक विनिर्दिष्ट भाग/तल को विभिन्न व्यक्तियों को विक्रय किया गया हो किन्तु सम्पूर्ण भवन या सभी तलों का विक्रय नहीं किया गया हो, किसी कारण से अतिशीघ्र क्षय हो सकता है और उसके मरम्मत या पुनर्निर्माण करने के लिए, एक अन्य व्यक्ति द्वारा धारित अन्य भाग में निर्माण कार्य करने या कुछ परिवर्तन, आधुनिकीकरण या मरम्मत करने की आवश्यकता हो सकती है जो अपने भाग को अच्छी दशा में रखने के लिए, अपने भाग में मरम्मत/पुनर्निर्माण/निर्माण कार्य करने के लिए नहीं सोच सकता है या सहमत नहीं हो सकता है और वह अपने ऊपर अतिरिक्त भार या न्यूसेंस के रूप में विचार कर सकता है और इससे पक्षकारों के बीच गतिरोध हो सकता है, किन्तु, सुनिश्चित तौर पर उससे उस व्यक्ति को हानि कारित हो सकती है जिसे वस्तुतः अपने भाग की मरम्मत/पुनर्निर्माण करने की आवश्यकता है । ऐसा मामला हो सकता है जहां सभी फ्लैटों/तलों में से मात्र कुछ फ्लैटों/तलों का विक्रय किया जा सके और शेष फ्लैटों/तलें स्वामी/बिल्डर/डवलेपर के ही पास रह जाएं और इसी बीच में किसी कारण से उनकी मरम्मत/पुनर्निर्माण की आवश्यकता हो सकती है या उनके पुनर्निर्माण की अपेक्षा के किसी कारण से भवन असुरक्षित हो सकता है, ऐसे हालातों में, कैसे और किस तरीके से ऐसी परिस्थितियों का समाधान किया जा सकता है, कौन ऐसी मरम्मत/पुनर्निर्माण करने के लिए प्रतिफल की कितने रकम का उत्तरदायी होगा, ऐसी परिस्थितियों का समाधान करने के लिए किसी मानक या मशीनरी या नियमों के अभाव में सुनिश्चित करना कठिन होगा । एक उदाहरण हो सकता है जहां किसी भाग का एक स्वामी भवन को असुरक्षित मान सकता है जबकि एक अन्य स्वामी उसे सुरक्षित मान सकता है और दोनों जैसे वर्तमान मामले में है, यह प्रमाणपत्र लेने में समर्थ हो सकते हैं कि भवन सुरक्षित घोषित किया जाए और दूसरा असुरक्षित घोषित किया जाए । ऐसी परिस्थितियों पर विचार करने के लिए अंतिम निर्धारक प्राधिकारी कौन होगा । ऐसे विवाद्यकों का भी नियमों/विधायन अधिनियमित करते हुए विनियमित किया जाना अपेक्षित है । ये कुछ उदाहरण हैं जो मामले

की सुनवाई के दौरान उद्भूत हुए हैं । संरचना अभियंता/वास्तुविद भवन निर्माण के क्षेत्र में मान्यताप्राप्त है और कार्य करते हैं जो ऐसे विवाद्यकों का बड़े पैमाने पर सामना कर सकते हैं जिसके संबंध में कोई विधि या नियम अस्तित्व में नहीं है । इसलिए, मेरा यह सुविचारित मत है कि सरकार को इस एवज में कदम उठाने चाहिए और बड़े पैमाने पर लोकहित में, पूर्वोक्त परिस्थितियों जैसी यह परिस्थिति है, पर विचार करने के लिए उपयुक्त विधि/नियम प्रस्तावित करने के लिए अत्यधिक अनुभवी वास्तुविदों/संरचना इंजीनियरों और विधिक विद्वानों की एक समिति गठित करनी चाहिए और न्यायालयों में अनावश्यक मुकदमेबाजी और अनावश्यक भार डालने से भी बचना चाहिए । हिमाचल प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव को यह निर्देश दिया जाता है कि वह आज से छह माह के भीतर पूर्वोक्त क्षेत्र में आवश्यक विधायन या नियम विरचित कराना सुनिश्चित करें ।

27. वर्तमान मामले में, विशेषज्ञ राय में विरोधाभाष को देखते हुए और निर्माण करने के लिए आधुनिकता का विनिश्चय करने के लिए भी जैसा नगर परिषद् (अब नगर निगम) द्वारा अनुमोदित है, मेरा यह मत है कि तीन सदस्यों की समिति जो एचपीपीडब्ल्यूडी, खंड पालमपुर के कार्यपालक अभियंता और दो अन्य विशेषज्ञ सदस्यों/इंजीनियरों से गठित हो, जिनमें से प्रत्येक वादी और प्रतिवादियों द्वारा नाम-निर्देशित किया जाए, विशेषज्ञ राय लेना समुचित होगा जो मौजूद और प्रस्तावित भवन की सुरक्षा के संबंध में, जिसमें स्थल पर प्रस्तावित या अध्यधीन हाई ब्रिड निर्माण की संरचना स्थायित्व सम्मिलित है, पक्षकारों के दावों और प्रतिदावों की परीक्षा करेगा और सभी द्वारा संपत्ति का उपभोग करने के लिए सभी की सुरक्षा के साथ स्थल पर संभाव्य और अनुज्ञेय स्थायित्व संरचना के समुचित प्रकार का सुझाव देगा और उस प्रकार और तरीके का भी सुझाव देगा, जिसमें सुरक्षा और स्थायित्व संरचना समेकित समय में पूरा किया जा सके और वादी द्वारा धारित और कब्जे वाले दुकान के क्षेत्र में ऐसे निर्माण कार्य करने के लिए लागत खर्च किया जा सके, इस विनिर्दिष्ट निष्कर्ष के साथ कि क्या पिलर/स्तंभ का निर्माण पर्याप्त होगा या लिंटल को बदलने की आवश्यकता होगी और कैसे और किस तरीके

से बीम दुकान के ऊपर प्रथम तल के लिंटल का भार सहन करेगा और क्या भूमि स्तर पर टाई-बीमों के साथ पिलर/स्तंभ की आवश्यकता होगी या नहीं । विशेषज्ञ समिति को विधि के अधीन अनुज्ञेय और सुरक्षित और स्थायी हल के लिए आवश्यक निर्माण के सभी संभाव्य तरीकों के साथ संदर्भित विवाद्यक पर विचार करते हुए हल निकालने के लिए व्यापक तकनीकी रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया । पक्षकारों द्वारा नामनिर्देशित दोनों प्राइवेट विशेषज्ञ सदस्यों का शुल्क क्रमशः उनके द्वारा संदत्त किया जाएगा, जबकि एचपीपीडब्ल्यूडी के कार्यपालक अभियंता को प्रत्येक वादी और प्रतिवादियों द्वारा 15-15 हजार रुपए कुल 30 हजार रुपए संदत्त किया जाएगा । विशेषज्ञ समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट विचारण न्यायालय के समक्ष, यह आदेश पारित किए जाने के 15 दिनों के पश्चात् इस फाइल के अभिलेख पर रखने के लिए हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के महारजिस्ट्रार को प्रति पृष्ठांकित करने के साथ विचारण न्यायालय द्वारा नियत तारीख को या पूर्व प्रस्तुत किया जाएगा ।

28. उपर्युक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, विद्वान् अपर जिला न्यायाधीश, कांगड़ा, धर्मशाला द्वारा पारित तारीख 18 सितम्बर, 2017 का आक्षेपित आदेश अपास्त किया जाता है । विचारण न्यायालय द्वारा पारित तारीख 21 मार्च, 2016 के आदेश में समनुदेशित कारण भी कायम रखे जाने योग्य नहीं हैं, और इस प्रकार, इसे भी अपास्त किया जाता है । तथापि, जब तक विचारण न्यायालय द्वारा आगे कोई आदेश पारित नहीं किया जाता है तब तक पक्षकारों को खसरा संख्या 1981 में समाविष्ट वाद संपत्ति की प्रकृति, कब्जा, अन्यसंक्रामण और निर्माण के बारे में यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया जाता है ।

29. पक्षकारों को उनके द्वारा नामनिर्देशित की जाने वाली समिति के विशेषज्ञ सदस्यों के नाम और विवरणों के साथ तारीख 17 फरवरी, 2022 को विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है । इसके पश्चात्, विचारण न्यायालय 15 दिनों के भीतर समिति को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश देते हुए आदेश पारित करेगा

और रिपोर्ट प्राप्त करने के पश्चात्, विचारण न्यायालय, समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करते हुए, विधि के अनुसरण में आगे कार्यवाही करेगा ।

30. यदि विशेषज्ञ समिति भूमि तल से भवन के पिलरों/स्तंभों का निर्माण करना प्रस्तावित करती है तो वादी को उनका निर्माण करने के लिए जगह उपलब्ध करानी होगी, जिसे विशेषज्ञ समिति ऐसे पिलरों/स्तंभों/बीमों/टाईं-बीमों का निर्माण करने के लिए आवश्यक समझती है उसे युक्तियुक्त अवधि के भीतर पूरा करना होगा और यदि पूर्ववर्ती ढांचे को नष्ट करते हुए ऐसे पिलरों/स्तंभों पर नए लिंटल डाले जाने हैं तो वादी के साथ ही प्रतिवादियों को विशेषज्ञ समिति द्वारा प्रस्तावित खर्चे के हिस्से वहन करने होंगे । प्रस्तावित निर्माण पूरा करने के लिए आधुनिकीकरण भी या तो पक्षकारों की सहमति से या अन्यथा विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट प्राप्त करने के पश्चात् पक्षकारों की विरोधी दलीलों को सुनने के पश्चात् विचारण न्यायालय द्वारा अवधारित किया जाएगा और वाद लम्बित रहने के दौरान निर्माण करने की अनुज्ञा मंजूर करने या इनकार करने के संबंध में समुचित आदेश पारित करेगा ।

31. इस आदेश की प्रति, सूचना और अनुपालन के लिए कार्यपालक अभियंता, एचपीपीडब्ल्यूडी खंड, पालमपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश को भेजी जाए ।

32. इस आदेश की प्रति, पैरा 21 से 26 के निबंधनों का अनुपालन करने के लिए मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार को भेजी जाए ।

याचिका निपटाई जाती है, इसके साथ ही लम्बित आवेदन भी निपटाए जाते हैं ।

याचिका निपटाई गई ।

क.

स्वीटी उर्फ **सविता**

बनाम

तरूण साहनी और अन्य

[2021 की सिविल प्रकीर्ण याचिका मुख्य (मूल) संख्या 331]

तारीख 7 जनवरी, 2022

न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर

संविधान, 1950 – अनुच्छेद 227 [सपठित सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 का आदेश 1 का नियम 10] – रिट याचिका – विवादित संपत्ति में याची द्वारा सह-स्वामी के रूप में सिद्ध नहीं किया जाना – याची और किराएदारों के बीच दुरभिसंधि – ताकि संपत्ति के असली स्वामियों के दावे को विफल किया जा सके – याचिका में, याची द्वारा पक्षकार के रूप में अभिवाचित किए जाने की प्रार्थना खारिज होना – प्रार्थना नामंजूर होना – यदि अभिलेख पर यह सिद्ध कर दिया जाता है कि याची ने विवादित संपत्ति में, असली स्वामियों के दावे को विफल करने के लिए किराएदारों के साथ दुरभिसंधि करके याचिका फाइल की है कि उसे भी विवादित संपत्ति में सह-स्वामी के रूप में अभिवाचित किया जाए तो उसकी याचिका खारिज किए जाने योग्य है क्योंकि यह याचिका न्याय को विफल करने के लिए फाइल की गई है ।

वर्तमान याचिका किराया नियंत्रक, सोलन, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश द्वारा 2007 की किराया याचिका संख्या 22/2, शीर्षक तरूण साहनी और अन्य बनाम मनमोहन साहनी और एक अन्य वाले मामले में पारित तारीख 20 अक्तूबर, 2021 के आक्षेपित आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है जिसके द्वारा याची और प्रत्यर्थी संख्या 7 – हरीश आनन्द द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (जिसे संक्षेप में सीपीसी कहा गया है) के आदेश 1, नियम 10 के अधीन उन्हें किराया याचिका में याचियों के रूप में अभिवाचित करने के लिए प्रस्तुत आवेदन को खारिज कर दिया गया था । उच्च न्यायालय द्वारा याचिका खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – एक सह-स्वामी अन्यों के साथ स्वतंत्र तौर पर या संयुक्त रूप से किराया याचिका फाइल कर सकता है किन्तु यदि वह स्वतंत्र तौर पर एक बेदखली की याचिका प्रस्तुत करता है तो अन्य सह-स्वामी भी मकान-मालिक होने के नाते किराया नियंत्रक द्वारा पारित आदेश का फायदा पाने के हकदार होंगे, यदि वे किराया याचिका के संदर्भ में संपत्ति में अपना सह-स्वामित्व और हक सिद्ध करने में सफल होते हैं । उक्त विवाद्यक, किराया याचिका में स्वतंत्र रूप से विनिश्चित किया जा सकता था, विशिष्टतया तब जब व्यक्ति सह-स्वामियों के रूप में स्वयं को दावा करते हुए लगभग 12 वर्ष की लम्बी अवधि तक अत्यधिक अस्पष्टीकृत रूप से सो रहे थे । संदर्भित संपत्ति के असली स्वामियों के दावे को विफल करने के अनुक्रम में किराएदारों (प्रत्यर्थी संख्या 5 और 6) और आवेदकों (याची और प्रत्यर्थी संख्या 7) के बीच दुरभिसंधि अभिलेख पर प्रस्तुत सामग्री से सीधे-सीधे प्रकट होती है । अभिलेखों के परिशीलन से यह प्रकट होता है कि सावन शाह साहनी, तीरथ राम, भगत राम सगे भाई थे और वे वर्ष 1992-1993 के लिए जमाबंदी के अनुसार संदर्भित दुकान के संयुक्त स्वामी थे और सावन शाह साहनी की मृत्यु के पश्चात्, दुकान में अपने 1/3 हिस्से को उसके पुत्रों और पुत्रियों अर्थात् गिरधारी लाल, मनमोहन, राजपाल, बाल कृशन, ऊषा, पम्मी, शम्मी और स्वीटी ने उत्तराधिकार में प्राप्त किया था और तारीख 30 नवम्बर, 1998 के नामांतरण संख्या 535 द्वारा उस प्रभाव का अनुप्रमाणन हुआ था । उसके बाद, कुटुम्ब व्यवस्थापन के अनुसार, इस दुकान को मकान-मालिक – प्रत्यर्थियों को दिया गया था जो स्वर्गीय भगत राम (सावन शाह साहनी का भाई) की पत्नी, पुत्र और पुत्री हैं । कुटुम्ब व्यवस्थापन के आधार पर, यह दुकान उनके हिस्से में आयी थी और तारीख 13 जून, 2005 के नामांतरण संख्या 1272 सह-स्वामियों की उपस्थिति में उनके पक्ष में अनुप्रमाणित हुआ था जिनमें याची भी सम्मिलित हैं । नवीनतम राजस्व अभिलेख के अनुसार, मकान-मालिक – प्रत्यर्थी, किराया याचिका में संदर्भित परिसरों के अनन्य स्वामी है । यद्यपि, यह दावा किया गया है कि उक्त नामांतरण को याची और अन्यों द्वारा चुनौती दी गई है किन्तु यह एक तथ्य है कि आज की तारीख तक यह अपास्त नहीं हुआ है । नवीनतम राजस्व अभिलेख के आधार पर, मकान-मालिक – प्रत्यर्थी, संदर्भित परिसरों के

अनन्य स्वामी होने के नाते स्वतंत्र रूप से किराया याचिका कायम रखने के हकदार हैं । यदि सिविल न्यायालय यह निष्कर्ष निकालता है कि याची और प्रत्यर्थी संख्या 7 भी संपत्ति के सह-स्वामी हैं और किराए के हकदार हैं तो याची द्वारा प्रस्तुत वाद में वसूली के लिए समुचित डिक्री पारित की जा सकती है । किन्तु, अभिलेख पर वर्तमान स्थिति के आधार पर मकान-मालिक – प्रत्यर्थी संदर्भित संपत्ति के मात्र स्वामी हैं । यह भी उल्लेखनीय है कि प्रत्यर्थी संख्या 5 और 6 – किराएदारों ने भी स्वयं को संदर्भित संपत्ति में सह-स्वामी होने का दावा कर रहे हैं और वे उनके और मकान-मालिक – प्रत्यर्थियों के बीच किराएदार और मकान-मालिक के रूप में अपनी प्रास्थिति से इनकार कर रहे हैं और ऐसे अभिवचनों के आधार पर विवादक भी विरचित किए गए हैं और मामला दलीलों की अंतिम सुनवाई की स्थिति में है । पूर्वोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय की यह सुविचारित राय है कि इस प्रक्रम पर याची और प्रत्यर्थी संख्या 7 के दावे को यह सिद्ध करने के लिए अभिलेख पर कुछ नहीं है कि वे किराया याचिका में संदर्भित संपत्ति के सह-स्वामी हैं और प्रत्यर्थी संख्या 5 और 6 (किराएदारों) का आधार भी वही है जो याची और प्रत्यर्थी संख्या 7 का है जिससे यह दर्शित होता है कि याची और प्रत्यर्थी संख्या 7 ने किराएदारों – प्रत्यर्थी संख्या 5 और 6 की उत्प्रेरणा पर बेदखली की कार्यवाहियों को विलम्ब करने के अनुक्रम में कार्यवाहियों में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं । किसी भी दशा में, याची और प्रत्यर्थी संख्या 7 द्वारा उद्भूत विवाद्यक, किराया याचिका में अपने उत्तर में किराएदारों – प्रत्यर्थी संख्या 5 और 6 द्वारा किए गए अभिवाक् में बेदखली याचिका में पहले से ही विवाद्यक बिन्दु है और तद्नुसार, न्यायालय किराया नियंत्रक द्वारा पारित आक्षेपित आदेश में कोई कमी, अवैधता, अनियमितता और प्रतिकूलता नहीं पाता है, जिससे कि इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप अपेक्षित हो । (पैरा 13, 14, 15 और 16)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2010]	2010 की सी. आर. संख्या 136 :	
	श्री विनोद उर्फ **राजा** बनाम **श्रीमती जोगिन्दर कौर** ।	9

रिट (सिविल) अधिकारिता : 2021 की सिविल प्रकीर्ण याचिका मुख्य (मूल) संख्या 331.

संविधान, 1950 के अनुच्छेद 227 के अधीन रिट याचिका ।

याची की ओर से सर्वश्री विरेन्दर सिंह चौहान, ज्येष्ठ अधिवक्ता के साथ प्राणशूल शर्मा, अधिवक्ता

प्रत्यर्थियों की ओर से सर्वश्री सुधीर ठाकुर, ज्येष्ठ अधिवक्ता के साथ अंकुश वर्मा, अधिवक्ता, दलीप शर्मा, अधिवक्ता और राहुल चौहान, अधिवक्ता

न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर – वर्तमान याचिका, किराया नियंत्रक, सोलन, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश द्वारा 2007 की किराया याचिका संख्या 22/2, शीर्षक तरूण साहनी और अन्य बनाम मनमोहन साहनी और एक अन्य वाले मामले में पारित तारीख 20 अक्तूबर, 2021 के आक्षेपित आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है जिसके द्वारा याची और प्रत्यर्थी संख्या 7 – हरीश आनन्द द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (जिसे संक्षेप में सीपीसी कहा गया है) के आदेश 1, नियम 10 के अधीन उन्हें किराया याचिका में याचियों के रूप में अभिवाचित करने के लिए प्रस्तुत आवेदन को खारिज कर दिया गया था ।

2. मैंने, पक्षकारों के विद्वान् काउंसेल को सुना और मेरे समक्ष प्रस्तुत सामग्रियों का परिशीलन किया ।

3. प्रत्यर्थी संख्या 1 से 4 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मकान मालिकों/प्रत्यर्थियों के रूप में कहा गया है) ने किराया याचिका के संदर्भ में किराएदारों मनमोहन साहनी और बाल कृशन साहनी (प्रत्यर्थी सं. 5 और 6) पुत्र स्वर्गीय श्री सावन शाह साहनी (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'किराएदार' के रूप में कहा गया है) द्वारा परिसरों के बकायों के असंदाय और क्षति पहुंचाने के कारण परिसरों को खाली कराने के लिए किराया फाइल किया था ।

4. रिट याचिका अपने अग्रिम प्रक्रम पर है, जिसमें तर्कों की सुनवाई करने के पश्चात् अंतिम आदेश घोषित किया जाना है । याची स्वीटी, किराएदारों मनमोहन साहनी और बाल कृशन साहनी की सगी बहन है । प्रत्यर्थी संख्या 7 हरिश आनन्द, ऊषा का पुत्र है । ऊषा भी याची और किराएदारों प्रत्यर्थी सं. 5 और 6 की सगी बहन है । याची ने प्रत्यर्थी संख्या 7 हरिश आनन्द के साथ यह दावा किया है कि वे प्रश्नगत परिसरों में अधिकार के लिए याचियो के रूप में अभिवाचित किए जाने के हकदार हैं । क्योंकि सह-स्वामियों के रूप में, वे भी प्रश्नगत परिसरों के किराए के साथ ही बकाया किरायों को प्राप्त करने के हकदार हैं । प्रश्नगत परिसर, खसरा संख्या 249, अपर बाजार, मौजा लोअर बाजार, सोलन में स्थित है ।

5. याची और प्रत्यर्थी संख्या 7 का दावा वर्ष 1992-1993 के लिए जमाबंदी में प्रविष्टियों (उपाबंध पी-4) पर आधारित है, जिसमें सावन शाह साहनी, याची का पिता, साथ ही किराएदारों प्रत्यर्थी सं. 5 और 6 को अपने भाइयों भगत राम (मकान मालिकों-प्रत्यर्थियों का पिता) और तीरथ राम के साथ खसरा संख्या 249 में सह-स्वामियों के रूप में दर्शित किए गए हैं ।

6. याची द्वारा तारीख 30 नवम्बर, 1998 के नामांतरण संख्या 535 का भी अवलंब लिया गया है, जिसके द्वारा तारीख 22 जुलाई, 1997 को सावन शाह की मृत्यु के पश्चात् खसरा संख्या 249/33 में समाविष्ट भूमि पर स्थित दुकान में 1/3 हिस्से का स्वामित्व सावन शाह साहनी के बच्चों अर्थात् गिरधारी लाल, मनमोहन, राजपाल और बाल कृशन (सभी पुत्र) और ऊषा, पम्मी, शम्मी और स्वीटी (सभी पुत्री) के पक्ष में अन्तरित हुआ था और शेष बचे 2/3 हिस्से का स्वामित्व भगत राम और तीरथ राम के स्वामित्व में अन्तरित हुआ था ।

7. मकान-मालिकों और प्रत्यर्थियों ने तारीख 13 जून, 2005 के नामांतरण संख्या 1272 के आधार पर प्रश्नगत दुकान के अनन्य स्वामी होने के रूप में स्वयं दावा किया है, जिसके आधार पर सभी शेयरधारकों की उपस्थिति में कुटुम्ब विभाजन (खानगी टकसीम) हुआ था । खसरा

संख्या 249/33 में समाविष्ट दुकान मकान-मालिक – प्रत्यर्थियों अर्थात् तरूण, राजेश, दोनों पुत्र और किरन पुत्री और राजकुमारी (स्वर्गीय भगत राम की पत्नी) के पक्ष में अन्तरित हुआ था ।

8. याची और प्रत्यर्थी संख्या 7 का दावा यह है कि सह-स्वामी होने के नाते वे भी बकाया किरायों के लिए हकदार हैं और यदि उन्हें किराया याचिका में याचियों के रूप में जोड़ा नहीं जाता है तो बकाया किराया की वसूली के लिए, जिसके लिए वे भी हकदार हैं वे पृथक् वाद फाइल करेंगे और इसलिए, किराया याचिका में उन्हें पक्षकार नहीं बनाए जाने के परिणामस्वरूप कई मुकदमें हो जाएंगे । याची की ओर से यह भी कथन किया गया है कि नामांतरण संख्या 1272 को मकान-मालिकों – प्रत्यर्थियों के विरुद्ध सिविल वाद फाइल करते हुए, याची द्वारा आक्षेपित किया गया है जिसमें मकान-मालिकों – प्रत्यर्थियों के पक्ष में एकपक्षीय रूप से कार्यवाही की गई है और इसलिए, नामांतरण संख्या 1272 के आधार पर दावाकृत मकान-मालिकों - प्रत्यर्थियों का अधिकार विचाराधीन है और इसलिए वे प्रश्नगत परिसरों के पूर्ण स्वामी होना नहीं कह सकते हैं, इसके बजाय वे याची और अन्यों के साथ सह-स्वामी हैं और इसलिए, याची और प्रत्यर्थी संख्या 7 द्वारा फाइल आवेदन नामंजूर करना कायम रखे जाने योग्य नहीं है और ऐसा करते हुए, किराया नियंत्रक ने अवैधता और तात्विक अनियमितता कारित की है ।

9. मकान-मालिक – प्रत्यर्थियों के विद्वान् काउंसेल ने यह निवेदन किया है कि वर्तमान याचिका, भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के अधीन प्रस्तुत की गई है जो शीर्षक **श्री विनोद** उर्फ **राजा** बनाम **श्रीमती जोगिन्दर कौर**[1] वाले मामले में, इस न्यायालय के पूर्ण न्यायपीठ द्वारा पारित तारीख 5 जुलाई, 2012 के निर्णय को ध्यान में रखते हुए, कायम रखे जाने योग्य नहीं है, जिसके द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया है कि कोई व्यक्ति जो किसी आदेश द्वारा व्यथित है जिसे हिमाचल प्रदेश शहरी किराया नियंत्रण अधिनियम, 1987 (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'अधिनियम' कहा गया है) की धारा 24(1) के अधीन उपचार उपलब्ध

[1] 2010 की सी. आर. संख्या 136.

नहीं है, वह सीपीसी के अनुसार, अपील प्रस्तुत कर सकता है और इसलिए, याची के पास 2010 की सी. आर. संख्या 136 में पूर्ण न्यायपीठ की अधिमत के अनुसरण में अपील फाइल करने का उपचार उपलब्ध था और इसलिए, याचिका खारिज किए जाने योग्य है ।

10. मकान-मालिक – प्रत्यर्थियों के विद्वान् काउंसेल ने अधिनियम की धारा 21 के अधीन मकान-मालिकों – प्रत्यर्थियों के विरुद्ध किराया जमा करने के लिए प्रत्यर्थी संख्या 5 और 6 (किराएदारों) द्वारा फाइल याचिका की फोटोप्रति भी प्रस्तुत की है, जिसमें यह कथन किया गया है कि याची द्वारा सम्यक् प्रयास करने के बावजूद मकान-मालिकों - प्रत्यर्थियों ने किराया स्वीकार नहीं किया है । उन्होंने यह भी निवेदन किया है कि यदि मकान-मालिक – प्रत्यर्थी, मकान-मालिक नहीं हैं तो किराएदार प्रत्यर्थी संख्या 5 और 6 के लिए उनके विरुद्ध अधिनियम की धारा 21 के अधीन आवेदन फाइल करने का कोई अवसर नहीं था और यह भी कि यदि याची और प्रत्यर्थी संख्या 7 भी मकान-मालिक थे और हैं तो किराएदार प्रत्यर्थी संख्या 5 और 6 उन्हें भी अधिनियम की धारा 21 के अधीन फाइल आवेदन में प्रत्यर्थियों के रूप में सूचिबद्ध करते और/या याची और/या प्रत्यर्थी संख्या 7 को किराए का संदाय करते जो और कोई नहीं है अपितु किराएदार प्रत्यर्थी संख्या 5 और 6 की सगी बहन का पुत्र है ।

11. मकान-मालिकों – प्रत्यर्थियों की ओर से यह भी दलील दी गई है कि मकान-मालिकों – प्रत्यर्थियों ने या तो एकल रूप से या संयुक्त रूप से अन्य व्यक्तियों के साथ मकान-मालिक की हैसियत का दावा किया है जो भवन के संबंध में किराया प्राप्त करने के हदार हैं, जो अन्य सह-स्वामियों को जोड़े बिना भी किराया याचिका फाइल करने और कायम रखने के हकदार हैं और किराया या किराया बकाए के संबंध में, यदि कोई हो, मकान-मालिकों – प्रत्यर्थियों के बीच पृथक् स्वतंत्र कार्यवाहियों में विनिश्चित और अवधारित किया जाना है, जो समुचित सिविल वाद हो सकता है किन्तु न कि किराएदार की बेदखली के लिए एक या अधिक सह-स्वामियों द्वारा फाइल किराया याचिका ।

12. मकान-मालिकों – प्रत्यर्थियों की ओर से यह भी दलील दी गई है कि याची, किराएदारों मनमोहन साहनी, बाल कृषन साहनी की सगी बहन है और प्रत्यर्थी संख्या 7 – हरिश आनन्द उसका भतीजा है, जो किराएदारों मनमोहन साहनी और बाल कृषन साहनी की एक अन्य बहन का पुत्र है और उन्होंने मूल स्वामियों/मकान-मालिकों – प्रत्यर्थियों के दावे और अधिकार को विफल करने के अनुक्रम में किराया याचिका को लम्बा खींचने के आशय मात्र से ही आवेदन फाइल किया है । यह भी कथन किया गया है कि किराया याचिका वर्ष 2007 से लम्बित है और 12 वर्ष की अवधि के पश्चात् अचानक किराएदारों की बहन और बहन का पुत्र उपस्थित होते हैं, यह दावा करते हुए कि वे भी प्रश्नगत परिसरों के सह-स्वामी हैं और यह भी कि यद्यपि उन्हें प्रश्नगत परिसरों के सह-स्वामी के रूप में विचार किया जाता है, वे इस प्रक्रम पर, पक्षकार के रूप में अभिवाचित होने के हकदार नहीं हैं और उनके द्वारा किया गया कोई दावा, उनके द्वारा पहले से ही फाइल वाद में विनिश्चित और अवधारित किया जा सकता है ।

13. एक सह-स्वामी अन्यों के साथ स्वतंत्र तौर पर या संयुक्त रूप से किराया याचिका फाइल कर सकता है किन्तु यदि वह स्वतंत्र तौर पर एक बेदखली की याचिका प्रस्तुत करता है तो अन्य सह-स्वामी भी मकान-मालिक होने के नाते किराया नियंत्रक द्वारा पारित आदेश का फायदा पाने के हकदार होंगे, यदि वे किराया याचिका के संदर्भ में संपत्ति में अपना सह-स्वामित्व और हक सिद्ध करने में सफल होते हैं । उक्त विवाद्यक, किराया याचिका में स्वतंत्र रूप से विनिश्चित किया जा सकता था, विशिष्टतया तब जब व्यक्ति सह-स्वामियों के रूप में स्वयं को दावा करते हुए लगभग 12 वर्ष की लम्बी अवधि तक अत्यधिक अस्पष्टीकृत रूप से सो रहे थे । संदर्भित संपत्ति के असली स्वामियों के दावे को विफल करने के अनुक्रम में किराएदारों (प्रत्यर्थी संख्या 5 और 6) और आवेदकों (याची और प्रत्यर्थी संख्या 7) के बीच दुरभिसंधि अभिलेख पर प्रस्तुत सामग्री से सीधे-सीधे प्रकट होती है ।

14. अभिलेखों के परिशीलन से यह प्रकट होता है कि सावन शाह साहनी, तीरथ राम, भगत राम सगे भाई थे और वे वर्ष 1992-1993 के

लिए जमाबंदी के अनुसार संदर्भित दुकान के संयुक्त स्वामी थे और सावन शाह साहनी की मृत्यु के पश्चात्, दुकान में अपने 1/3 हिस्से को उसके पुत्रों और पुत्रियों अर्थात् गिरधारी लाल, मनमोहन, राजपाल, बाल कृशन, ऊषा, पम्मी, शम्मी और स्वीटी ने उत्तराधिकार में प्राप्त किया था और तारीख 30 नवम्बर, 1998 के नामांतरण संख्या 535 द्वारा उस प्रभाव का अनुप्रमाणन हुआ था । उसके बाद, कुटुम्ब व्यवस्थापन के अनुसार, इस दुकान को मकान-मालिक – प्रत्यर्थियों को दिया गया था जो स्वर्गीय भगत राम (सावन शाह साहनी का भाई) की पत्नी, पुत्र और पुत्री हैं । कुटुम्ब व्यवस्थापन के आधार पर, यह दुकान उनके हिस्से में आई थी और तारीख 13 जून, 2005 के नामांतरण संख्या 1272 सह-स्वामियों की उपस्थिति में उनके पक्ष में अनुप्रमाणित हुआ था जिनमें याची भी सम्मिलित हैं । नवीनतम राजस्व अभिलेख के अनुसार, मकान-मालिक – प्रत्यर्थी, किराया याचिका में संदर्भित परिसरों के अनन्य स्वामी हैं । यद्यपि, यह दावा किया गया है कि उक्त नामांतरण को याची और अन्यों द्वारा चुनौती दी गई है किन्तु यह एक तथ्य है कि आज की तारीख तक यह अपास्त नहीं हुआ है । नवीनतम राजस्व अभिलेख के आधार पर, मकान-मालिक – प्रत्यर्थी, संदर्भित परिसरों के अनन्य स्वामी होने के नाते स्वतंत्र रूप से किराया याचिका कायम रखने के हकदार हैं ।

15. यदि सिविल न्यायालय यह निष्कर्ष निकालता है कि याची और प्रत्यर्थी संख्या 7 भी संपत्ति के सह-स्वामी हैं और किराए के हकदार हैं तो याची द्वारा प्रस्तुत वाद में वसूली के लिए समुचित डिक्री पारित की जा सकती है । किन्तु, अभिलेख पर वर्तमान स्थिति के आधार पर मकान-मालिक – प्रत्यर्थी संदर्भित संपत्ति के मात्र स्वामी हैं । यह भी उल्लेखनीय है कि प्रत्यर्थी संख्या 5 और 6 – किराएदारों ने भी स्वयं को संदर्भित संपत्ति में सह-स्वामी होने का दावा कर रहे हैं और वे उनके और मकान-मालिक – प्रत्यर्थियों के बीच किराएदार और मकान-मालिक के रूप में अपनी प्रास्थिति से इनकार कर रहे हैं और ऐसे अभिवचनों के आधार पर विवादक भी विरचित किए गए हैं और मामला दलीलों की अंतिम सुनवाई की स्थिति में है ।

16. पूर्वोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मेरी यह सुविचारित राय है कि इस प्रक्रम पर याची और प्रत्यर्थी संख्या 7 के दावे को यह सिद्ध करने के लिए अभिलेख पर कुछ नहीं है कि वे किराया याचिका में संदर्भित संपत्ति के सह-स्वामी हैं और प्रत्यर्थी संख्या 5 और 6 (किराएदारों) का आधार भी वही है जो याची और प्रत्यर्थी संख्या 7 का है जिससे यह दर्शित होता है कि याची और प्रत्यर्थी संख्या 7 ने किराएदारों – प्रत्यर्थी संख्या 5 और 6 की उत्प्रेरणा पर बेदखली की कार्यवाहियों को विलम्ब करने के अनुक्रम में कार्यवाहियों में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं । किसी भी दशा में, याची और प्रत्यर्थी संख्या 7 द्वारा उद्भूत विवाद्यक, किराया याचिका में अपने उत्तर में किराएदारों – प्रत्यर्थी संख्या 5 और 6 द्वारा किए गए अभिवाक् में बेदखली याचिका में पहले से ही विवाद्यक बिन्दु है और तद्नुसार, मैं किराया नियंत्रक द्वारा पारित आक्षेपित आदेश में कोई कमी, अवैधता, अनियमितता और प्रतिकूलता नहीं पाता हूं, जिससे कि इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप अपेक्षित हो ।

17. हालांकि, मकान-मालिक – प्रत्यर्थियों के विद्वान् काउंसेल ने 2010 की सी. आर. संख्या 136 में पूर्ण न्यायपीठ के विनिश्चय को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान याचिका को कायम रखने का विवाद्यक उद्भूत किया है, तथापि, वर्तमान याचिका उक्त प्रश्न पर विचार किए बिना अधिनिर्णीत और विनिश्चित किया जाता है ।

18. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, गुणागुण रहित होने के नाते याचिका खारिज की जाती है ।

याचिका खारिज की गई ।

क.

संसद् के अधिनियम

दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961[1]

(1961 का अधिनियम संख्यांक 28)

[20 मई, 1961]

दहेज का देना या लेना प्रतिषिद्ध करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के बारहवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ – (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 है ।

(2) इसका विस्तार जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय सम्पूर्ण भारत पर है ।

(3) यह उस तारीख[2] को प्रवृत्त होगा जिसे केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे ।

2. "दहेज" की परिभाषा – इस अधिनियम में, "दहेज" से कोई ऐसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति अभिप्रेत है जो विवाह के समय या उसके पूर्व [3][या पश्चात् किसी समय] –

(क) विवाह के एक पक्षकार द्वारा विवाह के दूसरे पक्षकार को ; या

(ख) विवाह के किसी भी पक्षकार के माता-पिता द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा विवाह के किसी भी पक्षकार को या किसी अन्य व्यक्ति को,

---

[1] 1968 के अधिनियम सं. 26 की धारा 3 और अनुसूची भाग 1 द्वारा पांडिचेरी पर विस्तारित ।

[2] 1 जुलाई, 1961 (भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग 2, अनुभाग 3(ii), पृष्ठ 1005 पर मुद्रित अधिसूचना सं. का. आ. 1410, तारीख 20-6-1961 देखिए) ।

[3] 1986 के अधिनियम सं. 43 की धारा 2 द्वारा (19-11-1986 से) "या पश्चात्" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[1][उक्त पक्षकारों के विवाह के संबंध में] या तो प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: दी गई है या दी जाने के लिए करार की गई है, किन्तु उन व्यक्तियों के संबंध में जिन्हें मुस्लिम स्वीय विधि (शरीयत) लागू होती है, मेहर इसके अंतर्गत नहीं है ।

[2]* * * * *

स्पष्टीकरण 2 – "मूल्यवान प्रतिभूति" पद का वही अर्थ है जो भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 30 में है ।

3. दहेज देने या दहेज लेने के लिए शास्ति – [3][(1) यदि कोई व्यक्ति, इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात्, दहेज देगा या लेगा अथवा दहेज देना या लेना दुष्प्रेरित करेगा [4][तो वह कारावास से, जिसकी अवधि [5][पांच वर्ष से कम की नहीं होगी, और जुर्माने से, जो पन्द्रह हजार रुपए से या ऐसे दहेज के मूल्य की रकम तक का, इनमें से जो भी अधिक हो, कम नहीं होगा,] दण्डनीय होगा :

परन्तु न्यायालय, ऐसे पर्याप्त और विशेष कारणों से जो निर्णय में लेखबद्ध किए जाएंगे, [6][पांच वर्ष] से कम की किसी अवधि के कारावास का दण्डादेश अधिरोपित कर सकेगा ।]

[7][(2) उपधारा (1) की कोई बात, –

(क) ऐसी भेंटों को, जो वधू को विवाह के समय (उस

---

[1] 1984 के अधिनियम सं. 63 की धारा 2 द्वारा (2-10-1985 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2] 1984 के अधिनियम सं. 63 की धारा 2 द्वारा (2-10-1985 से) लोप किया गया ।

[3] 1984 के अधिनियम सं. 63 की धारा 3 द्वारा (2-10-1985 से) धारा 3 को उसकी उपधारा (1) के रूप में पुनः संख्यांकित किया गया ।

[4] 1984 के अधिनियम सं. 63 की धारा 3 द्वारा (2-10-1985 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[5] 1986 के अधिनियम सं. 43 की धारा 3 द्वारा (19-11-1986 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[6] 1986 के अधिनियम सं. 43 की धारा 3 द्वारा (19-11-1986 से) "छह मास" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[7] 1984 के अधिनियम सं. 63 की धारा 3 द्वारा (2-10-1985 से) अंतःस्थापित ।

निमित्त कोई मांग किए बिना) दी जाती है या उनके संबंध में लागू नहीं होंगी :

परन्तु यह तब तक कि ऐसी भेंटें इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार रखी गई सूची में दर्ज की जाती हैं ;

(ख) ऐसी भेंटों को जो वर को विवाह के समय (उस निमित्त कोई मांग किए बिना) दी जाती हैं या उनके संबंध में लागू नहीं होगी :

परन्तु यह तब जब कि ऐसी भेंटें, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार रखी गई सूची में दर्ज की जाती हैं :

परन्तु यह और कि जहां ऐसी भेंटें जो वधू द्वारा या उसकी ओर से या किसी व्यक्ति द्वारा जो वधू का नातेदार है दी जाती हैं वहां ऐसी भेंटें रूढ़िगत प्रकृति की हैं और उनका मूल्य, ऐसे व्यक्ति की वित्तीय प्रास्थिति को ध्यान में रखते हुए, जिसके द्वारा या जिसकी ओर से ऐसी भेंटें दी गई हैं अधिक नहीं हैं ।]

[1][**4. दहेज मांगने के लिए शास्ति** – यदि कोई व्यक्ति, यथास्थिति, वधू या वर के माता-पिता या अन्य नातेदार या संरक्षक से किसी दहेज की प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से मांग करेगा तो वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी, किन्तु दो वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा :

परन्तु न्यायालय ऐसे पर्याप्त और विशेष कारणों से, जो निर्णय में उल्लिखित किए जाएंगे, छह मास से कम की किसी अवधि के कारावास का दण्डादेश अधिरोपित कर सकेगा ।]

[2][**4क. विज्ञापन पर पाबंदी** – यदि कोई व्यक्ति –

---

[1] 1984 के अधिनियम सं. 63 की धारा 4 द्वारा (2-10-1985 से) धारा 4 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2] 1986 के अधिनियम सं. 43 की धारा 4 द्वारा (19-11-1986 से) अंतःस्थापित ।

(क) अपने पुत्र या पुत्री या किसी अन्य नातेदार के विवाह के प्रतिफलस्वरूप किसी समाचारपत्र, नियतकालिक पत्रिका, जरनल या किसी अन्य माध्यम से, अपनी संपत्ति या किसी धन के अंश या दोनों के किसी कारबार या अन्य हित में किसी अंश की प्रस्थापना करेगा ;

(ख) खण्ड (क) में निर्दिष्ट कोई विज्ञापन मुद्रित करेगा या प्रकाशित करेगा या परिचालित करेगा,

तो वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी, किन्तु जो पांच वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो पन्द्रह हजार रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा :

परन्तु न्यायालय, ऐसे पर्याप्त और विशेष कारणों से जो निर्णय में लेखबद्ध किए जाएंगे, छह मास से कम की किसी अवधि के कारावास का दंडादेश अधिरोपित कर सकेगा ।]

5. दहेज देने या लेने के लिए करार का शून्य होना – दहेज देने या लेने के लिए करार शून्य होगा ।

6. दहेज का पत्नी या उसके वारिसों के फायदे के लिए होना – (1) जहां कोई दहेज ऐसी स्त्री से भिन्न, जिसके विवाह के संबंध में वह दिया गया है, किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया जाता है, वहां वह व्यक्ति, उस दहेज को, –

(क) यदि वह दहेज विवाह से पूर्व प्राप्त किया गया था तो विवाह की तारीख के पश्चात् [1][तीन मास] के भीतर ; या

(ख) यदि वह दहेज विवाह के समय या उसके पश्चात् प्राप्त किया गया था, तो उसकी प्राप्ति की तारीख के पश्चात् [1][तीन मास] के भीतर ; या

(ग) यदि वह उस समय जब स्त्री अवयस्क थी तब प्राप्त किया गया था तो उसके अठारह वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात् [1][तीन मास] के भीतर,

---

[1] 1984 के अधिनियम सं. 63 की धारा 3 द्वारा (2-10-1985 से) "एक वर्ष" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

स्त्री को अन्तरित कर देगा और ऐसे अन्तरण तक उसे न्यास के रूप में स्त्री के फायदे के लिए धारण करेगा ।

[1][(2) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित किसी संपत्ति का, उसके लिए विनिर्दिष्ट परिसीमा काल के भीतर [2][या उपधारा (3) द्वारा अपेक्षित] अन्तरण करने में असमर्थ रहेगा तो वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी किन्तु दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, [3][जो पांच हजार रुपए से कम का नहीं होगा किन्तु दस हजार रुपए तक का हो सकेगा] या दोनों से, दंडनीय होगा ।]

(3) जहां उपधारा (1) के अधीन किसी संपत्ति के लिए हकदार स्त्री की उसे प्राप्त करने के पूर्व मृत्यु हो जाती है, वह स्त्री के वारिस उसे तत्समय धारण करने वाले व्यक्ति से दावा करने के हकदार होंगे :

[2][परन्तु जहां ऐसी स्त्री की मृत्यु उसके विवाह के सात वर्ष के भीतर प्राकृतिक कारणों से अन्यथा हो जाती है वहां ऐसी संपत्ति, –

(क) यदि उसकी कोई संतान नहीं है तो उसके माता-पिता को अंतरित की जाएगी, या

(ख) यदि उसकी संतान है तो उसकी ऐसी संतान को अंतरित की जाएगी और ऐसे अंतरण तक ऐसी संतान के लिए न्यास के रूप में धारण की जाएगी ।]

[4][(3क) जहां उपधारा (1) [2][या उपधारा (3)] द्वारा अपेक्षित संपत्ति का अंतरण करने में असफल रहने के लिए, उपधारा (2) के अधीन सिद्धदोष ठहराए गए किसी व्यक्ति ने, उस उपधारा के अधीन उसके सिद्धदोष ठहराए जाने के पूर्व, ऐसी संपत्ति का, उसके लिए हकदार स्त्री

---

[1] 1984 के अधिनियम सं. 63 की धारा 5 द्वारा (2-10-1985 से) उपधारा (2) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2] 1986 के अधिनियम सं. 43 की धारा 5 द्वारा (19-11-1986 से) अंतःस्थापित ।

[3] 1986 के अधिनियम सं. 43 की धारा 5 द्वारा (19-11-1986 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[4] 1984 के अधिनियम सं. 63 की धारा 5 द्वारा (2-10-1985 से) अंतःस्थापित ।

को या, यथास्थिति, [1][उसके वारिसों, माता-पिता या संतान] को अंतरण नहीं किया है वहां न्यायालय, उस उपधारा के अधीन दण्ड अधिनिर्णीत करने के अतिरिक्त, लिखित आदेश द्वारा, यह निदेश देगा कि ऐसा व्यक्ति, ऐसी संपत्ति का, यथास्थिति, ऐसी स्त्री या [1][उसके वारिसों, माता-पिता या संतान] को ऐसी अवधि के भीतर जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, अंतरण करे और यदि ऐसा व्यक्ति ऐसे निदेश का इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अनुपालन करने में असफल रहेगा तो संपत्ति के मूल्य के बराबर रकम उससे ऐसे वसूल की जा सकेगी मानो वह ऐसे न्यायालय द्वारा अधिरोपित जुर्माना हो और उसका, यथास्थिति, उस स्त्री या [1][उसके वारिसों, माता-पिता या संतान] को संदाय किया जा सकेगा ।]

(4) इस धारा की कोई बात धारा 3 या धारा 4 के उपबंधों पर प्रभाव नहीं डालेगी ।

[2][**7. अपराधों का संज्ञान** – (1) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में किसी बात के होते हुए भी, –

(क) महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय से अवर कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा ;

(ख) कोई न्यायालय, इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का संज्ञान, –

(i) अपनी जानकारी पर या ऐसे अपराध को गठित करने वाले तथ्यों को पुलिस रिपोर्ट पर, या

(ii) अपराध से व्यथित व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति के माता-पिता या अन्य नातेदार द्वारा अथवा किसी मान्यताप्राप्त कल्याण संस्था या संगठन द्वारा किए गए परिवाद पर,

---

[1] 1986 के अधिनियम सं. 43 की धारा 5 द्वारा (19-11-1986 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2] 1984 के अधिनियम सं. 63 की धारा 6 द्वारा (2-10-1985 से) धारा 7 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

ही करेगा, अन्यथा नहीं ;

(ग) महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराए गए किसी व्यक्ति के विरुद्ध, इस अधिनियम द्वारा प्राधिकृत कोई दण्डादेश पारित करे ।

स्पष्टीकरण – इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, "मान्यताप्राप्त कल्याण संस्था या संगठन" से कोई ऐसी समाज कल्याण संस्था या संगठन अभिप्रेत है जिसे इस निमित्त केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा मान्यता दी गई है ।

(2) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के अध्याय 36 की कोई बात इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध को लागू नहीं होगी ।]

[1][(3) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी, अपराध से व्यथित व्यक्ति द्वारा किया गया कोई कथन ऐसे व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन अभियोजन का भागी नहीं बनाएगा ।]

[2][**8. अपराधों का कुछ प्रयोजनों के लिए संज्ञेय होना तथा जमानतीय और अशमनीय होना** – (1) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) इस अधिनियम के अधीन अपराधों को वैसे ही लागू होगी मानो वे –

(क) ऐसे अपराधों के अन्वेषण के प्रयोजनों के लिए ; और

(ख) निम्नलिखित से भिन्न विषयों के प्रयोजनों के लिए –

(i) उस संहिता की धारा 42 में विनिर्दिष्ट विषय ; और

(ii) किसी व्यक्ति को वारण्ट के बिना या मजिस्ट्रेट के किसी आदेश के बिना गिरफ्तारी, संज्ञेय अपराध हों ।

(2) इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक अपराध [3][अजमानतीय] और

---

[1] 1986 के अधिनियम सं. 43 की धारा 6 द्वारा (19-11-1986 से) अंतःस्थापित ।

[2] 1984 के अधिनियम सं. 63 की धारा 7 द्वारा (2-10-1985 से) धारा 8 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[3] 1986 के अधिनियम सं. 43 की धारा 7 द्वारा (19-11-1986 से) "जमानतीय" शब्द के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

अशमनीय होगा ।]

[1][**8क. कुछ मामलों में सबूत का भार** – जहां कोई व्यक्ति धारा 3 के अधीन कोई दहेज लेने या दहेज का लेना दुष्प्रेरित करने के लिए या धारा 4 के अधीन दहेज मांगने के लिए अभियोजित किया जाता है वहां यह साबित करने का भार उसी पर होगा कि उसने उन धाराओं के अधीन कोई अपराध नहीं किया है ।

8ख. दहेज प्रतिषेध अधिकारी – (1) राज्य सरकार उतने दहेज प्रतिषेध अधिकारी नियुक्त कर सकेगी जितने वह ठीक समझे और वे क्षेत्र विनिर्दिष्ट कर सकेगी जिनकी बाबत वे अपनी अधिकारिता और शक्तियों का प्रयोग इस अधिनियम के अधीन करेंगे ।

(2) प्रत्येक दहेज प्रतिषेध अधिकारी निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का पालन करेगा, अर्थात् :–

(क) यह देखना कि इस अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन किया जाता है ;

(ख) दहेज देने या दहेज लेने को दुष्प्रेरित करने या दहेज मांगने को यथासंभव रोकना ;

(ग) इस अधिनियम के अधीन अपराध करने वाले व्यक्तियों के अभियोजन के लिए ऐसा साक्ष्य एकत्र करना जो आवश्यक हो ; और

(घ) ऐसे अतिरिक्त कार्य करना जो राज्य सरकार द्वारा उसे सौंपे जाएं या इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों में विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

(3) राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा दहेज प्रतिषेध अधिकारी को किसी पुलिस अधिकारी की ऐसी शक्तियां प्रदत्त कर सकेगी जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग ऐसी परिसीमाओं और शर्तों के अधीन रहते हुए करेगा जो इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं ।

---

[1] 1986 के अधिनियम सं. 43 की धारा 8 द्वारा (19-11-1986 से) अंतःस्थापित ।

(4) राज्य सरकार दहेज प्रतिषेध अधिकारी को इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों के दक्ष पालन में सलाह देने और सहायता करने के प्रयोजन के लिए, एक सलाहकार बोर्ड नियुक्त कर सकेगी जिसमें उस क्षेत्र से, जिसकी बाबत ऐसा दहेज प्रतिषेध अधिकारी उपधारा (1) के अधीन अधिकारिता का प्रयोग करता है, पांच से अनधिक समाज कल्याण कार्यकर्ता होंगे (जिनमें से कम से कम दो महिलाएं होंगी) ।]

9. नियम बनाने की शक्ति – (1) केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा बना सकती है ।

[1][(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात् :–

(क) वह प्ररूप जिसमें और वह रीति जिससे और ऐसे व्यक्ति जिनके द्वारा धारा 3 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट भेंटों की कोई सूची रखी जाएगी और उनसे संबंधित सभी अन्य विषय ; और

(ख) इस अधिनियम के प्रशासन की बाबत नीति और कार्रवाई का बेहतर समन्वय ।]

[2][(3)] इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष जब वह सत्र में हो, तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा [3][यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व] दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा किन्तु नियम के

---

[1] 1984 के अधिनियम सं. 63 की धारा 8 द्वारा (2-10-1985 से) अंतःस्थापित ।

[2] 1984 के अधिनियम सं. 63 की धारा 8 द्वारा (2-10-1985 से) पुनःसंख्यांकित ।

[3] 1983 के अधिनियम सं. 20 की धारा 2 और अनुसूची द्वारा (15-3-1984 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

[1][**10. राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति** – (1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजन को कार्यान्वित करने के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात् :–

(क) दहेज प्रतिषेध अधिकारियों द्वारा धारा 8ख की उपधारा (2) के अधीन पालन किए जाने वाले अतिरिक्त कृत्य ;

(ख) वे परिसीमाएं और शर्तें जिनके अधीन रहते हुए दहेज प्रतिषेध अधिकारी धारा 8ख की उपधारा (3) के अधीन अपने कृत्यों का प्रयोग कर सकेंगे ।

(3) राज्य सरकार द्वारा इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य विधान-मंडल के समक्ष रखा जाएगा ।]

---

[1] 1986 के अधिनियम सं. 43 की धारा 9 द्वारा (19-11-1986 से) धारा 10 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

नियम

*दहेज प्रतिषेध (वर-वधू भेंट सूची) नियम, 1985

सा. का. नि. 664(अं) – केन्द्रीय सरकार, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 (1961 का 28) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है :–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम दहेज प्रतिषेध (वर-वधू भेंट सूची) नियम, 1985 है ।

(2) ये 2 अक्तूबर, 1985 को प्रवृत्त होंगे जो दहेज प्रतिषेध (संशोधन) अधिनियम, 1984 (1984 का 63) के प्रवृत्त होने के लिए नियत की गई तारीख है ।

2. नियम जिनके अनुसार भेंटों की सूचियां रखी जानी हैं – (1) विवाह के समय जो भेंटें वधू को दी जाती हैं उनकी एक सूची वधू रखेगी ।

(2) विवाह के समय जो भेंटें वर को दी जाती हैं उनकी एक सूची वर रखेगा ।

(3) उपनियम (1) या उपनियम (2) में निर्दिष्ट भेंटों की प्रत्येक सूची, –

(क) विवाह के समय या विवाह के पश्चात् यथासंभव शीघ्र तैयार की जाएगी ;

(ख) लिखित में होगी ;

(ग) उसमें होगा –

(i) प्रत्येक भेंट का संक्षिप्त विवरण ;

(ii) भेंट का अनुमानित मूल्य ;

(iii) उस व्यक्ति का नाम जिसने भेंट दी है ; और

(iv) यदि वह व्यक्ति जिसने भेंट दी है वधू या वर का नातेदार है तो ऐसी नातेदारी का विवरण ;

---

* भारत के राजपत्र, असाधारण भाग 2, खण्ड 3(i) में सा. का. नि. 664(अं) तारीख 19 अगस्त, 1985 के अधीन प्रकाशित ।

(घ) वर और वधू दोनों द्वारा हस्ताक्षरित होगी ।

स्पष्टीकरण 1 – जहां वधू हस्ताक्षर करने में असमर्थ है, वहां वह उसे सूची पढ़कर सुनाई जाने के पश्चात् और उस व्यक्ति के, जिसने सूची में दी गई विशिष्टियों को इस प्रकार पढ़कर सुनाया है, उस सूची पर हस्ताक्षर प्राप्त करने के पश्चात् अपने हस्ताक्षर करने के बदले अपने अंगूठे का निशान लगा सकेगी ।

स्पष्टीकरण 2 – जहां वर हस्ताक्षर करने में असमर्थ है, वहां वह उसे सूची पढ़कर सुनाई जाने के पश्चात् और उस व्यक्ति के, जिसने सूची में दी गई विशिष्टियों को इस प्रकार पढ़कर सुनाया है, उस सूची पर हस्ताक्षर प्राप्त करने के पश्चात् अपने हस्ताक्षर करने के बदले अपने अंगूठे का निशान लगा सकेगा ।

(4) वर या वधू, यदि ऐसा चाहे तो उपनियम (1) या उपनियम (2) में निर्दिष्ट सूचियों में से किसी एक पर या दोनों पर अपने किसी नातेदार या किन्हीं नातेदारों या विवाह के समय उपस्थित किसी अन्य व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों के हस्ताक्षर प्राप्त कर सकती है ।

उपाबंध

भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) से उद्धरण

* * * * *

अध्याय 20क

पति या पति के नातेदारों द्वारा क्रूरता के विषय में

498क. किसी स्त्री के पति या पति के नातेदार द्वारा उसके प्रति क्रूरता करना – जो कोई, किसी स्त्री का पति या पति का नातेदार होते हुए, ऐसी स्त्री के प्रति क्रूरता करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा ।

स्पष्टीकरण – इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "क्रूरता" से निम्नलिखित अभिप्रेत है :–

(क) जानबूझकर किया गया कोई आचरण जो ऐसी प्रकृति का है जिससे उस स्त्री को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करने को या उस स्त्री के जीवन, अंग या स्वास्थ्य को (जो चाहे मानसिक हो या शारीरिक) गंभीर क्षति या खतरा कारित करने की संभावना है ; या

(ख) किसी स्त्री को इस दृष्टि से तंग करना कि उसको या उसके किसी नातेदार को किसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति की कोई मांग पूरी करने के लिए प्रपीड़ित किया जाए या किसी स्त्री को इस कारण तंग करना कि उसका कोई नातेदार ऐसी मांग पूरी करने में असफल रहा है ।

* * * * *

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का अधिनियम संख्यांक 2) से उद्धरण

* * * * *

174. आत्महत्या आदि पर पुलिस का जांच करना और रिपोर्ट देना – (1) जब पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी, या राज्य सरकार द्वारा उस निमित्त विशेषतया सशक्त किए गए किसी अन्य पुलिस अधिकारी

को यह इत्तिला मिलती है कि किसी व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली है, अथवा कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति द्वारा या जीवजंतु द्वारा या किसी यंत्र द्वारा या दुर्घटना द्वारा मारा गया है, अथवा कोई व्यक्ति ऐसी परिस्थितियों में मरा है जिनसे उचित रूप से यह संदेह होता है कि किसी अन्य व्यक्ति ने कोई अपराध किया है तो वह मृत्यु समीक्षाएं करने में सशक्त निकटतम कार्यपालक मजिस्ट्रेट को तुरन्त उसकी सूचना देगा और जब तक राज्य सरकार द्वारा विहित किसी नियम द्वारा या जिला या उपखंड मजिस्ट्रेट के किसी साधारण या विशेष आदेश द्वारा अन्यथा निर्दिष्ट न हो वह उस स्थान को जाएगा जहां ऐसे मृत व्यक्ति का शरीर है और वहां पड़ोस के दो या अधिक प्रतिष्ठित निवासियों की उपस्थिति में, अन्वेषण करेगा और मृत्यु के दृश्यमान कारण की रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें ऐसे घावों, अस्थिभंगों, नीलों और क्षति के अन्य चिह्नों का, जो शरीर पर पाए जाएं, वर्णन होगा और यह कथन होगा कि ऐसे चिह्न किस प्रकार से और किस आयुध या उपकरण द्वारा (यदि कोई हो) किए गए प्रतीत होते हैं ।

(2) उस रिपोर्ट पर ऐसे पुलिस अधिकारी और अन्य व्यक्तियों द्वारा, या उनमें से इतनों द्वारा जो उससे सहमत हैं, हस्ताक्षर किए जाएंगे और वह जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट को तत्काल भेज दी जाएंगी ।

(3) जब –

(i) मामले में किसी स्त्री द्वारा उसके विवाह की तारीख के सात वर्ष के भीतर आत्महत्या अंतर्वलित है ; या

(ii) मामला किसी स्त्री की उसके विवाह के सात वर्ष के भीतर ऐसी परिस्थितियों में मृत्यु से संबंधित है, जो यह युक्तियुक्त संदेह उत्पन्न करती है कि किसी अन्य व्यक्ति ने ऐसी स्त्री के संबंध में कोई अपराध किया है ; या

(iii) मामला किसी स्त्री की उसके विवाह के सात वर्ष के भीतर मृत्यु से संबंधित है और उस स्त्री के किसी नातेदार ने उस निमित्त निवेदन किया है ; या

(iv) मृत्यु के कारण की बाबत कोई संदेह है ; या

(v) किसी अन्य कारण पुलिस अधिकारी ऐसा करना समीचीन समझता है, तब ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए, जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विहित किए जाएं, वह अधिकारी यदि मौसम ऐसा है और दूरी इतनी है कि रास्ते में शरीर के ऐसे सड़ने की जोखिम के बिना, जिससे उसकी परीक्षा व्यर्थ हो जाए, उसे भिजवाया जा सकता है तो शरीर को उसकी परीक्षा की दृष्टि से, निकटतम सिविल सर्जन के पास या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त नियुक्त अन्य अर्हित चिकित्सक के पास भेजेगा ।

(4) निम्नलिखित मजिस्ट्रेट मृत्यु-समीक्षा करने के लिए सशक्त है, अर्थात् कोई जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट और राज्य सरकार द्वारा या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा इस निमित्त विशेषतया सशक्त किया गया कोई अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट ।

* * * * *

176. मृत्यु के कारण की मजिस्ट्रेट द्वारा जांच – (1) जब कोई व्यक्ति पुलिस की अभिरक्षा में रहते हुए मर जाता है या जब मामला धारा 174 की उपधारा (3) के खंड (i) या खंड (ii) में निर्दिष्ट प्रकृति का है तब मृत्यु के कारण की जांच, पुलिस अधिकारी द्वारा किए जाने वाले अन्वेषण के बजाय या उसके अतिरिक्त वह निकटतम मजिस्ट्रेट करेगा जो मृत्यु-समीक्षा करने के लिए सशक्त है और धारा 174 की उपधारा (1) में वर्णित किसी अन्य दशा में इस प्रकार सशक्त किया गया कोई भी मजिस्ट्रेट कर सकेगा, और यदि वह ऐसा करता है तो उसे ऐसी जांच करने में वे सब शक्तियां होंगी जो उसे किसी अपराध की जांच करने में होती ।

(2) ऐसी जांच करने वाला मजिस्ट्रेट उसके संबंध में लिए गए साक्ष्य को इसमें इसके पश्चात् विहित किसी प्रकार से, मामले की परिस्थितियों के अनुसार अभिलिखित करेगा ।

(3) जब कभी ऐसे मजिस्ट्रेट के विचार में यह समीचीन है कि

किसी व्यक्ति के, जो पहले ही गाड़ दिया गया है, मृत शरीर की इसलिए परीक्षा की जाए कि उसकी मृत्यु के कारण का पता चले तब मजिस्ट्रेट उस शरीर को निकलवा सकता है और उसकी परीक्षा करा सकता है ।

(4) जहां कोई जांच इस धारा के अधीन की जानी है वहां मजिस्ट्रेट, जहां कहीं साध्य है, मृतक के उन नातेदारों को, जिनके नाम और पते ज्ञात हैं, इत्तिला देगा और उन्हें जांच के समय उपस्थित रहने की अनुज्ञा देगा ।

स्पष्टीकरण – इस धारा में "नातेदार" पद से माता-पिता, संतान, भाई-बहिन और पति या पत्नी अभिप्रेत हैं ।

* * * * *

198क. भारतीय दंड संहिता की धारा 498क के अधीन अपराधों का अभियोजन – कोई न्यायालय भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 498क के अधीन दंडनीय अपराध का संज्ञान ऐसे अपराध को गठित करने वाले तथ्यों की पुलिस रिपोर्ट पर अथवा अपराध से व्यथित व्यक्ति द्वारा या उसके पिता, माता, भाई, बहिन या उसके पिता अथवा माता के भाई या बहिन द्वारा किए गए परिवाद पर या रक्त, विवाह या दत्तक ग्रहण द्वारा उससे संबंधित किसी अन्य व्यक्ति द्वारा न्यायालय की इजाजत से किए गए परिवाद पर ही करेगा अन्यथा नहीं ।

* * * * *

पहली अनुसूची

* * * * *

1. भारतीय दंड संहिता के अधीन अपराध

धारा	अपराध	दंड	संज्ञेय या असंज्ञेय	जमानतीय या अजमानतीय	किस न्यायालय द्वारा विचारणीय है
अध्याय 20क – पति या पति के नातेदारों द्वारा क्रूरता के विषय में					
498क	किसी विवाहित स्त्री के प्रति क्रूरता करने के लिए दंड	तीन वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना	संज्ञेय यदि अपराध किए जाने से संबंधित इत्तिला पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को अपराध से व्यथित व्यक्ति	अजमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट

विधि साहित्य प्रकाशन द्वारा प्रकाशित और विक्रयार्थ उपलब्ध पाठ्य पुस्तकों की सूची

क्रम सं.	पुस्तक का नाम, लेखक का नाम एवं प्रकाशन वर्ष (संस्करण)	पृष्ठ सं.	पुस्तक की मूल मुद्रित कीमत (रुपयों में)	विशेष छूट के पश्चात् पुस्तक की कीमत (रुपयों में)
1.	विधि शास्त्र – डा. शिवदत्त शर्मा – 2004	501	580	145
2.	निर्णय लेखन – न्या. भगवती प्रसाद बेरी – 2019	190	175	–
3.	भारत का सांविधानिक इतिहास - (103वां संविधान संशोधन तक) - श्री चन्द्रशेखर मिश्र	340	325	–
4.	भारतीय संविधान के प्रमुख तत्व - डा. प्रद्युम्न कुमार त्रिपाठी	906	750	–

अन्य महत्वपूर्ण प्रकाशन

1. निर्वाचन विधि निर्देशिका (भाग-1 तथा भाग-2)	नवीनतम संस्करण, 2024	कीमत रु. 2,500
2. भारत का संविधान (पाकेट एडीशन)	2024	कीमत रु. 325

विधि साहित्य प्रकाशन
(विधायी विभाग)
विधि और न्याय मंत्रालय
भारत सरकार
भारतीय विधि संस्थान भवन,
भगवान दास मार्ग, नई दिल्ली-110001
Website : www.lawmin.nic.in
Email : am.vsp-molj@gov.in

भारत के समाचारपत्रों के रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्रीकृत रजि. सं. 17552/69

सादर

विधि साहित्य प्रकाशन द्वारा तीन मासिक निर्णय पत्रिकाओं - **उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका, उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका** और **उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका** का प्रकाशन किया जाता है । उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका में उच्चतम न्यायालय के चयनित महत्वपूर्ण निर्णयों को और उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका तथा उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका में देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों के क्रमशः सिविल और दांडिक के चयनित महत्वपूर्ण निर्णयों को हिन्दी में प्रकाशित किया जाता है । उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका, उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका और उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका की वार्षिक कीमत क्रमशः ₹ 2,100/-, ₹ 1,300/- और ₹ 1,300/- है । तीनों मासिक निर्णय पत्रिकाओं के नियमित ग्राहक बनकर हिन्दी के प्रचार-प्रसार के इस महान यज्ञ के भागी बन कर अनुगृहीत करें । साथ ही यह भी अवगत कराया जाता है कि केन्द्रीय अधिनियमों, विधि शब्दावली, विधि पत्रिकाओं और अन्य विधि प्रकाशनों को आन लाइन **https://bharatkosh.gov.in/product/product** पर प्राप्त किया जा सकता है ।

विधि साहित्य प्रकाशन

(विधायी विभाग)

विधि और न्याय मंत्रालय

भारत सरकार

भारतीय विधि संस्थान भवन,

भगवान दास मार्ग, नई दिल्ली-110001

दूरभाष : 011-23387589, 23385259, 23382105

विक्रेता : सहायक प्रबंधक, कारबार अनुभाग, विधि साहित्य प्रकाशन, विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, आई. एल. आई. बिल्डिंग, भगवानदास मार्ग, नई दिल्ली-110001 । दूरभाष : 011-23385259, 23387589, फैक्स : 011-23387589, ई-मेल : am.vsp-molj@gov.in